खण्ड-121, अंक-6
शनिवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(21 मार्च, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 121 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २१ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३१)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्करलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राये, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री

जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन , श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्भरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री

मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम जी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतीफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री

लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

यू० पी० नर्सेज एवं मिडवाइव्ज कौंसिल के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---एक सूचना देनी है। यू० पी० नर्सेज एवं मिडवाइव्ज कौंसिल के लिये दो सदस्यों का चुनाव होना था। श्रीमती प्रकाशवती सूद तथा श्री बसन्तलाल शर्मा के नाम आये और किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया और समय भी गुजर गया। इस लिये मैं यह घोषित करता हूं कि श्रीमती प्रकाशवती सूद और श्री बसन्तलाल शर्मा इस के सदस्य चुने गये।

वृहस्पतिवार, २६ मार्च, १९५३ को असरकारी कार्य करने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---२६ मार्च को असरकारी कार्यक्रम रहेगा। सरकार ने यह दिन इसके लिये विशेषकर दिया है, क्योंकि पहले एक दिन ले लिया गया था, उसके एवज में दिया है।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय-विभाजन

श्री अध्यक्ष---वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव। अब इसके लिये समय नियत करने के लिये सुझाव आयेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कुल ५ घंटा समय है। सवा दो घंटा अनुदान संख्या २९ (उद्योग) के लिये रखा जाय। यानी १ बज कर १५ तक यह चले। अनुदान संख्या ३९ के लिये ४५ मिनट यानी तीन बजे तक यह चले और बाक़ी दोनों अनुदानों के लिये एक एक घंटा रखा जाय।

श्री अध्यक्ष---इसमें किसी को आपत्ति है?

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---मेरा प्रस्ताव यह है कि अनुदान संख्या २९ के लिये दो घंटा रखा जाय, अनुदान संख्या ३९ के लिये आधा घंटा, अनुदान संख्या ४० के लिये डेढ़ घंटा और अनुदान संख्या ४६ के लिये एक घंटा रखा जाय।

श्री अध्यक्ष---आपने पहले दो में १५,१५ मिनट कम कर दिये और अनुदान संख्या ४० में डेढ़ घंटा चाहते हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव---जी हां।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)---श्रीमन्, जो प्रस्ताव माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने किया है वह मुनासिब मालूम होता है। अनुदान संख्या ३९ (लेखन सामग्री और छपाई) में ४५ मिनट उन्होंने रखे हैं और वह ठीक मालूम होता है क्योंकि आधा घंटा उसके लिये ठीक समय रहेगा।

श्री अध्यक्ष---तो ठीक है। जो श्री जगन्नाथ मल्ल जी का सुझाव है उसी को मैं स्वीकार करता हूं।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २९-लेखा शीर्षक ४३-उद्योग

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९-उद्योग (लेखा शीर्षक: ४३-उद्योग) के अन्तर्गत १,०४,७२,६००रुपये की धनराशि स्वीकार की जाय। इस मांग को पेश करते हुये मैं कोई लम्बी

[श्री हुकुम सिंह]

तक़रीर नहीं करना चाहता। मैं तो यह चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारे मित्रों को मिले ताकि उनको काफी मौका हो हर पहलू पर रोशनी डालने का और मैं समझता हूं कि उनकी बातों से मुझे काफी लाभ भी हो सकता है। जो उन के सुझाव होंगे वे भी मैं समझता हूं कि कारामद साबित होंगे। ऐसी सूरत में नुक़सान का एहतमाल तो हो नहीं सकता क्योंकि जो सुझाव ग़लत होंगे उन को मैं मानने के लिये भी तैयार नहीं हूं। लिहाज़ा नुक़सान का एहतमाल नहीं बल्कि फायदे की गुन्जायश मुझे इसमें दिखलायी पड़ती है। मैं साधारण तौर से कुछ बातें कह देना चाहता हूं। काटेज इंडस्ट्रीज़ के संबंध में हमारी कई योजनायें हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, जिनका जिक्र जो डिपार्टमेंट से बुकलेट ईशू हुआ है उस में विस्तारपूर्वक दिया हुआ है। उसके अलावा कुछ नई स्कीम्स हैं जिन के मुताबिक़ भी मैं आवश्यकतानुसार मुनासिब मौक़े पर अर्ज करना चाहता हूं। इस प्रकार हर तरह से कोशिश की गयी है कि काटेज इंडस्ट्री को हम बढ़ावें। अभी हाल में हमने बोर्ड भी क़ायम किये हैं, हैंडलूम का अलग और स्माल काटेज इंडस्ट्रीज का अलग, ताकि वे मुनासिब सलाह मशविरा सरकार को देते रहें और उनके मुताबिक़ अमल कर के उन उद्योगों को तरक्क़ी दी जाय।

इसके साथ में प्रोसीजन इन्सट्रूमेन्ट्स फ़ैक्ट्री के संबंध में भी कुछ अर्ज कर देना चाहता हूं। वाक़ई यह आपका अपने सूबे में पहला ही प्रयास था और प्रयास अच्छा था क्योंकि यह फ़ैक्ट्री अपने क़िस्म की एक है और यदि हम इसे सफलतापूर्वक चला सके तो हमारे प्रदेश को बड़ा लाभ होगा। ऐसी चीजें जब शुरू की जाती हैं तो पहले ही दिन से यह ख़याल करना कि उनमें लाभ होने लगे और एफ़ीशियंटली काम होने लगे, ज्यादा ठीक नहीं होता। एक्सपेरीमेंटल स्टेज थी। हमने बाहर के एक्सपर्ट भी मंगाते थे और उन के सलाह मशविरे से काम हुआ। लेकिन जितनी हम चाहते थे उतनी तरक्क़ी नहीं कर सके और हमने उस के इन्तजाम में तब्दीलियां कीं। अब हमने अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर मुक़र्रर कर के, जो इंजीनियर भी है, उस के चार्ज में सब चीजें दे दी हैं। हमारे और हिन्दुस्तानी इंजीनियर्स भी उस में काम कर रहे हैं। एक जर्मन एक्सपर्ट हमने रखा है। फ़ाईनेंस कमेटी के मशविरे से हमने एक कमेटी भी नियत की थी जिसने जांच पड़ताल कर के तजावीज पेश कीं, जिन पर हमने ग़ौर किया और अमल करने का उद्योग किया जा रहा है। हमने इसमें ३००० वाटरमीटर बनाये, जिनमे से २००० की बिक्री हुई, १ हज़ार अपने सूबे में और १ हज़ार अन्य सूबों में। उनका टेस्ट हुआ और वे बहुत ठीक काम करते हैं। अब हम मास प्रोडक्शन करने की आशा करते हैं। आने वाले साल में, हम १०,००० मीटर बनाने का उद्योग कर रहे हैं जिन की क़ीमत लगभग ६ लाख के होगी। पारसाल जब यह बजट पेश कर रहा था तो हमारे एक मित्र ने कहा कि इस इंडस्ट्री को ख़त्म कर देना चाहिये। मैंने उनसे यह दरख्वास्त की कि मुझे भी उद्योग करने का मौक़ा दीजिये। बड़ी खुशी से मेरे साथियों ने मुझे मौक़ा दिया और आज मुझे यह कहने का अवसर है कि मैंने उस में काफ़ी तरक्क़ी की। जो पारसाल हालत थी उससे बदर्जहा बेहतर हालत है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, यह पहला प्रयास है और पहले प्रयास में दिक्क़तें और सैटबैक्स हुआ ही करते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनका पहले से अनुमान भी नहीं किया जाता है। इस वजह से भी रुकावटें पड़ जाती हैं। लेकिन इन बातों के होते हुये भी मुझे खुशी से अर्ज करने का मौक़ा मिला कि हमने उसमें आगे क़दम बढ़ाया है और आशा है कि वह हमारे सूबे में एक अच्छी इंडस्ट्री साबित होगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि इस धनराशि को स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष—कटौती के प्रस्ताव के लिये पहले अनुदान में १५ मिनट और दूसरे सदस्यों के लिये १० मिनट, बाक़ी अनुदानों में १० मिनट कटौती के प्रस्ताव के लिये और बाक़ी लोगों के लिये मैं ५ मिनट का समय रखता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। श्रीमन्, उद्योग मंत्री जी ने अपने सूक्ष्म भाषण में प्रीसीशन इंस्ट्रूमेंट्स के संबंध में और काटेज इंडस्ट्रीज के संबंध में बातें बतलायी हैं, उन पर तो बाद में विवाद होगा मैं चाहता हूं कि उद्योग मंत्री जी की खिदमत में कुछ ऐसी बातें पेश करूं जिन के करने में अभी उन के सामने पता नहीं क्यों कुछ दिक्कतें पड़ रही हैं। पहली बात तो मैं उन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी व्यवस्था हमारे प्रान्त में आज उद्योगों की है, उस में क्या गड़बड़ी है, और कैसी व्यवस्था होनी चाहिये इस पर भी मैं कुछ निवेदन करूंगा। जो व्यवस्था अभी तक चल रही है, वह जिस तरीके से चल रही है, वह बहुत ही नाकाफी और असंतोषजनक है।

जैसे कि शूगर इंडस्ट्रीज ले लीजिये, काटन इंडस्ट्रीज ले लीजिये इनमें बराबर झगड़े बने रहते हैं। मिल मालिकों की ओर से जो बैलेंस शीट बनायी जाती है, उस में आपत्ति होती है और मजदूरों को भी अपने बोनस का ठीक ठीक अन्दाजा नहीं लग पाता कि उन को कितना मिलना चाहिये और कितना मिलता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे जब हिसाब की जांच पड़ताल हो तो उस में दो आडीटर्स नियुक्त किये जायं, जिनमें एक मिल मालिकों की ओर से रहे और एक मजदूरों की ओर से रहे। जहां तक शूगर इंडस्ट्रीज का सवाल है वहां मजदूर और केन ग्रोअर्स के मिले जुले प्रतिनिधि इस में आ जायं और उन को भी तमाम हिसाब किताब देखने का अधिकार हो और सरकारी तौर से दोनों के आडीटर्स हिसाब किताब की जांच पड़ताल करें।

श्रीमन्, एक बात हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी मान लें कि जितने उद्योग, कल कारखाने व्यक्तिगत ढंग से चल रहे हैं उन में ऐसी आडीटिंग की व्यवस्था हो तो वर्तमान हालत में भी बहुत कुछ सुधार आजकल की परिस्थिति में हो सकता है।

इस के बाद मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं और वह खुद उन से सहमत होंगे और उन की जानकारी में, मुझे मालूम है कि ऐसी कुछ बातें हैं कि मिल मालिक जिस तरीके से हिसाब किताब रखते हैं और जिस तरीके से दाम देते हैं, जहां तक गन्ने का सवाल है, उस में बहुत धांधली, अन्याय और विषमता है। जिन के साथ उन की कोई सांठगांठ हो जाती है उन के साथ तो अच्छा व्यवहार कर देते हैं और पहले गन्ने के दाम दे देते हैं मगर सर्व साधारण के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। अगर इनके हिसाब किताब की जांच होगी और मजदूरों के भी प्रतिनिधि रहेंगे तो इस क़िस्म की सांठगांठ और गड़बड़ी नहीं हो पायेगी।

दूसरी बात जब मैं इस उद्योग की तमाम बातों को देखता हूं जिन के लिये यह ग्रांट मांगी गयी तो औद्योगिक शिक्षा के लिये भी अनुदान मांगा गया है। मैं एक ही घटना उद्योग मंत्री जी की खिदमत में रखना चाहता हूं। बनारस में एक सरकारी वोकिंग इंस्टीट्यूट है, जो उन के विभाग से संबंधित है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक महीने तक वहां हड़ताल चली और मुझे इसके बीच में पड़कर हड़ताल तुड़वानी पड़ी, इस आश्वासन पर कि जितनी गड़बड़ियां होंगी वह सब दूर की जायंगी मैंने उद्योग विभाग के जिम्मेदार व्यक्तियों से भी बातें कीं मगर अभी अभी कल हमारे पास जो वहां का पत्र आया है उस में दो नमूने के उदाहरण हैं। जिस अध्यापक से, जिस प्रिंसिपल से वहां के विद्यार्थियों को शिकायत थी, जिसके व्यवहार को ले कर के एक महीने तक हड़ताल चली उस के लिये तो पता नहीं सरकार क्या सोच रही है कि क्या करेगी मगर वहां दो ऐसे अध्यापकों को फिर भेजा गया जिन में से एक अध्यापक ने वहां के प्रिंसिपल महोदय को विद्यार्थियों के यूनियन को भी यह लिख कर भेज दिया है कि मैं जिस विषय की जानकारी नहीं रखता उस विषय को पढ़ाने के लिये मुझे यहां भेज दिया गया और वह बेचारा वहां से जाना चाहता है। मगर पता नहीं कि कौन सी ऐसी बात है कि जिस की वजह से उन को वहां रुकने के लिये कहा जाता है। इसी प्रकार एक कुंदीगर को बनारस से हटा कर मऊ भेज दिया गया और वह मऊ में अपने को बिल्कुल अनफ़िट पाता है। तो इस तरह की जो आज धांधली है उस का क्या उपाय होगा कुछ समझ में नहीं आता। इसी पत्र में यहां तक

[श्री राजनारायण]

लिखा हुआ है कि माननीय रऊफ़ जाफरी साहब भी वहां गये थे मगर वे वहां सर्किट हाउस में ही रुक गये, उन्होंने कृपा नहीं की कि वीविंग इंस्टीट्यूट में जाते और जा कर वहां के विद्यार्थियों की शिकायत सुनते। शायद उन्होंने यह अच्छा समझा हो और विद्यार्थियों को वहीं बुला लिया हो और उन की बातें सुनी हों। अब देखें कि इसका क्या नतीजा निकलता है। मगर मैं समझता हूं कि अगर वहां पर कोई जल्दी समुचित कार्यवाही नहीं होती है तो वहां का असंतोष बढ़ता जायगा और बड़ी दिक्कत होगी। और ज्यादा बातें मैं कहना नहीं चाहता, हमारी तो पूरी जानकारी है, सरकार की ओर से जो व्यक्ति नियुक्त किये गये थे उन से मैंने कहा भी कि हमारी पूरी जानकारी है और शिकायत का चिट्ठा उन की खिदमत में मैं पेश भी कर सकता हूं।

इस के बाद, श्रीमन्, गोरखपुर में एक इस विभाग से संबंधित शिक्षा संस्था है और लखनऊ में भी है। मुझे अफ़सोस है कि माननीय शिक्षा मंत्री श्री हर गोविन्द सिंह जी वहां पर गये हुये थे और उन के हाथ का रैकमेंडेशन वहां पर था कि गोरखपुर की इस शिक्षा संस्था में और लखनऊ की इस शिक्षा संस्था में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये मगर अभी तक पता नहीं कि गवर्नमेंट की क्या पालिसी उस के बारे में होगी और दूसरे जिलों में उस ढंग की पढ़ाई में जो विषमता है उस को दूर करेगी या नहीं, यह तो उन के समझने की बात है।

श्रीमन्, जहां तक उद्योग धंधे के विकसित करने का सवाल है मेरा ऐसा निश्चित मत है कि जब तक सरकार की मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा तब तक उद्योग धंधे के विकास की कल्पना करना निराधार है। यह सरकार को समझ लेना चाहिये। यह मैं नहीं कहता कि कुछ तो प्रान्तीय सरकार के अधिकार की बातें हैं और कुछ केन्द्रीय सरकार के अधिकार की बातें हैं तो केंद्रीय सरकार के अधिकार की जो बातें हैं उन को भी प्रान्तीय सरकार करे, ऐसी बात मैं कहना नहीं चाहता। मगर मैं यह जरूर चाहता हूं कि जहां पर विद्वान मंत्री लोग हों और वे तमाम सामाजिक गुत्थियों को सुलझाने की क्षमता रखते हों और सलाह भी देते रहते हों उन की सलाह को केंद्रीय सरकार नामुनासिब नहीं मानेगी। कम से कम हमारी ओर से तो इस का प्रयत्न होना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार के ऐसे कौन से क़ानून हैं जो इस समय हमारे उद्योग धंधों के विकास में बाधा डाल रहे हैं। मेरा अपना ऐसा अनुभव है कि केन्द्रीय सरकार भी सेंट्रलाइज्ड़ टेंडेंसी से इस समय काम कर रही है और जो राज्य की आमदनी है उस का ज्यादा हिस्सा वह ले लेती है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि केंद्रीय सरकार के बारे में कोई आलोचना माननीय सदस्य न करें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं अनुपात बता रहा था कि प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार की आमदनी में क्या अनुपात है। तो एक बाधा उद्योग मंत्री के रास्ते में यह पड़ती है कि सरकार के पास आमदनी की कमी है। तो उस आमदनी की कमी को दूर करने का भी कोई न कोई रास्ता निकाला जाना चाहिये। जहां तक मेरी जानकारी हो पायी है मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पहले जहां ४३ और ५७ का अनुपात प्रान्तीय और केन्द्र की सरकारों में होता था वहां अब ४१ और ५९ का अनुपात हो गया है। तो इसमें उद्योग मंत्री जी को दिक्कत होती है मगर ताले की इंडस्ट्री जो अलीगढ़ में है और बुनकारों का उद्योग बनारस, मऊ, तथा दूसरे स्थानों में जो है उन के लिये उद्योग मंत्री जी की तरफ़ से क्या प्रयत्न होते हैं? इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में कल कारखाने भी खोले जा सकते हैं उन के बारे में उद्योग मंत्री जी की तरफ से क्या प्रयत्न होता है। प्लाईवुड के ऐसे काफ़ी जंगल हमारे प्रदेश में हैं जिन में ऐसे कल करखाने खोल कर उद्योग को बढ़ाया जा सकता है। मैं समझता हूं इन सब का सरकार की तरफ से कोई समुचित प्रबन्ध नहीं हो पा रहा है। गृहकुटीर के विकास के लिये जो ग्रांट मांगी गयी है जब मैं उस को देखता हूं तो मैं नहीं समझ पाता कि इस छोटी सी रक़म से आखिर उद्योग मंत्री जी किस प्रकार कुटीर उद्योगों को विकसित करना चाहते हैं। इसमें केवल पालिटिक्स तो हो

सकती है यह कहने के लिये कि जितनी गुंजाइश थी, सरकार जो कुछ करने में समर्थ थी उतना उस ने कर दिया, यह तो हो सकता है। मैं चाहता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी यह समझें कि उद्योग का जीवन की आवश्यकताओं के लिये दूसरा नंबर है। जब कि खेती हमारी अन्न की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तो उद्योग धंधों से हमारे जीवन की दूसरी आवश्यकताओं कपड़े आदि की पूर्ति होती है लेकिन मैं देखता हूं कि इसमें बराबर कमी होती जाती है। अगर माननीय उद्योग मंत्री जी हिसाब लगायें तो उन को मालूम होगा कि जब पारसाल सारे बजट का इस मद पर १.४ प्रतिशत खर्च किया गया था, इस साल वह घट कर केवल १.२ प्रतिशत रह गया है। उद्योगों को और ज्यादा बढ़ाने की बात तो दूर रही, नये नये कल कारखानों के खोलने की बात तो और है वहां पर हर वर्ष कमी ही होती जा रही है। इससे दूसरी ही चीज साबित होती है और वह यह कि उन की पालिसी सुनियोजित नहीं है। हो सकता है माननीय उद्योग मंत्री जो इसी पालिसी को सुनियोजित मानते हों तो उस पर तो कुछ विवाद करना ही नहीं है लेकिन मैं उन से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई ऐसी योजना बनायी है कि व्यक्तिगत हाथों में कौन कौन से उद्योग धंधे रहेंगे और सामूहिक तौर पर कौन कौन उद्योग चलाये जायेंगे, क्योंकि किसी भी उद्योग को चलाने के लिये पैसा की आवश्यकता होती है, इंतजाम की आवश्यकता होती है, आदमियों की आवश्यकता होती है और कल कारखानों की आवश्यकता होती है।

छोटे छोटे खेतों के औजारों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यों तो सारे देश में जितनी फौलाद होती है वह केवल १२ लाख टन है जब कि अमरीका में ११ करोड़ टन और रशिया में साढ़े तीन करोड़ टन पैदा की जाती है लेकिन क्या छोटे छोटे औजारों को बना कर खेती की व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने की है? मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि ५ लाख रुपये से ऊपर की सम्पत्ति के जो उद्योग धंधे होंगे उन पर काफी कैपिटल लेवी लगा दी जायगी और वह लेवी इतनी होगी जिससे उस सम्पत्ति में से १ हजार रुपये से ज्यादा का मुनाफा उस मालिक को न मिल पायेगा। आज कल की जो व्यवस्था है उस को देखने से मैं समझता हूं कि ३ लाख रुपये से नीचे के जो उद्योग धंधे हैं उन को व्यक्तिगत हाथों में छोड़ा जा सकता है। अगर माननीय उद्योग मंत्री जी इस बात को समझने के लिये तैयार हों तो मैं समझ सकता हूं कि उन की पालिसी जनहित की है। अब वह परिस्थिति आ गयी है जब कि यह तय कर देना होगा कि फलां फलां उद्योग निजी हाथों में रहेंगे और फलां फलां सामूहिक हाथों में। ३ से ५ लाख तक जिन उद्योगों में पूंजी लगेगी वे किस तरह से निजी हाथों में रखे जायेंगे। अगर इस योजना के अनुसार माननीय उद्योग मंत्री जी प्रान्त के उद्योग धंधों को चलाने की कोशिश करेंगे तो हमारे सूबे का कल्याण होगा और आज जो चारों तरफ अराजकता और कुप्रबंध दिखाई देता है वह भी खत्म हो जायगा।

श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तमाम प्रांत के उद्योग धंधे का कोई अनुभव नहीं है इसलिये मैं नहीं कह सकता कि बाकी प्रांत में क्या हो रहा है। मुझे गाजियाबाद का यह अनुभव है इसलिये मैं उसी के संबंध में ही कुछ शब्द आपके द्वारा भवन में पेश करूंगा। गाजियाबाद देहली के नजदीक है। यह एक बहुत छोटा सा कस्बा था लेकिन स्वतंत्रता के बाद वहां बहुत से शरणार्थी भाई आये और उन्होंने कई किस्म के कारखाने वहां लगा रखे हैं। चूंकि वे भी जब आये तो उन्होंने किसी प्लान पर कोई कारखाना नहीं लगाया बल्कि जहां कहीं जगह मिली किसी को किराये पर मिली किसी को थोड़े लीज पर मिली तो उन्होंने जगह ब जगह अपने कारखाने लगा लिये हैं और उन कारखानों में लोहे के सामान बनते हैं, इंजन बनते हैं, आयल स्क्वेलर बनते हैं और आयल इस्पेलर तो ऐसे बनते हैं कि हिन्दुस्तान के लिये सप्लाई करने के लिये एक सेंटर बन गया है। वहां बनस्पति घी की मिलें भी दो हैं, वहां आयल मिल भी है, वहां ग्लास फैक्टरी भी है। जो सज्जन अभी देहली गये होंगे उन्होंने देखा होगा कि जगह ब जगह गाजियाबाद से लेकर देहली तक सड़क के दोनों तरफ कारखाने ही कारखाने खुले हुये हैं। चूंकि वे किसी तरतीब से नहीं खुले

[श्री तेजा सिंह]

हुये हैं इसलिये उनको कुछ अड़चन महसूस होती है। ५,६ महीने का अरसा हुआ मैंने माननीय मंत्री महोदय से भेंट की थी तो उनसे प्रार्थना की थी कि फैक्टरी एरिया कोई अलग बना दिया जाय ताकि अभी तक जो टेम्पोरेरी कारखाने वहां खुले हुये हैं उनको परमानेन्टली इस्टेब्लिश करने के लिये कुछ सहूलियतें मिल सकें। लेकिन मुझे शोक है कि अभी तक उस प्रार्थनापत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया/हालांकि माननीय मंत्री जी और माननीय उप-मंत्री जी खुद वहां जाकर देख आये ह कि कैसे वहां दस्तकारी का काम हो रहा है लेकिन कोई प्लान करने के लिये अभी तक कोई तजवीज नहीं की गयी। देहली के नजदीक होने की वजह से वहां कुछ ऐसे आदमी हैं जो कि देहली में काम करते हैं और गाजियाबाद में आकर रहते हैं। तो वहां हाउसिंग का प्रोबलम भी बहुत एक्यूट है, वैसे और जगह भी यही हालत होगी लेकिन वहां देहली नजदीक होने की वजह से मजदूरों के लिये मकानों की कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिस समय कोई नयी स्कीम आवे तो सेंट्रल से सबसिडी करके गाजियाबाद में मजदूरों के क्वार्टर के लिये भी कुछ प्रबंध किया जाय। और शायद और जगह के मजदूरों को भी कई किस्म की तकलीफें होंगी लेकिन वहां एक तकलीफ यह है कि मकान मालिक जो हैं, जब भी कोई अफसर जाता है, कोई माननीय मंत्री महोदय जाते हैं तो यह स्वाभाविक है कि कारखाने वाले उनको वही चीजें दिखलाते हैं जिनमें उनकी भलाई हो, जो चीजें अच्छी हैं वही उनके सामने रखी जाती हैं लेकिन मेरा यह अनुभव है कि शायद वहां किसी ने जाकर यह नहीं देखा है कि किसी कारखाने वाले ने मजदूरों के लिये जो क्वार्टर हैं या जो उनके लिये सहूलियतें हैं उनको भी जाकर दिखलावें तो मेरा सुझाव यह है कि जब भी मंत्री महोदय किसी कारखाने को देखने के लिये जायं तो वहां कारखाने वालों ने मजदूरों के लिये जो सहूलियतें दी हैं उनको भी पूछ कर देख लेने की कोशिश करें। चूंकि जो इंस्पेक्टिंग स्टाफ है उनकी नीयत पर शक नहीं कर सकते हैं, कुछ स्वाभाविक होता है कि हर एक आदमी ड्यूटी ठीक से अदा नहीं करता है तो मुझे इस बात को भी सोचना है कि उस तरफ भी ध्यान दिया जाय। लेकिन अगर माननीय मंत्री महोदय कारखानों में जाकर इस तरफ ध्यान देंगे तो कारखाने वाले भी मजदूरों की तरफ अवश्य ध्यान देंगे।

इसके साथ ही गाजियाबाद के करीब ही सहिबाबाद एक छोटा सा कस्बा है जहां बहुत से कारखाने खुले हुये हैं। सहिबाबाद एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है इसलिये वहां माल की बुकिंग नहीं हो सकती है तो तमाम माल उसको गाजियाबाद उतारना पड़ता है और चूंकि गाजियाबाद म्युनिसिपैलिटी है तो वहां बहुत से चुंगी के कर लगा रक्खे हैं और इस तरह भी उनका कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा पड़ता है। इसके साथ ही गाजियाबाद के नजदीक जमुना खादर और हिंडन नदी का खादर है। खादर में अक्सर जगह खाली पड़ी रहती है और वहां पशु भी होते हैं। इसलिये गाजियाबाद चमड़े के लिये बड़ा भारी केन्द्र है। वहां हर इतवार को पैंठ लगती है। मेरे पास कुछ आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन मेरा अनुमान है कि वहां लाखों का व्यापार होता है। लेकिन काफी चमड़ा वहां पैदा होता है। अगर गांव-गांव में छोटी-छोटी टेनरीज खुल जायं। बहुत से व्यापारी लोग बाहर से आकर वहां से चमड़ा ले जाते हैं। पाकिस्तान बनने के पहले तो कुछ मुसलमान सज्जन इसका व्यापार करते थे और लोग बताते हैं कि वहां के बने हुये जूते कलकत्ते जाते थे। तो मेरी यह भी प्रार्थना है कि वहां चमड़े की पैदावार को प्रोत्साहन दिया जाय। दिल्ली चूंकि नजदीक है इसलिये मार्केटिंग के लिये भी सहूलियत है। इसलिये मेरा ख्याल है कि वहां जो कुछ भी दस्तकारी आरम्भ की जायगी उसके बने हुये माल के लिये मार्केट मिल जायगा। यह भी एक बड़ा सवाल होता है कि माल बिके नहीं तब भी कोई कारीगरी नहीं चल सकती। लेकिन यहां से दिल्ली नजदीक है इसलिये मार्केटिंग की आसानी है। इसलिये भी अगर वहां अधिक तरजीह दी जाय दस्तकारी कायम करने के लिये, तो बहुत लाभप्रद रहेगा। बहुत सा रुपया गवर्नमेंट ने मोदी-

नगर में गोविन्दपुर नगर को आबाद करने के लिये शरणार्थियों के लिये खर्च किया है। चूंकि वह ऐसी जगह पर है जहां कि मार्केटिंग की आसानी नहीं है इसलिये पूरा लाभ नहीं हो रहा है। लिहाजा मंत्रिमंडल को अब गाजियाबाद की तरफ भी तवज्जह देनी चाहिये। इन शब्दों के साथ में जो अनुदान पेश है इन बातों की तरफ ध्यान दिलाते हुये उसका समर्थन करता हूं।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा माननीय उद्योग मंत्री जी को उनकी सफलता पर बधाई देना चाहता हूं जिससे यह प्रतीत होता है कि हमारे माननीय मंत्री जी अपने विरोधी तत्त्वों के सम्मिलित प्रयत्न से जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई उसमें भी जिस बहादुरी के साथ लड़ कर अपना रास्ता बना सकते हैं उसी से माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे आशा होती है कि वह जिस तरह के लड़ाका हैं उसी तरह से वह देश में अब जो काम उनके सामने है अन एम्पलायमेंट और अडंर एम्पलायमेंट की परिस्थितियों से युद्ध में भी उनको उसी तरह से सफलता प्राप्त होगी। मैं यहां के प्रांत की और खासतौर से आगरे की समस्याओं को उनके सामने रक्खूं उससे पहले एक बात जो मुझे खटकती है उसकी ओर सदन का ध्यान दिला देना चाहता हूं। जहां मुझे पंचवर्षीय योजना में जो कदम उन्होंने उठाया है उसके लिये प्रसन्नता है वहां मुझे खेद है कि उद्योग धंधों के विषय में उनकी बहुत ही अवहेलना का दृष्टिकोण रहा है। मुझे आश्चर्य होता है जब मैं यह देखता हूं कि देश के सारे साधनों का उपयोग जो कि पंचवर्षीय योजना में किया जायगा उसका केवल १. ४ परसेंट यानी करीब १७६ करोड़ रुपया ५ साल में उद्योग धंधों पर लगाया जायगा जो कि ५ रुपये प्रति व्यक्ति होता है। तो इसमें जो एक खतरे की बात है वह यह है कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारे नेता १५ वर्ष के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी पर कैपिटा इन्कम दुगुनी कर देना चाहते हैं लेकिन इसमें जो बात छिपी हुई है कि बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाये हुये जैसे जैसे लोगों की परचेजिंग पावर (क्रयशक्ति) बढ़ेगी त्यों-त्यों वस्तुओं की अधिक माँग होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रगति न होने से उन्हें जो मैनुफैक्चर्ड आर्टिकिल्स हैं वह अधिक दामों में मिलेगी और उसके दो असर होंगे। एक असर यह होगा कि ग्रामों में उत्पादित होने वाली वस्तुओं की कीमतें घटेंगी और मैनुफक्चर्ड आर्टिकिल्स की कीमतें बढ़ेंगी। जिसका परिणाम यह होगा कि जहां हम ग्रामों की प्रासपेरिटी को बढ़ाना चाहते हैं वहां फिर एक दफे ग्रामों का शोषण प्रारम्भ हो जायगा और उसका मुंह शहरों की तरफ हो जायगा। दूसरा खतरा जो इसमें छिपा हुआ है वह यह है कि देश के उद्योग धंधों के न बढ़ाने से लोगों की क्रयशक्ति बढ़ती है और उनकी जो आवश्यकतायें बढ़ेंगी उससे हमें विदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिये फिर मजबूर हो जाना पड़ेगा और उसका परिणाम यह होगा कि जहां हम अपने यहां के प्रत्येक व्यक्ति को पर कैपिटा इन्कम बढ़ाना चाहते हैं वहां फिर इसका रिएक्शन होगा और वह पर कैपिटा इन्कम जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं वह घट जायगी।

चूंकि समय थोड़ा है और मैं कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस देना चाहता हूं, इसलिये इस विषय पर कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन साथ ही मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान प्रदेश की काटेज इंडस्ट्रीज की तरफ ले जाना चाहता हूं। मुझे इसमें शक नहीं है कि विभाग की जो रिपोर्ट छपी है वह बहुत ही सुन्दर कागज पर छपी है और उसमें बहुत बातें भी लिखी गई हैं लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे उस सारी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि काटेज इंडस्ट्रीज के संबंध में प्रांत की सरकार ने अभी कोई प्रगति नहीं की है और अगर कुछ की भी है तो वह बहुत अपूर्ण है। मैंने कई बार इस सदन में माननीय मंत्री जी का ध्यान आगरे के जूते के व्यवसाय की ओर दिलाया है इस व्यवसाय पर करीब डेढ़ लाख लोग अवलम्बित हैं। इसमें ४० हजार वर्कर्स काम करते थे और अभी कुछ पूर्व जहां ४० जोड़े प्रतिदिन पैदा होते थे आज आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ५ हजार जोड़े मुश्किल से तैयार होते हैं

[श्री देवकी नन्दन विभव]

और स्थिति यह है कि यहां के सैकड़ों और हजारों कारीगर बेकार बैठे हुये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उन्होंने इस ओर अपना ध्यान न दिया तो वह परिस्थिति शीघ्र आने वाली है जब कि आगरे के लाखों और हजारों कारीगरों की भोजन की समस्या बहुत तेजी से उनके सामने आ जायगी और जिसको वह संम्हाल नहीं सकेंगे। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे प्रार्थना करने पर सुपरिण्टेण्डेण्ट लेदर इंडस्ट्रीज को और एक दफा हमारे माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब को आगरे भेजा लेकिन मुझे आज तक मालूम नहीं है कि उसका परिणाम क्या निकला।

इसके बाद मैं उनके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। एक तो यह कि अमेरीकन मिशीगन यूनिवर्सिटी के आधार पर यहां भी वे एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रयत्न करें। गोरखपुर में अभी एक यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है लेकिन क्या मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना कर सकता हूं कि यूनिवर्सिटियों की संख्या अधिक न बढ़ाकर एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम की जाय जिसमें यहां के टेक्निकल ब्रेन (मस्तिष्क) को हम डेवलेप कर सकें और उसके लिये ५०,६० लाख रुपया हर साल अनुदान में से सरकार को देना होगा। और मुझे आशा है कि ऐसी यूनिवर्सिटी के लिये सेंटर से कम से कम २५,३० लाख रुपया मिल सकेगा। यह रुपया बड़ी इंडस्ट्रियों पर सर चार्ज लगाकर या उनसे वैसे प्राप्त करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त कुछ डिसेन्ट्रलाइज टेक्निकल इंडस्टीट्यूट खोलने चाहिये जिसके ऊपर २५ लाख रुपया खर्च किया जाना चाहिये। यह २५ लाख रुपया आप इस वक्त प्राप्त कर सकते हैं। इस समय टेक्निकल एजुकेशन पर ९ लाख रुपया खर्च करते हैं और इंडस्ट्रियल एजूकेशन पर केवल आप २१ लाख रुपया खर्च करते हैं जब कि कुल एजूकेशन पर ९ करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसमें से २५ लाख रुपया बचाकर विशेषकर यूनिवर्सिटी को देते हुये अनुदान से या दूसरे सेकेंडरी एजूकेशन से घटाकर इस २५ लाख रुपये से आप डिसेंट्रलाइज टेक्निकल संस्थाओं का संचालन करें।

एक निवेदन मैं आपसे और करना चाहता हूं कि एक इंडस्ट्रियल मार्केटिंग बोर्ड होना चाहिये। मैंने इंडस्ट्रियल रिआर्गनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट को देखा है उसमें २० वर्ष पहले एक मार्केटिंग बोर्ड के लिये सिफारिश की गई है लेकिन मुझे अफसोस है कि वह मार्केटिंग बोर्ड अभी तक नहीं कायम किया गया। यहां पर जो मार्केटिंग कारपोरेशन के नाम से एक संस्था कायम है खेद है राशनिंग के टाइम में फूड प्रोक्योरमेंट ही उसका काम रहा है लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि इस का काम प्रदेश के उद्योग धन्धों के बाजार संगठित करना होना चाहिए मार्केटिंग फैडरेशन का एक बहुत बड़ा स्थान है।

मैं आपका ध्यान विशेषरूप से एक बात की ओर और दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि आपको एक कारपोरेशन यहां पर ऐसा स्थापित करना चाहिये कि जो मशीनरी हायर परचेज सिस्टम पर लोगों को दे सके। यह अत्यन्त आवश्यक है और गवर्नमेंट इसको अपनी तरफ से स्थापित करे और गवर्नमेंट यदि अपनी तरफ से इसको स्थापित न करे तो ज्वाइंट स्टाफ़ कम्पनी की तरह से स्थापित करे और ५१ फीसदी उसमें गवर्नमेंट अपने शेयर रखे। मेरे और जो सुझाव है वह मैं आपको लिखकर भेज दूंगा, क्योंकि मेरा समय अब खत्म होने जा रहा है। मैं एक बात और अन्त में आपसे निवेदन करता हूं कि काटेज इंडस्ट्री की रक्षा के लिये यह जरूरी है कि आपने एलेक्ट्रिक पर सर चार्ज लगाया है २५ फीसदी, मैं आपसे यह आशा करता हूं कि आप उसको दूर करने की कृपा करेंगे।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा परम्परा के अनुकूल इस अनुदान को उपस्थित करने के हेतु माननीय मंत्री जी को धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे मंत्री जी महोदय, जो चन्द सुझाव मैं पेश करूं उन पर विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे। स्वराज्य के बाद यह परम कर्त्तव्य था हम सब का और हमारी सरकार का कि वह पंचवर्षीय योजना के बनाने के पहिले अपने दर्शन और अपने प्लान्ड इकनामी का प्रचार करते। परन्तु यह दुख की बात है कि जिस तरह से एक पुराना जीर्ण शीर्ण कपड़ा हो जाता है तो उसका प्रयोग करने हेतु जगह बजगह पेबंद लगाया जाता है और वह चन्द दिनों के बाद जो पैचेज होते हैं वह भी टूट जाते हैं यही हालत आज हमारे समाज की है। ऐसे समाज के लिये यह पंचवर्षीय योजना जो हमारे सामने आई है या जो अनुदान हमारे इस प्रदेश के लिये उद्योग का आया है यह सब एक पेबंद के सिवा और कुछ नहीं है। यदि आप देखें और समझने की कोशिश करें तो आपको यह स्पष्ट हो जायगा कि श्रम विभाग किसी के पास है, उद्योग विभाग किसी के पास है, सिंचाई विभाग किसी के पास है तो कृषि विभाग दूसरे के पास है। इस सब से यह अनुमान होता है कि विभागों का वितरण एक निश्चित कार्य-क्रम के अनुसार नहीं हुआ। हालांकि यह सही है कि कैबिनेट की विचार धारा और उन का उद्योग एक सामूहिक होता है और वह सब मिल कर काम करते हैं लेकिन फिर भी कुछ व्यक्तिगत प्रभाव भी होता है और हमारी विचारधारा की प्रगति उन व्यक्तियों द्वारा ही सामने आती है। देखने में यह आता है कि जिस तरह से हमारी सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग को दरख्वास्त देने में दो तीन महीने लग जाते हैं वैसे ही जो विभाग मंत्रियों के पास हैं यदि उनका वितरण किसी प्लान्ड एकनामी और प्लान्ड सिस्टम से होता तो सिंचाई एक के पास और कृषि विभाग दूसरे के पास न होता और उद्योग और श्रम अलग-अलग विभागों में न बटा होता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा विशाल हमारा प्रदेश है और उसमें यह छोटा सा अनुदान एक पेबन्द का भी काम नहीं कर पा रहा है। हम देखते हैं कि हमारा यह प्रदेश बंगाल और बम्बई को छोड़कर उद्योग में सबसे आगे हैं और मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि आपका सूबा किसी-किसी उद्योग में न केवल अपने देश में ही बल्कि सम्पूर्ण एशिया में प्रतिनिधित्व करता है, प्रमाण के लिये अगर कानपुर की इंडस्ट्री को देखें और ध्यान दें तो वहां जो चमड़े की इंडस्ट्रीज हैं, हथियार बनाने की इंडस्ट्रीज हैं और इनके अलावा और भी बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं कि अगर उन पर तवज्जह दी गई होती तो आज हमारा प्रांत देश में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण एशिया का मार्ग प्रदर्शन करता होता। आज के समय में यह सही है कि हमारा देश एक खेतिहर देश है फिर भी हम जब तक उद्योग की उन्नति नहीं कर सकते और जब तक उद्योगों को प्लार्निंग ढंग से नहीं कर सकते उस वक्त तक हम अपनी बेकारी की समस्या को दूर नहीं कर सकते। यह सही है कि हमारे यहां १ करोड़, २ करोड़, दस करोड़ या २० करोड़ रुपया और अगर मैं यह कह दूं कि दुनियां की जितनी सम्पत्ति है वह भी लाकर इसी प्रदेश में लगा दी जाय फिर भी अगर बगैर प्लार्निंग के आप बेकारी की समस्या को हल करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। आज रेशनेलाइजेशन के नाम पर मजदूरों की छटनी होती जाती है, वह बेकार होकर अपने घर बैठते जाते हैं। उद्योगों में भी आप देख रहे हैं कि जो पूंजीपति यहां के हैं वह अपनी पूंजी को होशियारी से अपने पास रखे रहते हैं और किसी उद्योग में उसे नहीं लगा रहे हैं, वह सरकार को अपंग बना देना चाहते हैं और हम सब उस तरफ विशेष तवज्जह नहीं दे रहे हैं। हमारा कोई प्लार्निंग नहीं है। होता यह है कि एक सुझाव आया, कार्यरूप में परिणत कर दिया गया और यदि कहीं उलझन आई तो रुक गया और हम जहां के तहां रह गये। ऐसी दशा में हमें यह विचारना होगा कि आया हम सारे समाज को उथलपुथल करके हमारी जो रूढ़वादिता है, जो रेडटैपिज्म है, ज्यादा विचार करने की जो हमारी आदत है उसको बालायेताक रख कर एक क्रांतिकारी कदम उठायें और एक ऐसा कदम उठायें

[श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र]

जिससे यदि हमारे पास साधन कम हैं, आदमी ज्यादा हैं, तो घंटे कम करके उद्योगों का वितरण, उसका प्लानिंग इस ढंग से करें कि जो हमारे बेकार आदमी हैं उनको कुछ न कुछ हिस्सा कार्य करने का मिल जाय।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने आज काम के घंटे घटा करके ८ घंटे कर दिये। मगर साथ ही साथ जो तीन पारी चलने वाली थी वह भी कम हो गयी। इस प्रकार उत्पन्न स्थिति का कारण केवल यह है कि श्रम विभाग की समस्याओं को सोचने वाले अलग हैं और उद्योग की समस्याओं को सोचने वाले अलग हैं। एक पूर्व को चला जाता है तो दूसरा पश्चिम को चला जाता है। एक कर्त्तव्य निभाने की बात करता है, तो दूसरा हक मांगने की बात करता है। जब तक कर्त्तव्य और हक का समन्वय नहीं होता तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह सुझाव अपने उद्योग मंत्री महोदय को देना चाहता हूं कि सारे युक्त प्रांत को उद्योगमय बनाने के लिये तीन हिस्सों में बाँट दें। एक हिस्सा नागरिक होगा, दूसरा हिस्सा ग्रामीण होगा और तीसरा हिस्सा हमारा पर्वतीय होगा।

पर्वतीय हिस्से जो हैं उनमें हमें उस प्रकार की इंडस्ट्री जैसे स्विटजरलैन्ड में, या जापान में हैं, छोटे छोटे कल पुर्जे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से, सुगमता से चले जाते हैं और आसानी से वह जीविका उपार्जन कराते हैं। जैसे कि घड़ियों के उद्योग की ही मिसाल आपके सामने है। छोटे-छोटे पुर्जों से ही यह बनती है। इसी प्रकार ग्रामों में जैसे पिछली मर्तबा एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारी सरकार ने तरक्की की और सुपरफाइन कपड़ा हमारे देहातों में भेजा, तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह वही अनप्लांड इकनोमी की कहानी है कि जहां हमको एक चीज भेजनी चाहिये वहां हम दूसरी चीज भेजते हैं और जहां दूसरी चीज भेजनी चाहिये वहां तीसरी चीज भेजते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो ग्रामीण जीवन की वस्तुयें हैं उनका पहनाव उढ़ाव जो कुछ है उनकी तैयारी के लिये ग्रामीण ढंग की उद्योगशालायें स्थापित की जायं। शहरों के विषय में तो आपसे कुछ कहना ही नहीं है। एलेक्ट्रिसिटी वगैरह से उत्पन्न जो शक्तियां हैं उनका कैसे वितरण हो यह भी यहां एक अजीब सी प्रणाली है। मैं चूंकि समय ज्यादा नहीं है आपके द्वारा इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज पेवन्द लगे हुये जाल में जो आदमी केवल निकलने के लिये छटपटाता है वह उतना ही उसमें फंसता जायगा।

मैं श्री उद्योग मंत्री से इतना ही और निवेदन करना चाहता हूं कि वही जमींदारी विभाग के मंत्री थे और उन्होंने उसका उन्मूलन करके एक नयी व्यवस्था कायम करके प्रांत को एक सुअवसर प्रदान किया। अब यह उद्योग विभाग उनके पास आया है। हमें आशा है कि उद्योगपतियों द्वारा उत्पन्न प्रणाली और स्थिति का उन्मूलन करके सारे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करेंगे और हमारी बेकारी को दूर करने में वह अपनी कुशलता का परिचय देंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य जो बोल रहे थे, मैं भी उनसे सहमत हूं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि किसी देश की उन्नति के वास्ते वहां के उद्योग धंधों को इंडस्ट्रियलाइज करना बहुत जरूरी है। हमारा प्रदेश, हम मानते हैं कि कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब तक हम कृषि के साथ साथ अपने उद्योग धंधों का उत्थान नहीं करते हैं, हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है और देश की कंगाली, गरीबी और बेकारी को दूर करने के लिये उद्योग धंधों का उत्थान होना बहुत जरूरी है। इसके लिये जैसे माननीय समस्य ने कहा कि हमारे प्रदेश में दोनों प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और छोटे-छोटे कुटीर उद्योग धंधे हैं। देश की उन्नति के वास्ते

यह बहुत जरूरी है कि इन तीनों प्रकार की इंडस्ट्रीज का कोआर्डिनेशन हो और सबका डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली हो। इसके लिये यह जरूरी है कि प्रदेश का एक डिटेल्ड इंडस्ट्रियल सर्वे किया जाय, जिससे यह मालूम हो सके कि प्रदेश के किन किन हिस्सों में वहां के रा मैटिरियल्स और अन्य साधनों को देखते हुए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज डेवलप की जा सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना भी कहना चाहता हूं कि सरकार को डिस्ट्रिक्टवाइज सर्वे करना चाहिये ताकि यह मालूम हो सके कि प्रत्येक जिले का औद्योगिक विकास वहां के उपलब्ध साधनों के मुताबिक हो सके, बल्कि मैं यह भी चाहूंगा कि हमारी सरकार की जो जिला प्लानिंग कमेटी हर एक जिले में है वहां यह भी लिखित रिकर्ड होना चाहिये कि प्रत्येक जिले में प्लानिंग कमेटी के अन्दर जितने डेवलपमेंट ब्लाक्स हैं वहां कौन कौन कुटीर उद्योग धंधे डेवलप किये जा सकते हैं। जब अच्छी तरह से हमारे पास डिटेल्स, रेकार्ड्स या सर्वे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और कुटीर उद्योग धंधों का हो जायगा तभी हमारे जो उद्योग धंधे हैं, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्कीम है वह समुचित तौर से हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार अगर रुपया कितना ही खर्च करती लेकिन अगर वह प्लांड तरीके से खर्च न हो तो रुपये की तादाद भले ही ज्यादा खर्च हो लेकिन जनता को लाभ नहीं होगा। सरकार ने १० लाख रुपया बेकारों की समस्या को हल करने के वास्ते बजट में रखा है। मैं नहीं समझता कि सरकार इस बेरोजगारी की समस्या को किस प्रकार से हल करने जा रही है। मैं समझता हूं और विश्वास है कि १० लाख जो है वह इसी तरह से खर्च किये जायंगे या खर्च न करके लैप्स कर दिये जायें। १० लाख रुपये से कौन सी योजना सरकार बनाने जा रही है जिससे बेकारी की समस्या हल हो सके? इस वास्ते जब तक हम अपने प्रदेश का औद्योगिक सर्वे न करायें, हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वह सफल नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने पर्वतीय जिलों का जिक्र किया है, मैं समझता हूं कि वहां उद्योग धंधों की ज्यादा आवश्यकता है इसका कारण यह है कि खेती-बारी वहां कम होती है, अन्य व्यवसाय कुछ नहीं है, लड़ाई भी नहीं है कि वहां जा कर भरती हो जायं। इसलिये बेरोजगारी है। अगर सरकार उनके लिये रोजगार देना चाहती है तो उसे कुछ व्यवसाय और उद्योग धंधे जरूर खोलने चाहिये।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों ने एक दरख्वास्त दी थी कि वहां एक एम्पलायमेंट एक्सचेंज आफिस खोल दिया जाय, क्योंकि वहां बहुत से बेरोजगार लोग हैं जिनको एनरोल करने के वास्ते पौड़ी या देहरादून जाना पड़ता है, जिले में कोई दफ्तर नहीं है। सरकार ने वहां एक भी एम्पलायमेंट एक्सचेंज आफिस की व्यवस्था नहीं की है।

माननीय मंत्री जी को एक बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक वूल ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर खोलने की व्यवस्था की है। पर इसी से वहां की समस्या हल नहीं हो सकती है जब तक कि वहां कारखाने न खोले जायं जैसे रेजिन है, पेपर या मैच इंडस्ट्री है, जिसके वास्ते वहां रा मैटिरियल्स भी हैं। अगर सरकार इनको खोलने की व्यवस्था करे तो बेरोजगारी का हल हो सकता है। इसके साथ-साथ मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय इलाकों में जूलाजिकल सर्वे कराया जाय, वहां नैचुरल रिसोर्सेज टैप किये जा सकते हैं और खनिज पदार्थ जैसे जिप्सम, माइका, लाइम, कापर, सिलवर इत्यादि चीजें मिलती हैं। अगर सरकार सर्वे कराये तो बहुत मुमकिन है कि खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगे और देश के लिये हितकर होंगे। इसके साथ साथ मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जो ऊन की इंडस्ट्रीज वहां खोली जा रही हैं, उनके वास्ते भी मैं यह कहूंगा कि वह जिले में उन स्थानों पर खुलें जहां ऊन का व्यवसाय चल सके जैसे कल मैंने माननीय कृषि मंत्री जी की एक योजना सुनी, बहुत अच्छी है, पर्वतीय इलाकों के लिये बहुत अच्छा है कि

[श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट]

ऊन का केन्द्र वहां खुले लेकिन उसका केन्द्र, जो वे ऋषीकेश में बना रहे हैं और वहां भेड़ों के डेवलपमेंट की स्कीम चला रहे हैं, वहां पर्वतीय भेड़ें गरमियों में नहीं रह सकतीं। तो यह केन्द्र उपयुक्त स्थानों पर खोले जायं। यह रुपया जो इस तरह से खर्च कर रहे हैं इसे अगर ठीक ढंग से खच किया जाय और किसी जगह की आबोहवा और जलवायु को देखकर कोई स्कीम चलाई जाय तो उससे काफी फायदा हो सकता है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे देश में राजनैतिक आजादी हो जाने के बाद अब देश की जो समस्या हमारे सामने उपस्थित है वह यही है कि कैसे इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारें ताकि हर एक व्यक्ति विशेष के लिये खाने को भोजन, पहनने को कपड़ा, रहने को मकान आदि की सुविधा हो सके? उनकी शिक्षा और उनके लिये अस्पताल वगैरह का इन्तजाम भी सुचारुरूप से चल सके। तो इस समस्या का हल तभी हो सकता है जब कि हमारी इंडस्ट्रीज ऐसे प्लांड तरीके पर हों कि देश का विकास हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें। अगर पाश्चात्य देशों के इतिहास को देखें तो इन देशों की उन्नति तभी हुई जब कि वहां इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हुए, इंडस्ट्रीज का विकास हुआ। एग्रीकल्चरल स्टेज के बाद ज्यों ही इंडस्ट्रियल स्टेज आया त्यों ही उन लोगों ने तमाम साधनों, लैन्ड, लेबर, कैपिटल, आर्गेनाइजेशन आदि का समन्वय किया और देश के जो ज्यादा से ज्यादा इकानामिक रिसोर्सेज थे उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके अपने देश की उन्नति की। तो यह समय है जब कि हम लोगों को उनका अनुकरण करना चाहिये और अपने देश को जो कि एग्रीकल्चरल स्टेज में है उसको इंडस्ट्रियल स्टेज में लाना चाहिये। हमारे देश में इकोनामिक रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है और दूसरे साधनों की भी कोई कमी नहीं है। हमारे देश में टैलन्ट की कमी नहीं। लोग जिनमें देश के लिये त्याग की भावना हो उनकी कमी नहीं अगर इन सबका समन्वय किया जाय और हम सब लोग मिलकर अपने देश की उन्नति के लिये, तन, मन, धन से जुटकर इन चीजों से फायदा उठायें तो मुझे पूर्ण आशा है कि हम अपने देश को भी वैसा ही उन्नत बना सकते हैं जैसे कि और फारेन कंट्रीज हैं। तो यह समय आया हुआ है जब कि हम सब लोगों को मिलकर इस काम में लगना चाहिये। आज जब कि हम सोचते हैं कि देश का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ाया जाय तो यह तभी बढ़ सकता है जब कि हर एक व्यक्ति विशेष को काम करने का अवसर अपार्चुनिटीज मिलें। वह सब संगठित होकर काम कर सकें। हमारे देश की मैन पावर बहुत बड़ी है उसका हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिये। हम ऐसी योजना बनायें कि जिससे हम देश के विकास को अधिक से अधिक कर सकें। मैं पहाड़ के बारे में मंत्री महोदय से कुछ कहना चाहता हूं। वहां के रहने वाले बड़े हार्डी होते हैं, बहुत काम करने की उनको इच्छा होती है, बहुत ही मजबूत होते हैं। अगर उनको अपार्चुनिटीज दी जाय तो वहां बहुत कुछ विकास हो सकता है। वहां के मर्द ही नहीं बल्कि वहां की औरतें भी बड़ी ताकतवर होती हैं और मैं दावे से कह सकता हूं कि वहां की औरतें मैदानों के मरदों से कहीं अधिक काम करने वाली होती हैं। उनके लिये अगर हम कोई काम की व्यवस्था करें, कोई योजना बनायें, स्माल काटेज इंडस्ट्रीज वगैरह खोलें तो हम उनसे पूरा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम उन लोगों के लिये कोई व्यवस्था ही न करें कि वह कहीं काम करें, देश के निर्माण में सहायता करें, नेशनल वेल्थ को बढ़ायें तो कैसे इस देश का भविष्य बनेगा। मैं यह भी दावे से कह सकता हूं कि पर्वतीय इलाकों को जो एक डेफिसिट एरिया समझा जाता है, अगर उनका समुचित विकास किया जाय तो वह देश के निर्माण में बहुत बड़े सहायक हो सकते हैं। और इस देश के नेशनल वेल्थ को बहुत बढ़ा सकते हैं। पहाड़ों में बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हो सकती हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान अब तक नहीं गया है। और डेफिसिट के बजाय सरप्लस इलाका बन सकता है। लोगों के पास इतना धन नहीं है कि वे अपने धन से उन योजनाओं को चलायें। अगर सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता हो तो मुझे पूर्ण आशा है कि कई किस्म के रोजगार वहां चल सकते हैं। मैं सरकार को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि उसने अभी ऊन के कारोबार के लिये एक योजना बनाई है। अगर उसमें सही मानों

में अच्छे तरीके से धन का वितरण और जो कर्मचारी इसके लिये रखे गये उन्होंने अगर इस काम को अच्छी तरीके से कार्यान्वित किया तो मुझे पूर्ण आशा है कि ऊन का बहुत बड़ा व्यापार हमारे प्रदेश में हो सकता है। ऐसे ही कई और रोजगार हैं, वन की व्यवस्था है, आज हम बनों को बड़ी बेदरदी से उजाड़ते चले जा रहे हैं। सही मानों में अगर देखा जाय तो प्रकृति की जो देन है उसका एक बड़ा भारी रहस्य है। जंगलों से जो उत्पादन आज हमारे देश में हो रहा है उसका अगर हम फायदा उठायें तो देश में जो अनएम्प्लायमेंट की समस्या हमारे सामने है उसको हम दूर कर सकते हैं। अभी तक जंगलों से सिर्फ रामैटीरियल ही निकाला जाता है अगर मैं कहता हूं कि जब तक देश रामैटीरियल पर ही अपने को सीमित रखेगा, अपना आधारभूत यहीं तक बनायेगा कि रामैटीरियल ही पैदा करे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। देश का विकास तब हो सकता है जब हम फिनिश्ड प्राडक्ट्स बनायें। आप देखते हैं कि लकड़ी जो एक बेशकीमती चीज है उसको हम फिजूल खर्च कर रहे हैं और हजारों की तादाद में दरख्तों को काट रहे हैं। उससे कोई लाभ हमारे देश को नहीं मिल रहा है। अगर इन चीजों का फिनिश्ड प्राडक्ट बना करके हम विदेशों को भेजें तो हमारे देश को बहुत लाभ हो सकता है। वोविन फैक्टरी, रेजिन फैक्टरी, प्लाईवुड फैक्ट्री, जिनका कई दफा मैं जिक्र कर चुका हूं और भी कई चीजें ऐसी हैं जो काम में नहीं लाई जा रही हैं उनको भी फैक्ट्री खोली जा सकती है और उससे देश का विकास हो सकता है। ऐसे ही पहाड़ों में कई काटेज इंडस्ट्रीज जो वहां के लोग किया करते हैं उनको अगर हमारी सरकार धन और साइंटिफिक या टेक्निकल ऐडवाइज़ दें तो उनमें बड़ा भारी विकास हो सकता है। जैसे लेदर है, आज तक जितने जानवर वहां मरते हैं वे अधिकतर यों ही नालों में फेंक दिये जाते हैं। पांच दस परसेंट तक ही खालें निकाल कर बेची जाती और वे भी बहुत मामूली कीमत पर बेची जाती हैं। ऐसेही वूल इंडस्ट्री है उसका भी विकास हमारे प्रदेश में हो सकता है। हमारा हिमालियन रीजन जो पांच छै हजार हैं फीट अबव सी लेविल है वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन का फायदा हम उसी प्रकार उठा सकते हैं जैसे कश्मीर उठा रहा है।

कश्मीर में बहुत सी चीजें देखने का मुझे मौका मिला। मैं उनका पूर्णरूप से समयाभाव के कारण वर्णन नहीं कर सकता मगर वह देश एक पिछड़ा हुआ देश होने पर भी बहुत कुछ उन्नति इस ओर कर रहा है। जैसा हमारे एक भाई ने बतलाया कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका ट्रांस्पोर्ट सहज हो और हलकी चीजों का विकास हमारे पर्वतीय इलाकों के लिये हो सकता है। मैं फिर मौका मिलने पर सरकार का ध्यान कई इंडस्ट्रीज की ओर आकर्षित करूंगा मुख्यत: मैं चाहूंगा फलों की योजनाओं को, आलू की योजनाओं को चालू किया जा सकता है। आलू को कोल्ड स्टोरेज में रख करके विकास किया जा सकता है। फलों और सब्जियों के लिये सीड प्रोड्यूसिंग फार्म्स खोले जा सकते हैं। फलों की टिनिंग की जा सकती है और फलों को कोल्ड स्टोरेज में रख करके उचित कीमत में विक्रय हो सकता है और अचार, मुरब्बा और मारमलेड आदि ऐसी चीजें हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जा सकता है। ऊन की कालीनें हैं, कम्बल हैं, पश्मीना है, लकड़ी का सामान है, चटाई है, टोकरी है, जौइनरी मिल द्वारा दरवाजे और खिड़की का सामान है, प्लाई वुड है, स्पोर्ट का सामान है, और भी बहुत सा सामान है जो वहां बन सकता है। वहां बहुत से स्ट्रीम्स हैं जहां ट्राउट फिशिंग का काम हो सकता है इसके साथ साथ टी इंडस्ट्री है, वी हाइव इंडस्ट्री है, पोल्ट्री फार्मिंग है, डेयरी फार्म्स से मक्खन, चीज, पनीर का काम हो सकता है। रेशम के कीड़ों और शहतूत के पेड़ों का विकास करके सिल्क इन्डस्ट्री का काम हो सकता है। इस प्रकार कई खनिज पदार्थ तांबा, माइका आदि के यहां पर्वतीय इलाके में बहुत से कार्य खानों के हो सकते हैं। यदि यहां आयात निर्यात के साधन उपलब्ध हों तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमालिया पहाड़ कश्मीर से कहीं अधिक सुन्दर है, कमी केवल इतनी है कि यहां आयात और निर्यात के साधन नहीं हैं, जंगल काट डाले गये हैं परन्तु उगाये नहीं गये हैं, पहाड़ रूखे पड़े हुये हैं। यदि यहां भी पहाड़ों में हरे भरे एमुर ग्रीन कौनोफरस फारेस्ट उगाये जायं तो हमारा हिमालय पहाड़ कश्मीर से सुन्दरता में कहीं ज्यादा मनोहर हो सकता है और इस प्रान्त का ही नहीं वरन इन्टरनेशनल टयूरिस्ट ट्रेड पैदा किया जा सकता है।

श्री ऐज़ाज़ रसूल (जिला हरदोई)—जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे समय दिया। हुजूरवाला हमारा सूबा जरायती सूबा है। उसके बाद काटेज इंडस्ट्रीज इस सूबे की बहुत इम्पारटेंट इन्डस्ट्रीज हैं। हम लोग बहुत मशकूर और ममनून हैं कि हमारे मिनिस्टर महोदय ने इस सूबे की काटेज इन्डस्ट्रीज की तरक्की के लिये दो बोर्ड बनाये। एक तो स्माल स्केल काटेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड और दूसरा हैन्डलूम बोर्ड। इन बोर्डों के सुपुर्द यह काम किया गया है और यह भी कोशिश की जा रही है कि वे बोर्ड दिलचस्पी लें और ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को हर मामलात में मदद दें। अब हुजूरवाला हैन्डलूम इन्डस्ट्री इस सूबे की सबसे बड़ी इन्डस्ट्री है और मद्रास के बाद यही सूबा है जहां कि यह इन्डस्ट्री काम कर रही है। करीबन इसमें ८ लाख कारीगर काम कर रहे हैं लेकिन उनको छोड़ कर मैं जो सिर्फ कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनकी तरफ ही आनरेबिल मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि करीब ८ सौ कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं। कोआपरेटिव सोसाइटीज ने हाल में एक इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव असोसिएशन कायम कर लिया है लेकिन गवर्नमेंट खर्चा बहुत कम कर रही है। गवर्नमेंट कुल अब एक लाख सात हजार रुपया खर्च कर रही है और उसमें सिर्फ ६ इन्स्पेक्टर, ६० आडिटर, ५ सुपरवाइजर और सिर्फ २५ एकाउन्टेंट हैं। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जह करके काफी रुपया खर्च करेगी। ८०० सोसाइटीज हैं, रोज बरोज, गवर्नमेंट की, पब्लिक की और हर शख्स की तवज्जह यही है कि सोसाइटीज कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई जायं क्योंकि कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से तरक्की हो सकती है।

इस वक्त हैन्डलूम के जो वर्कर्स हैं वह बहुत परेशानी में हैं। उनका माल जो है वह बिक नहीं रहा है। सिर्फ मैं काटेज इन्डस्ट्रीज की तरफ से कह सकता हूं कि करीब ८ या ९ लाख रुपये का माल पड़ा हुआ है। प्राइसेज जो हैं वह घट गयी हैं। नतीजा यह है कि जितने का वह खरीदा गया था सूद पर वह अगर बेचा जाय तो बहुत लास होगा। इसलिये कोआपरेटिव कांफ्रेंस में हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और यह रिक्वेस्ट की थी कि यू० पी० गवर्नमेंट सेन्टर से रिक्वेस्ट करे कि वह सबसीडी करीब ५ लाख रुपये की दे दे, इससे मदद हो सकती है। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट आफ इंडिया इस पर विचार कर रही है और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर बहुत जोर देगी कि काटेज इंडस्ट्रीज को किस तरह से फाइनेंस किया जाय। इसमें यह है कि बिग इन्डस्ट्रीज के ऊपर सेस लगा दिया जाय और उस सेस का जो रुपया आवे तो वह रुपया काटेज इन्डस्ट्रीज की तरफ दिया जाय ताकि उस रुपये से वह अपना काम चला सकें और सूबे की तरक्की हो सके।

हुजूरवाला एक मेम्बर साहब ने यह जिक्र किया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे की जाय। इस सूबे में गवर्नमेंट आलरेडी सर्वे कर चुकी है बल्कि इसके साथ ही साथ एक बुकलेट निकली है उसकी तरफ मेम्बर साहब तवज्जह करते, उसमें हर जिले में इन्डस्ट्रीज का जो काम हो रहा है उनपर उसमें लिखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इसपर गौर करेंगे। अब दूसरी एक बात और पैदा होती है कि जितनी हैन्डलूम इन्डस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि फलां-फलां चीज रिजर्व करदी जायं, वह रेजोल्यूशन नाकाफी है। कम से कम मैं यह चाहता हूं कि यू० पी० गवर्नमेंट और इस भवन के सदस्य इस बात पर जोर दें कि इन इन चीजों को बिग इन्डस्ट्रीज बिल्कुल न बनायें क्योंकि उनके न बनाने से सूबे की और मुल्क की तरक्की हो सकती है और वह यह है कि मैं आपको बतला देना चाहता हूं, आल वैराइटीज आफ वार्प एन्ड वेफ्ट आफ काउन्ट्स २० ब्लो, आल टाइप्स आफ फैबरिक्स और फरनिशिंग क्लाथ्स जो हैं वह रिजर्व कर दिये जायं। दूसरे टावलिंग क्लाथ की बात है और मैं चाहता हूं कि वे सब रिजर्व कर दिये जावें काटेज इंडस्ट्रीज की तरफ। रिजर्वेशन आफ स्टैपिल ऐंड यार्न भी कर दिया जाय। इससे आपके सूबे की बहुत काफी तरक्की हो सकती है। इन सब चीजों पर गवर्नमेंट को जोर देना चाहिये। अब रहा यह कि अगर गवर्नमेंट जल्दी मदद नहीं करेगी तो उसकी मरीज की हालत है। अगर जल्दी दवा नहीं पहुंचाई गई तो वह मरीज मर जायगा क्योंकि उसकी बहुत बुरी हालत है। उसकी मार्केटिंग की ओर खास तवज्जह करनी चाहिये।

दूसरे लास्ट ईयर बजट में एक आइटम था डिजाईनर की बाबत। हर शख्स कहता है कि काटेज इंडस्ट्री के जितने डिजाइनर्स हैं वे सब पुराने हैं और हर शख्स चाहता है कि नये किस्म के डिजाइन बनाये जावें। ये छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास अपने डिजाइनर्स हैं ही नहीं। नतीजा यह है कि पुराने डिजाइन्स ही बराबर चले आ रहे हैं और उनसे काम नहीं चल रहा है। बजट में अगर्चे रुपया है, लेकिन किसी वजह से वह डिजाइनर आज तक एप्वाइण्ट नहीं किया गया है। मैं यह चाहता हूं कि बजाय खुद एप्वाइण्ट करने के सरकार उस रुपये को इंडस्ट्रियल काटेज एसोसियेशन को दे दे जो सूबे का है क्योंकि जितना रुपया गवर्नमेंट ने रखा है उसमें अच्छा डिजाइनर मिलना मुश्किल है। वह एसोसियेशन अपने पास से लगा कर एक आदमी रख ले जो तमाम काटेज इंडस्ट्रीज में नये-नये डिजाइन बनाकर दे ताकि लोगों की उस तरफ तवज्जह हो और माल बिकना शुरू हो।

एक बात यह है कि हमारे एसोसियेशन ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी और हमारे मिनिस्टर साहब भी तशरीफ लाये थे और हम उनके बड़े मशकूर हैं, हम चाहते हैं कि जैसा उन्होंने शुरू में ५ साल पहले कोआपरेटिव बैंक को कामयाबी से चलाने के लिये ५ साल के लिये २५,००० रुपया दिया था, इसी तरह इस एसोसियेशन को भी ग्रांट की सूरत से २५ हजार रुपया सालाना ५ साल के लिये दे दे। इस वक्त हमारे एसोसियेशन ने करीब ढाई लाख रुपया बतौर रिजर्वेशन फंड के जमा कर लिया है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी उसके अन्दर कुछ हिस्सा ले। एक बात सबसे बड़ी यह है कि रिजर्व बैंक रुपया बड़ी कठिनाई से देता है और ऐसे क़यूद लगा दिये हैं जिनसे बड़ी कठिनाई होती है रुपया मिलने में। इस मसले पर हम लोगों ने एक रिजोल्यूशन भी पास किया है और उसे गवर्नमेंट आफ इंडिया और सूबाई सरकार के पास भेजा है। पार्लियामेंट में हाल में एक ऐक्ट पास हो रहा है और अगर उसमें कोई तरमीम नहीं की गई तो मेरा ख्याल है कि काटेज इंडस्ट्रीज को रुपया मिलने में बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि वह यह चाहते हैं कि हर मसले में गवर्नमेंट गारंटी करे जिसमें बड़ी दुश्वारियां हैं। जैसे वह इस वक्त एग्रीकल्चर क्रैडिट को रुपया दे रहे हैं वैसे ही काटेज इंडस्ट्रीज को भी रुपया एडवांस किया जाय। मुझे बड़ी खुशी है कि जबसे हमारे मिनिस्टर साहब और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब हुये हैं वे निहायत दिलचस्पी के साथ इसकी तरफ तवज्जह कर रहे हैं और अगर यही तवज्जह रही तो मुझे उम्मीद है कि काटेज इंडस्ट्री बहुत जल्द तरक्की करेगी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राज नारायण जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। चीनी का उद्योग हमारे सूबे में बहुत बड़ा उद्योग है और उसके साथ मजदूरों का संबंध तो है ही इसके साथ-साथ किसानों का भी सीधा सादा संबंध हमारे इस उद्योग से है और इस उद्योग में जब कोई गड़बड़ी होती है तो वह मजदूरों को ही नहीं बल्कि किसानों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। आपने देखा है कि मिलों ने गन्ने के दाम नहीं दिये, मजदूरों की तनख्वाह नहीं दी और इसके कारण जो गड़बड़ी हुई वह महज मजदूरों तक ही नहीं रही बल्कि किसानों में भी गई।

इतना ही नहीं आज जो इस उद्योग की हालत है हमारे सूबे में, वह यह है कि लोग या तो मैनेजिंग एजेंसी के नाम से मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से जो मिल के अधिकारी हो जाते हैं, वह इसका ख्याल न करके कि यह उद्योग ठीक से चलेगा या नहीं, मुनाफा होगा या नहीं, मजदूरों को तनख्वाह मिलेगी या नहीं और किसानों को अपने गन्ने के दाम मिलेंगे या नहीं, इसका ख्याल न करके व्यक्तिगत फायदे के लिये इस उद्योग का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब तक हमारी सरकार इसका कोई इलाज नहीं निकालती, इस चीज को रोकने का प्रयत्न नहीं करती है, तब तक मैं समझता हूं कि चीनी के उद्योग का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है।

मैं यह चाहता हूं और सरकार से यह प्रार्थना भी है कि जितनी जल्दी हो सके इस उद्योग का सरकार राष्ट्रीयकरण करे। राष्ट्रीयकरण क्यों करना चाहिये इसके लिये मैं दो तीन चीजें

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

आपके सामने रखना चाहूंगा। बात यह है कि यह जो मिल मालिक हो जाते हैं वह ऐसा करते हैं कि चाहे शेयर होल्डर्स को मुनाफे में हिस्सा मिले या न मिले, उनकी रकम बंधी रहती है वह उनको मिल ही जाती है। इसके अलावा चीनी पर कमीशन और उनकी तनख्वाह उनको मिल जाती है, जो करीब-करीब हर मिल में एक लाख से कम नहीं होती है। जैसी कि मिल की औकात होती है या फिर जितनी चीनी मिल सकती है उसमें फायदा कुछ हो या न हो लेकिन यह उनकी लिखी लिखाई जायदाद है।

इसके अलावा भी पारसाल के बारे में सब लोगों को मालूम है कि चीनी की जो कीमत थी वह बहुत ऊंची थी और एक-एक मिल में, लाख-लाख रुपया का फायदा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाऊं कि जब मारकेट में चीनी का भाव ६०-७० रुपये मन रहा तो कम्पनी में रजिस्टर पर ४२-४३ रुपये मन कीमत दिखाकर इस चीनी को बेचा गया है और बाकी रुपये का क्या हुआ या इतनी कम कीमत पर चीनी क्यों दी गई इसका कोई हिसाब नहीं है। क्या बात हुई है इस पर माननीय सदस्य विचार करें तो नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इतना बड़ा भारी फायदा पारसाल इन लोगों ने कमाया है। लेकिन इसके बाद पारसाल से इन्होंने यह तरीका अख्तियार किया है कि हर जगह किसानों के गन्ने का दाम बाकी रखें, हर जगह मजदूरों की तनख्वाह बाकी रखना शुरू किया और तमाम गड़बड़ियां मिल मालिकों ने पैदा करना शुरू कीं। इतना ही नहीं वह मजदूरों को शांति पूर्वक काम नहीं करने देना चाहते थे। तरह-तरह की अड़ंगेबाजियां लगायेंगे और जब मजदूर अदालत में जायगा और उसका एक निर्णय हो जायगा तो उसको लेकर और अदालतों में झूठमूठ को परेशान करते हैं।

यह उद्योग हमारा ऐसा है कि इस पर चारों तरफ से कंट्रोल है। गन्ने के दाम पर कंट्रोल है। यह भी कंट्रोल है कि इस हल्के का किसान इसी मिल को गन्ना देगा और यह कीमत होगी। इतना कंट्रोल इस इंडस्ट्री पर होते हुये भी अगर यह इंडस्ट्री इन लोगों की वजह से नुक्सान की ओर जा रही है तो सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि इधर ध्यान दे और इस इंडस्ट्री को अपने हाथ में लेने का प्रयत्न करे। बहुत दफा सवाल उठाये जाते हैं। हमारे सूबे में तीन चार चीनी की मिलें ऐसी हैं जिनको सरकार ने अपने हाथ में ले कर उन पर अथोराइज्ड कंट्रोलर मुकर्रर कर दिया है। जब इस सदन में यह सवाल उठाया जाता है कि यह जो अथोराइज्ड कंट्रोलर मुकर्रर हुये, ये ठीक हुये या नहीं तो सरकार की तरफ से यह जवाब दिया जाता है कि यह मामला हमारा नहीं है बल्कि यह मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का है और वही इस पर सारी कार्यवाही कर सकती है। मैं तो यह दिल से चाहता हूं कि इस किस्म के जो मामले हैं जैसे मिलों को अपने क़ब्जे में लेना यह प्राविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिये और अगर्चे न भी हाथ में हो तो भी प्राविंशियल गवर्नमेंट यहां से जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख कर भेजेगी सेंट्रल गवर्नमेंट वही करेगी और ऐसा वह करती भी आयी है क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि जो यहां से लिख कर भेजा गया करीब-करीब वही तय हुआ और सरकार ने उन्हीं मिलों को उन लोगों के हाथ में दिया जिनको कि प्राविंशियल गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया था। तो इस पर भी हमको ख्याल करना है कि अगर हम किसी उद्योग को किसी से लेते हैं तो किसी व्यक्ति के हाथ में देने के बजाय हम उसे किसी कोआपरेटिव फेडरेशन को दें या किसी कोआपरेटिव संस्था को दें और उसके साथ साथ उस मिल के चलाने में हम मजदूरों को और वहां के किसानों को भी हिस्सा दें तो मैं समझता हूं कि वह उद्योग बहुत ठिकाने से चलेगा और कोई वजह नहीं कि उस उद्योग में नुक्सान हो। कठकुइयां का मामला मैंने बहुत दफा कहा है और फिर इसलिये कहना चाहता हूं कि उसकी हालत ऐसी पहुंच चुकी है कि अगर सरकार ने उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया तो वह कम्पनी आगे चलने को नहीं है। यह सरकार को भी मालूम है और सबको मालूम है। केन कोआपरेटिव फेडरेशन ने उस फैक्टरी को चलाने के लिये मांगा था और फिर बीच में बहुत सी उसमें बातें हुईं, लेकिन अन्त में यह हुआ कि अगर फ़ेडरेशन चाहता है तो उसको दिया जाय। फेडरेशन के एक अधिकारी से मैं मिला। उन्होंने कहा कि साहब,

यू० पी० गवर्नमेंट के पास हमने भेज दिया है और यू० पी० गवनमेंट ने रेकमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया है। मैं सेक्रेटरी, इंडस्ट्रीज से मिला। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी कोई जवाब नहीं आया है और न उनका कोई आफ़र ही आया है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें डिप्टी केन कमिश्नर सही कह रहे थे या सेक्रेटरी, इंडस्ट्रीज सही कह रहे थे। इस तरह की कंट्राडिक्टरी चीजें कहना यह तो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। जो भी सही बातें हों वे हम लोगों के सामने आनी चाहिये।

अब और अधिक न कहकर क्योंकि समय नहीं है अन्त में मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि जिस मिल को गवर्नमेंट ले, कोआपरेटिव द्वारा चलवाये जैसा कि माननीय मंत्री जी ने सवालों के जवाबमें यह कहा भी है कि मैं पसन्द करूंगा कि कोआपरेटिव के द्वारा ये मिलें चलायीं जायं और बीच में एक कान्फ्रेंस भी हुई थी और उसमें भी यह तय हुआ कि जो मिलें सरकार ले उन्हें कोआपरेटिव के द्वारा ही चलवाये। तो फिर मैं माननीय उद्योग मंत्री से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि जिन मिलों को सरकार ले तो कम से कम यू० पी० की सरकार यह जरूर रेकमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे कि वे मिलें कोआपरेटिव को दी जायं।

श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, यह जो अनुदान हाउस के सामने उपस्थित है मैं उसका समर्थन करते हुए बड़े अफसोस के साथ यह कहूंगा कि जो रकम रखी गई वह बहुत कम है। इसी के साथ-साथ मैं अर्ज करूंगा कि करघा उद्योग जैसा कि अभी और मुहतरिम मेम्बरों ने बताया इस सूबे की सबसे बड़ी काटेज इंडस्ट्री है, उसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान बहुत ज्यादा नहीं है और जो थोड़ा बहुत ध्यान है भी तो उसको मैं नहीं बल्कि यहां के करघे वाले कुछ मशकूक नजर से देखते हैं, उसकी वजह यह है कि बरतानिया हुकूमत के जमाने से जो अब तक इस सिलसिले में काम हुए हैं उनसे यह समझा जाता था कि करघा उद्योग तरक्की करेगा, लेकिन बजाय इसके अब यह समझा जाने लगा है कि हमारी गवर्नमेंट करघा उद्योग को कौमियाने जा रही है। उसे चाहिये तो यह थी कि वह बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज को, मिलों को, सूत बनाने वाली या कपड़े बनाने वाली मिलों को कौमियाती लेकिन बजाय इसके करघा उद्योग को कौमियाया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि यहां बहुत पहले से हैण्डलूम ऐम्पोरियम कायम किया गया था जिसमें लाखों रुपया गवर्नमेंट का खर्चा हुआ और आज भी लाखों रुपया खर्च हो रहा है इस अनुदान में भी जहां तक मुझे याद पड़ता है। करीब-करीब साढ़े १८ लाख रुपया हैंडीक्राफ्ट को दिया जा रहा है। इससे करघे वालों को कोई फ़ायदा पहुंचे या न पहुचे, उनकी कोई उन्नति हो या न हो लेकिन इतना जरूर है कि उनको मजदूर बनाया जा रहा है। उन्हें सिर्फ मजदूरी देकर और सारा प्राफिट हैंडीक्राफ्ट उठाता है जिसे वह अपने आप खर्च करता है।

इसी तरह से मऊ में एक फिनिशिंग और बीविंग फैक्ट्री कायम की गयी जिस पर करीब-करीब पौने दो लाख रुपया खर्च हो चुका है। इस साल कोई रकम उसके लिये नहीं दी जा रही है। तीन साल से वह फैक्टरी बन रही है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुई। उसका भी वही हश्र होगा और उसकी वजह से मऊ के जो कुंदी करने वाले हैं वे सब के सब बेकार हो जायेंगे अब बजाय उसके कि जो लोग वहां कुंदी करके अपना गुजारा करते थे अब पोलिशिंग वहां पर होगी। मैं आपको बताऊं कि मऊ के तमाम करघे वाले उससे मुतमईन नहीं हैं। एक सूरत हो सकती है लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे डायरेक्टर आफइंडस्ट्रीज का मुहकमा उसको पसन्द नहीं करेगा कि उस फैक्टरी को वहां के हैन्डलूम वीवर्स सोसाइटी के हाथ में दे दिया जाय और हुकूमत अपनी निगरानी में उसको चलाये। मैं जानता हूं कि अगर उनको दे दिया जायेगा तो बेहतर होगा। इसी तरह से हमारे दोस्त मिस्टर एजाज रसूल ने बताया कि यहां काटेज इन्डस्ट्री बोर्ड और हैंडलूम बोर्ड बनाया गया ठीक है, लेकिन उसी हैंडलूम बोर्ड ने उस रुपया के लिये जो केन्द्रीय सरकार से डेढ़ करोड़ मिलेगा एक स्कीम जिसको डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज ने बनाकर दी है मंजूर किया है जिसका मतलब है कि बहु रुपया एक स्पिनिंग मिल खोलने पर खर्च किया जाय जो मेरे ख्याल में

[श्री बशीर अहमद हकीम]

कौमियाने के बराबर है लेकिन करघा वालों को यह कह कर कि हम तुमको सस्ता से सस्ता सूत देंगे, इसलिये स्पिनिंग की एक फैक्टरी बनेगी यह कह कर उनको बहलाया जा रहा है। जाहिर है कि ये बड़े-बड़े मिल मालिकों के मुकाबिले में अपनी फैक्टरी बना कर स्पिनिंग के मामले में, सूत के मामले में सस्ता से सस्ता सूत देंगे यह बात मेरी समझ में आती नहीं है। अगर बड़े-बड़े मिल मालिकों से मुकाबिला किया जा सकता है, अगर ऐसा है तो सभी चीजें नेशनलाइज की जायं, सबको कौमियाया जाय और सबको अपने अन्दर में लिया जाय। हड-लूम इंडस्ट्री को भी लिया जाय, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। यहां तक कि सारी सनअतें हमारी सरकार के हाथ में आ जायं तो मैं उसे अच्छा समझता हूं, लेकिन यह कि एक गरीब को ही मजदूर बनायें और मिल मालिक अपना पेट बढ़ाते रहें, रोज रोज तिजोरी में रुपया बढ़ता रहे और बैंक का हिसाब बढ़ता रहे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यह मैं शिकायत कर रहा हूं और उन करघे वालों की तरफ से शिकायत कर रहा हूं कि आज तक जो नीति रही है यू० पी० गवर्नमेंट की, वह वही नीति है जो कि बरतानिया हुकूमत के जमाने में थी और यह नीति हमारी गवर्नमेंट कभी भी सोचती नहीं है कि यह डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज की तरफ से आ रही है या दूसरे लोगों की तरफ से आ रही है और उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा और बहुत अदब के साथ इस्तदुआ करूंगा यू० पी० गवर्नमेंट से और खासकर मोहतरम मंत्री जी से कि वे इस तरफ तवज्जह करें और करघे वालों के लिये कुछ करें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग धंधे किसी राज्य की जान होते हैं। राज्य के लिये यह आवश्यक होता है कि वह उद्योग धंधे की उन्नति अधिक से अधिक करे। राज्य के लिये यह भी जरूरी है और उसका यह कर्त्तव्य भी हो जाता है कि वह उद्योग धंधों को पेट्रोनाइज करे, उनका संरक्षण करे उनकी हर तरह से मदद करे। लेकिन जब मैं यह कहता हूं तो उसके साथ ही यह भी कहता हूं कि हमारी सरकार की यह नीति होनी चाहिये कि जो वस्तुयें हमारे प्रदेश में बनें वे ही सरकार द्वारा खरीदी जायं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे प्रदेश में कई ऐसी फार्मेटिकल फैक्टरी हैं जहां इस तरह की चीजें बनती हैं। अगर मैं आपके सामने उनके आंकड़े पेश करूं तो वे दवाइयां आदि चीजें ऐसी हैं जो विदेशी कम्पनियों से, ब्रिटिश कम्पनियों से या दूसरे प्रदेशों की कीमतों की अपेक्षा अधिक सस्ती पड़ती हैं। जैसे ग्लेसरिन, ऐक्रिफ्लेविन वगैरह। लेकिन उनको हमारी सरकार नहीं खरीदती है बल्कि विदेशी कम्पनियों से ये चीजें ली जाती ह और व भी जो मैनुफैक्चरर हैं उनसे नहीं बल्कि मिडल मैन से खरीदी जाती हैं। जो टेंडर मांगे जाते हैं विदेशी कम्पनियों में जिनका टेंडर ज्यादा होता है उनको लिख दिया जाता है कि तुम कीमत कम करो तो तुम्हारे टेंडर हम एक्सेप्ट करेंगे। जहां तक इस तरह की भावना हो वहां कोई उद्योग धंधा नहीं पनप सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि उन्हें उद्योग-धंधों को आगे बढ़ाना है, तरक्की देना है और अपने देश तथा प्रदेश को समृद्धशाली बनाना है तो जरूरत इस बात की है जैसा कि माननीय सदस्य विष्ट ने कहा कि प्रदेश का औद्योगिक सर्वे कराया जाय और उससे यह मालूम किया जाय कि हमारी कितनी आवश्यकता है हमारे पास कितना कच्चा माल है और दूसरे प्रदेशों तथा देशों को हम कितना बेच सकते हैं। यह भी देखना आवश्यक है कि कौन-कौन इंडस्ट्रीज हमारे यहां चल सकती है और कितनी इंडस्ट्रीज को चला कर हम अपनी मांग के अनुसार चीजों को अपने यहां पैदा करें। जापान में जब उद्योग-धंधों की स्थापना कर उन्नति की गयी तो वहां यह होता था कि जिस गांवमें गृह हस्तकारी का काम चलता था तो मसलन जिस गांव में कोई वस्तु तैयार होती थी तो वह सिर्फ उसी गांव में बनती थी और गांव में नहीं, गवर्नमेंट अपनी सारी आवश्यकताओं के लिये वहीं से सारा सामान खरीदती थी। हस्तकारी का सारा सामान यानी पैदावार उसको सरकार खरीद लेती थी और सरकार उस माल को नीलाम करती थी। नीलाम में कोई व्यापारी खरीद लेता था। सरकार को जो नुकसान होता था वह मंदिर या मठों की इनकम अथवा अपने पास से पूरा किया जाता था

और वह व्यापारी उस माल को बाहर देशों में भेज कर अन्य देशों से कम्पटीशन करके जापानी माल से बाजार पट जाते थे यानी जापान का माल सबसे सस्ता बाजारों में मिलता था। जहां से उसे भी अच्छा नफा भी मिल जाता था।

श्रीमन्, हमारे यहां रामैटीरियल (कच्चा माल) बहुत है। हमने अपने यहां से बन्दरों को एक्सपोर्ट किया। बाहर से बन्दरों की मांग आई। उस मांग को पूरा करने के लिये हमने बन्दरों को पकड़ा और उनको बाहर भेजा गया। इस तरह से बन्दरों को एक्सपोर्ट करके हमने कितना डालर कमाया। हिन्दुस्तान में १९ हजार मिलियन रुपये की आमदनी पशुओं से होती है और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पशु हैं। उनकी हाइड, बोन ये सब ऐसे रामैटीरियल हैं जिनका उपयोग यहां हो सकता है और जो माल बने उसे बाहर के मुल्कों में भेजा जा सकता है और बाहर से उसके एवज में आवश्यक मशीनें मंगाई जा सकती हैं जो मशीनें हमारे उद्योग धंधों के काम में लाई जा सकती हैं। इस प्रकार के व्यापार से प्रदेश उन्नति कर सकता है।

जैसा माननीय विभव जी ने कहा सरकार उद्योग धंधों की बात बहुत करती है। सरकार की ओर से जो किताबें छपती हैं उसमें बड़ी-बड़ी योजनायें लिखी रहती हैं और कहा जाता है कि बड़ी-बड़ी उन्नति हो रही है लेकिन अलीगढ़ की लाख इंडस्ट्री जिसकी हिन्दुस्तान में ही नहीं एशिया में बहुत ख्याति थी और जब रूसी एम्बेसी के लोग अलीगढ़ आये तो दो तीन पेटियां भर कर ले गये उस उद्योग की आज क्या हालत हो रही है। उसे माननीय मंत्री जी और सभी सदस्य जानते हैं।

इसी तरह मेरे क्षेत्र सिकन्दराऊ में हैण्डलूम की इंडस्ट्री जो हिन्दुस्तान, एशिया और दूसरे मुल्कों में महदूद थी और जिसका बना हुआ माल वहां जाता था उस हैंडलूम के वर्कर्स आज भूखों मर रहे हैं, उसके लिये कोई मारकेट नहीं सरकार को शीघ्र व्यवस्था करनी चाहिये आज जो चीज प्रोड्यूस होती है उसके लिए कोशिश यह होनी चाहिये कि प्रदेश की जनता प्रदेश की बनी हुई चीज खरीदे और अगर जनता नहीं खरीदती है तो सरकार स्वयं खरीदे, लास (हानि) उठाना पड़े तो भी उसे लास के लिये तैयार रहना चाहिये।

इसी तरह से मेरे क्षेत्र की दूसरी इंडस्ट्री रोज इंडस्ट्री है जहां हजारों बीघे गुलाब की खेती होती है इत्र निकाला जाता है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सेंट वगैरह विदेशों से आते हैं। अपनी दस्तकारी की तरफ कोई ध्यान नहीं। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैंने माननीय मंत्री जी के सम्मुख सेम्पिल्स भी पेश किये लेकिन कुछ सुनवाई नहीं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है लेकिन उसकी दशा बड़ी शोचनीय है। सरकार को चाहिये कि इन काटेज इंडस्ट्रीज की वह मदद करे और उनसे जो माल तैयार हो उसकी बिक्री का भी प्रबन्ध करे तो कोई वजह नहीं है कि हमारे जो उद्योग धंधे हैं वे तरक्की न करें। मेरा विश्वास है कि सरकार के ध्यान देने पर हम विदेशों को भी मात कर सकेंगे।

एक तरफ तो काटेज इंडस्ट्रीज की बात कही जाती है लेकिन दूसरी तरफ उन चीजों की बिक्री का कोई प्रबन्ध नहीं होता। श्रीमान मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि जो चीजें सरकार काटेज इंडस्ट्रीज के जरिये प्रोड्यूस कराना चाहती है वे मिलों में बन्द कराई जायं। क्योंकि छोटी-छोटी जो हमारी दस्तकारियां हैं वे मिलों से कम्पीटीशन नहीं कर सकती और न मिल मालिकों के मुकाबले में वे सस्ती चीजें पैदा कर सकती हैं इसलिये घरेलू उद्योग-धंधों को इस प्रकार का संरक्षण मिलना ही चाहिये।

साथ ही जैसा माननीय विभव जी ने कहा आवश्यकता इस बात की है कि गोरखपुर में सरकार जो यूनीवर्सिटी की स्थापना शीघ्र करने जा रही है तो वह यूनिवर्सिटी केवल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिये ही खोली जावे अगर यह आवश्यक शिक्षा न दी जा सके तो आप इस कार्य के लिये विद्यार्थियों को, टेक्निशियंश को विदेशों में भेजें, जापान भेजें, जहां से वे सीख कर आयें। वहां से लौट कर उद्योग धंधों की तरक्की

[श्री नेकराम शर्मा]

करावें। लेकिन होता यह है कि जो लोग भेजे भी गये उनके लिये यहां काम नहीं है। जो सीखकर आते हैं उनके लिये कोई अवसर नहीं है कि वह लौटकर जो कला कौशल सीख कर आयें हैं उनका प्रदर्शन कर सकें या दूसरों को सिखा सकें। सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहिये कि जो सीखकर आवें उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लिया जावे।

माननीय मंत्री जी के लिये यह आवश्यक है कि वह एक ऐसा खोज बोर्ड बनावें जो कि खोज करे और यह पता लगावे कि कहां पर कितना रामैटीरियल है किस तरह से उसका उपयोग हो सकता है कहां पर उसकी मारकेट है कितना उसका निर्यात करना है आदि-आदि। उसी के साथ-साथ यह भी देखना चाहिये कि जब हमारी इंडस्ट्रीज में उसी प्रकार की चीज तैयार हो तो उसको क्यों न खरीदा जाय। विदेशी कम्पनियों के बनाये माल से यहां के माल को क्यों न विशेषता दी जाय। दो प्रकार के ड्रग्ज होते हैं। एक सबस्टैंडर्ड और दूसरे स्पूरिअस। अगर सब स्पूरियस ड्रग्ज पैदा होती है तो हम लाइसेंस ही क्यों देते हैं। ड्रग इन्स्पेक्टर्स मुकर्रर करते हैं इन्सपेक्टरों के ऊपर कार्यवाही करें उनको सजा दें वे करते क्या हैं यदि दवा खराब बनती है। सरकार को चाहिये कि वह इसकी छानबीन करावे कि जब ड्रग्जसइंस्पेक्टर्स हैं फिर खराब दवायें क्यों प्रोड्यूस की जाती है। और अगर यहां पर कुछ खराब दवायें प्रोड्यूस भी की जाती हैं तों उसकी मान्यता को खत्म कर दे लाइसेंस जब्त करले या उस कम्पनी के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करायें। और अगर कोई ऐसी दवायें बनती हैं जो स्पूरिअस हैं तो सरकार को चाहिये कि वह इसके लिए जबरदस्त कदम उठा तथा कम्पनियों को जब्त कर लें दवाओं का वहां बनना तुरन्त रोक दे।

अन्त में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कम से कम ऐसे क्रांतिकारी स्टेप्स लिये जावें जिससे जल्दी से जल्दी घरेलू धंधों की तरक्की हो। ६ वर्ष हो गये लेकिन मैं पूंछता हूं कि हमारी नेशनल इन्कम में कितनी वृद्धि हुई है। खादी के लिये ही हमारी कितनी योजनायें हैं, कितनी स्कीमें हैं लेकिन खादी के जो निर्माता हैं, जो खादी का प्रचार करते हैं वे ही खादी का प्रयोग नहीं करते तो बहुत सी ऐसी दस्तकारियां हैं, जो हमारे प्रदेश की हैं और उनके लिये हमको संरक्षण देना चाहिये वह नहीं मिलता बिना संरक्षण के इंडस्ट्रीज में उन्नति नहीं हो सकती है; इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि घरेलू इंडस्ट्रीज के लिये शीघ्र से शीघ्र क्रांतिकारी कदम उठावें तथा उन्हें सफल बनाने का प्रयत्न करें इसी में हम सबकी भलाई है।

श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, कब्ल इसके कि मैं और कुछ अर्ज करूं, मैं यह कहना उचित समझता हूं कि हमारे बहुत से मित्रों को बोलने का मौका नहीं मिला हालांकि वे बड़े उत्सुक थे। मैं उनसे यह प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी-अपनी तजवीजात मेरे पास निजी तरीके से भेज सकते हैं ताकि मुझे भी उनसे फायदा उठाने का मौका मिले और उन पर विचार करने का मौका मिले। जहां तक उन मित्रों का सम्बन्ध है जिन्होंने अपने विचार इस अनुदान के सिलसिले में इस सदन में प्रकट किये हैं उनका मैं बड़ा ऋणी हूं कि उन्होंने बड़ी सावधानी के साथ अपने तजवीजात पेश किये हैं। जोश से काम नहीं लिया। और अगर दो एक भाइयों ने जोश से काम लिया तो वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर मुझे किसी तरह से क्षोभ मानना चाहिये। हमारे दोस्त बशीर अहमद साहब ने हैंडलूम के सिलसिले में कहते हुये कुछ जोश से काम लिया। तो मुझे एक कहावत याद आती है। उन्होंने यह फरमाया कि इस सरकार ने हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं किया। तो मेरे जहन में एक कहावत आती है और मैं उस कहावत को कह दूं "चिड़िया अपनी जान से भी गयी और खाने वाले को स्वाद भी न आया" जहां तक हैंडलूम इंडस्ट्री का ताल्लुक है सरकार ने भरसक उसको बढ़ाने की कोशिश की है। माली सहायता भी दी और तरह-तरह से उद्योग किया कि वह अच्छी तरह से तरक्की करे। हमारे दोस्त यह भूल गये कि स्लम्प का यह जमाना है। हर तरफ

उसके असरात पड़े हुये हैं। यह भी तजवीज की गयी कि गवर्नमेंट जहां तक हो उन चीजों को, जो हैंडलूम इंडस्ट्री से पैदा होती हैं उनका इस्तेमाल करे। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि सरकार ने यह आदेश दिया है कि जहां तक हो हैंडलूम की बनी हुयी चीजों का इस्तेमाल सरकार के हर विभाग में हो। इस तरह से हम प्रोत्साहन हैंडलूम इंडस्ट्री को देना चाहते हैं, लेकिन मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि यह इंडस्ट्री महज सरकार की खरीद से नहीं चल सकती जब तक कि हम सब मिल कर इस प्रदेश में और इसके बाहर चारों तरफ इस बात का प्रयत्न न करें कि लोग हैंडलूम इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और उसके लिये अगर कुछ त्याग भी करना पड़े तो करना चाहिये। महज यह कह देना कि सरकार को यह कहना चाहिये, सरकार जरूर करेगी और इससे अधिक कोशिश करेगी, लेकिन जहां तक सफलता का सम्बन्ध है वह उससे नहीं हो सकती है जब तक कि हम ऐसा वायुमंडल पैदा न करें कि लोग हैंडलूम की चीजों को इस्तेमाल करने की आदत न डालें। इसलिये सारा भार सरकार के माथे पर रखना नामुनासिब है।

हमारे मित्र राजनारायण जी ने कुछ सुझाव दिये हैं मैं उन पर विचार करूंगा कि कहां तक वह प्रैक्टिकेबुल है। यह तो तय करने की बात है और सोचने की बात है। हमारे मित्र ने यह भी कहा कि एक आडिटर होना चाहिये कि जो शुगर मिलों के बैलेंस शीट की जांच पड़ताल करे। वाक़ई यह आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन कहां तक प्रैक्टिकेबुल है यह उनकी बात मेरी समझ में नहीं आयी।

जगन्नाथ मल्ल जी ने भी बहुत सी बातें कहीं। जैसे उनकी समझ में हमारी बहुत सी बातें नहीं आयीं उसी तरह से मेरी समझ में उनकी यह बात नहीं आयी और मेरा ख्याल है कि इस तरह की कार्यवाही अपने सूबे में कौन कहे हिन्दुस्तान के और किसी सूबे में भी ऐसा होता नहीं है। लिहाजा ऐसी सूरत में मैं यह कह सकता हूं कि यह चीज ऐसी है कि जिस पर विचार करूंगा लेकिन क्या फल होगा यह कहना मेरे लिये मुश्किल है।

इसके अलावा जगन्नाथ मल्ल जी ने शुगर इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बातें बतलायीं और उनको खास शिकायत यह है कि गन्ने के दाम क्यों नहीं दिये गये और लेबरर्स को मजदूरी क्यों नहीं दी गयी। वाकई यह चीज काबिले शिकायत है, लेकिन अगर वह देखते कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ तो गलिबन उनकी शिकायत की धार इतनी तेज न होती जितनी कि अब वह महसूस करते हैं। हां, गेंदा सिंह जी बहुत समझदार हैं और उन्होंने वाकई में इसी वजह से इस अनुदान के सिलसिले में कोई बात नहीं कही। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं....

श्री गेंदा सिंह—(जिला देवरिया) मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिये कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह सबको मालूम है कि आप इस पर बोलने को खड़े नहीं हुये।

श्री हुकुम सिंह—मैं यह कहना चाहता हूं कि पारसाल की परिस्थिति एक विकट परिस्थिति थी और असाधारण परिस्थिति थी। यह हमारे सभी मित्रों को मालूम है और खास कर जगन्नाथ मल्ल जी को भी मालूम है क्योंकि वह शुगर मिलों के बीच में रहते हैं कि जितना गन्ना पैदा होता है उसमें से ५० फीसदी के करीब मिलों में जाता है बकिया अधिकांश गुड और खंडसारी में जाता है और कुछ बीज और चूसने में खत्म हो जाता है। पारसाल गुड़ सस्ता हो जाने की वजह से लोगों ने यही पसन्द किया कि शुगर मिलों में गन्ना भेजें और बहुत बाद तक वहां गन्ना लिया गया, यह बात सदन में कई बार बताई जा चुकी है लेकिन बावजूद इसके हमारे माननीय जगन्नाथ मल्ल जी

[श्री हुकुम सिंह]

उसी गलतफहमी में मुबतिला हैं। हमारे यहां पिछले साल १६ करोड़ टन का सट्टा गन्ने का मिलों से हुआ था और २४ करोड़ टन गन्ना उन मिलों से पेरवाया गया, हालांकि हम कानूनन शुगर फैक्टरीज को मजबूर नहीं कर सकते थे कि वह १६ करोड़ टन पेरे और अगर वह न पेरा जाता तो उसका नतीजा यह होता कि वह गन्ना जलाना पड़ता और उससे कितना बड़ा नेशनल लास होता और उन किसानों का भी होता, लेकिन उसको पेरने के लिये साम, दाम, दंड, भेद सब से काम लिया गया और मिलों को कुछ फुसलाया गया कुछ दबाया गया और सारा गन्ना किसी तरह से मई जून तक पिरवा दिया गया और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सेविंग हुई। परन्तु उसी वक्त मिलों को इसके लिये मजबूर करना कि वह पूरे दाम दे देती मैं इसको कुछ उचित बात नहीं समझता था और न अब समझता हूं। उनको भी हरसाल के गन्ने के खपाने के लिये पहले से कुछ आर्थिक इन्तजाम करना पड़ता है जैसे अगर किसी को एक लड़की की शादी करनी होती है तो उसी के लिये इन्तजाम किया जाता है, लेकिन अगर किसी को उसी वक्त २ लड़कियों की शादी करना पड़े तो जाहिर है कि उसके पास एकदम से इन्तजाम नहीं हो सकता और उसके सामने एक दिक्कत होती है इसी तरह से मिलों को १६ करोड़ टन के बजाय २४ करोड़ टन गन्ना पेरना पड़ा, तो उनके साथ यह रियायत, दाम आइन्दा देने की, करना लाजिमी हो गया। मैं कभी ईल्ड नहीं करता और मैं कहना चाहता हूं कि उनको कुछ समय देना बहुत ही जरूरी और लाजिमी था और इंसाफन जायज था। देहात के लोग भी चाहते थे कि गन्ना किसी तरह से चला जाय और दाम बाद में मिल जांय और कोई नहीं चाहता था कि गन्ने को जलाना पड़े। हम यह भी जानते थे कि मिलें कोई दिवालिया नहीं हैं अगर इस वक्त नहीं देंगी तो बाद में जरूर देंगी। बहुत कुछ वसूल तो करीब-करीब कर ली गई है और १५ दिन पहले करीब ८० लाख के बाकी रह गया था और हमने इस तरीके के स्टेप लिये हैं कि वह सब अदा हो जांय और मुझे यकीन कामिल है कि वह रुपया सब वसूल हो जायगा। अगर हम उस वक्त दामों के लिये उजलत करते तो उसका नतीजा यह होता कि मौजूदा गन्ने के पिरने में दिक्कत हो जाती। जब हमने किसानों को समझाया तो हमसे किसानों ने भी इत्तिफाक किया और गांव वालों ने इस चीज को पसन्द किया कि इस वक्त किसी तरह से गन्ना निकल जाय, दाम चाहे बाद में ही मिलते रहें। वर्ना हम अगर चाहते तो किसी तरह से फैक्टरीज को दबा कर कीमत दिला सकते थे लेकिन हमें मौजूदा गन्ना पिरवाने में भारी दिक्कत उससे पैदा हो सकती थी। साथ ही उससे नेशनल लास भी हमारा हो सकता था, लिहाजा जगन्नाथ मल्ल जी का यह आरोप भी निराधार है।

जहां तक लेबरर्स का सम्बन्ध है मैं जानता हूं कि उनकी वाक़ई दिक्कतें हैं और हम उनके साथ हमदर्दी रखते हैं और हम चाहते हैं कि उनको फौरन रुपया मिलना चाहिये। परन्तु दुर्भाग्यवश यह तमाम बातें देवरिया जिले में ही पैदा होती हैं। वहां पर तीन चार मिलें हैं। उनमें जगदीशपुर शुगर मिल, कठकुइयां शुगर मिल, विष्णु प्रताप राज कृष्ण शुगर मिल्स पडरौना और खड्डा शुगर मिल यह ४ मिल्स हैं...[(एक आवाज) आप बक़ायादारों से मोहब्बत करते हैं।] मुझे तो सबसे मोहब्बत है लेकिन मैं इतना अर्ज करूंगा कि यहां पर आपस में बदकिस्मती से कुछ मुक़दमेबाजी कुछ मिलों में चल रही है और उस वजह से मिलें ठीक नहीं चल रही हैं। इसलिये जरा सी कठिनाई वहां पर यह है कि अगर उनको दबाया जाय तो उससे गन्ने वालों की तबाही हो सकती है और हमने उनके प्रोटेक्शन के लिये वेजेज ऐक्ट के बमूजिब कार्यवाही भी कर रखी है और मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द लेबर को वेजेज की अदायगी हो जायगी और उनकी शकर जो नहीं बिक रही थी वह भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कंट्रोल में आ रही है और उसकी अदायगी अब बहुत जल्द करना मुमकिन होगा। लिहाजा उजलत करने से काम बनता नहीं। बजाय बनने के बिगड़ जाता है। लिहाजा मैं

अर्ज करूंगा कि मेरे मित्र सावधानी से काम लें और यकीन रखें कि एक-एक पैसा मजदूरों और गन्ना पैदा करने वालों का अदा करवा कर तब मैं छोड़ूंगा। जितनी उनको दिलचस्पी है उससे कम मुझको दिलचस्पी नहीं है। यह मैं कैसे कहूं कि ज्यादा है, कि किसानों और मजदूरों के रुपये की अदायगी जल्द से जल्द हो जाय।

श्री गेंदा सिंह—क्या उसमें सूद भी मिलेगा?

श्री हुकुम सिंह—सूद खाना बहुत से लोगों के मजहब में नारवां है। बहुत से लोग सूद खाना पसन्द नहीं करते। इसलिये सब की तरफ से कह देना कहां तक मुनासिब है। आगे जो कानून बनेगा उसमें सूद की व्यवस्था भी रखेंगे। तब आपको शिकायत नहीं हो सकती है।

बहुत से मित्रों ने सर्वे कराने की बात कही। सर्वे हो चुका। मेरे पास काफी मसाला है और लिहाजा अब सर्वे की कोई जरूरत नहीं। हमारे एक दोस्त बिष्ट साहब ने, दो बिष्ट हैं, मैं नाम नहीं जानता, एक बिष्ट साहब ने फरमाया कि जिप्सम वगैरह की जांच कराई जाय। गवर्नमेंट आफ इंडिया कराने जा रही है। लिहाजा उनका भी इत्मीनान हो जायगा। दूसरे बिष्ट साहब की भी कुछ तजावीज थीं। उनकी भी ख्वाहिशात जल्द पूरी होंगी। मैं चाहता हूं कि वहां बड़ी तरक्की हो क्योंकि पहाड़ के लोग बड़े दुखी हैं, बेचारे परेशान हैं। वहां पर ऊन की स्कीम हमने रखी है। शीप और गोट ब्रीडिंग की भी स्कीम हमने रखी है। जो-जो बातें हो सकती हैं आसानी से, अपने सूबे के मालियात को देखते हुए, किसी किस्म की कोताही करना नामुमकिन है। सरकार कभी भी बैठी नहीं रहेगी खास कर पहाड़ के बारे में जहां से तिवारी वगैरह हमारे दोस्त आये हुए हैं। मुझे अफसोस है कि इस बार उन्होंने अपना कोई सुझाव नहीं दिया। मैं उससे लाभ उठाता। मुझे आशा है कि वह अपने खत के जरिये से कोई सुझाव हो तो देंगे। मैंने यही नतीजा निकाला कि जो तजावीज हमारी बजट में हैं वह उनसे मुतमईन हैं। उसके आगे कहने की गुंजायश उनको नहीं मालूम होती है।

हमारे मित्र श्री देवकीनन्दन विभव जी ने आगरे के चमड़े के व्यापार के बारे में बहुत सी बातें कहीं। और मुझ पर तो यही इम्प्रेशन हुआ कि सरकार बिल्कुल इनडिफरेंट है। कुछ नहीं किया। मैं क्या बताऊं। सरकार को हर बात कही जा सकती है। मुझे इत्मीनान जब होता, जब एक लफ्ज हमारे दोस्त यह भी कहते कि आगरे के जूते बनाने वाले लोगों ने किस तरह से गड़बड़ की जिसका नतीजा यह है कि वहां का बाजार कम हो गया। मैंने वहां के जूते कटवा कर देखे। तलों में लकड़ी का बुरादा और दरियों के टुकड़े निकले। यह सरकार का कुसूर नहीं है। बनाने वालों का कुसूर है। जो इस तरह से अपनी दूकान को बदनाम करते हैं उनकी मदद भगवान भी नहीं कर सकता। सरकार क्या करेगी। फिर भी इन बातों के होते हुये भी सरकार ने क्वालिटी मार्किंग स्कीम वहां चलायी है।

श्री देवकीनन्दन विभव—इसको भी तो रोकना चाहिए।

श्री हुकुम सिंह—आपका भी फर्ज है। सरकार का भी है। लेकिन आप नुमाइंदे हैं, नुमाइंदे की हैसियत से आपका फर्ज ज्यादा है। इन बातों के होते हुए भी सरकार ने क्वालिटी मार्किंग की स्कीम चलायी है। कोआपरेटिव सोसाइटीज कायम की हैं कि लोग आ करके उसमें शरीक हों और जिन-जिन चीजों का हम स्पेसिफिकेशन दें उसके मुताबिक बनावें, जिस पर क्वालिटी मार्क लगाया जाय और हमको बहुत कुछ कामयाबी भी हुई है।

[श्री हुकुम सिंह]

इसी तरह से शर्मा जी ने अलीगढ़ के तालों के बारे में कहा। उसमें भी बड़ी खराबी आ गयी है। आठ लिवर का ताला बनाया। अभी तक दो ही हैं। देखने में आठ लिवर। इस तरह से उन्होंने होशियारी और दानिशमंदी से काम लिया। एक बारगी अमीर होना चाहते थे। नतीजा क्या हुआ। उनकी दूकान बदनाम हो गयी और उनकी मांग कम हो गयी। बताइये इसमें गवर्नमेंट का क्या कुसूर है। लेकिन वहां भी क्वालिटी मार्किंग की स्कीम चलायी है। उसकी अब तरक्की हो रही है। अन्य सूबों में भी अलीगढ़ के तालों की मांग आ रही है, उन तालों की जिन पर क्वालिटी मार्क है। इस तरह से सरकार हर तरह से भरसक कोशिश कर रही है और मैं यकीन दिलाता हूं कि वाकई काम तो इतना लम्बा चौड़ा है और ख्वाहिशात लोगों की इतनी ज्यादा हैं कि उन ख्वाहिशात का एक बारगी पूरा करना और इस सारे काम को एक बारगी पूरा कर देना असम्भव सा है। लेकिन देखना यह है कि आया यह सरकार कुछ करती है या नहीं करती है। इसकी नीयत में कुछ फितूर तो नहीं है। मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर डिस्पैशनेट हो कर देखेंगे तो यही पायेंगे कि सरकार भरसक कोशिश कर रही है अपने उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिये, अपने सूबे को तरक्की देने के लिये।

सिर्फ मुझे इतना कहना था। इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि यह ग्रांट स्वीकार की जायगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल—आन पर्सनल एक्सप्लेनेशन, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने यह कहा देवरिया जिले में सरप्लस गन्ना था...

श्री अध्यक्ष—यह कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आपके बारे में उन्होंने कुछ कहा हो तो आप उसको एक्सप्लेन करें।

श्री जगन्नाथ मल्ल—उन्होंने कहा कि मैं ग़लत कह रहा हूं। सवाल यह है कि बिल्कुल सरप्लस गन्ना नहीं था।

श्री अध्यक्ष—यह चीज पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। यह तो आप बहस कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन कर दूं कि जिस पडरौना और देवरिया जिले की मिलों के बारे में उन्होंने कहा है, जरा अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें, तो वहां सरप्लस गन्ना नहीं हुआ था। जहां सरप्लस गन्ना नहीं है वहां मान लें तो वहां के मिल मालिक गन्ना उत्पादकों को उचित कीमतें नहीं देंगे और अगर यहां से उसकी पुष्टि करेंगे तो बड़ा अन्याय होगा और आगे भी वह अपनी नीति नहीं सुधार पायेंगे।

आगे अब मैं माननीय मंत्री जी के भविष्य के गाइडेंस के लिये अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की रिपोर्ट पढ़ता हूं। वह इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के बारे में है—

"(i) Certificate regarding counting of cash was not recorded at the close of the month.

(ii) Private money was mixed with Government cash.

(iii) Recoveries of Government dues were not effected in full.

(iv) Purchases were made without calling for tenders and quotations.

(v) Physical verification of stock was not carried out periodically."

इस तरह की आपत्तियां माननीय मंत्री जी के डिपार्टमेंट के बारे में हैं।

श्री अध्यक्ष---माननीय राजनारायण जी से मैं कहूंगा कि कोई नया प्वाइंट जो पहले रेज नहीं किया गया उस पर ज्यादा जोर न दें। क्योंकि आप जवाब दे रहे हैं। उनको तो वक्त मिलेगा नहीं। तो या तो शार्ट कर दीजिये या और नया प्वाइंट रेज न कीजिये।

श्री राजनारायण---मैं आपके द्वारा थोड़ा निवेदन इसलिये कर देना चाहता था कि अगर माननीय मंत्री जी उचित समझेंगे तो उनको तो आप समय दे ही दिया करते हैं, वह उत्तर दे देंगे। तो इसके बाद मैं एक निवेदन और कर दूं जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सरकार के अधिकार के अन्दर बात थी उसको मैंने निवेदन किया था। उसको माननीय मंत्री जी ने कहा तो जरूर कि वे देखेंगे लेकिन वह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि अगर इसी एक काम को कर दें तो बहुत कुछ आगे का झगड़ा, मिल मालिक और मजदूर का झगड़ा समाप्त हो सकता है। मैं उद्योग मंत्री जी की जानकारी के लिये बतला दूं कि बिहार में एक मिल है जिसको वहां के उद्योग मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से झगड़ा मोल लेकर के अपनी सरकार से कोआपरेटिव बेसिस पर चलाने की प्रतिज्ञा कर ली और उसको कोआपरेटिव बेसिस पर चलाया और किस प्रकार वहां की बैलेंस शीट के अन्दर अब गड़बड़ियां मालूम हुई हैं कि जिससे उनकी आंख खुल जानी चाहिये और सरकार भी आगे के लिये जानकारी प्राप्त करे कि उसे क्या करना है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सूबे से लगा हुआ सूबा जब कि इस तरह का कदम उठा सकता है, जो कि हम से छोटा सूबा था, तो बार-बार जब देवरिया जिले की मिलों के बारे में हम सब लोगों की मांग थी कि उनको कोआपरेटिव बेसिस पर चलाया जाय तब भी सरकार उसको चलाने में असमर्थ रही। मैं आशा रखता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस सुझाव पर जरूर विचार करेंगे।

मैं एक निवेदन उनसे और कर देना चाहता हूं कि छोटे-छोटे उद्योग धंधे और बड़े-बड़े उद्योग धंधे जो हैं, जब तक कि उन उद्योग धंधों से जो वस्तुएं पैदा होती हैं उनके दामों के संतुलन की योजना सरकार नहीं बनायेगी तब तक काटेज इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो सकतीं। बार-बार इच्छा और सद्भावना हो सरकार की, लेकिन केवल उन्हीं से काटेज इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती। आज बुनकरों की क्या हालत है। बुनकरों के लिए क्या सेफ गार्ड है। तमाम सामान वह पैदा भी करें। उनका दाम ज्यादा लग जाता है, कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो वह सामान बिकता नहीं है इसलिये वह बेकार होता है। तो सरकार को इसके बारे में अपने दिमाग को साफ करना पड़ेगा कि आया वह लार्ज स्केल प्रोडक्शन (बड़े पैमाने पर केन्द्रीयकरण) की ओर जाना चाहती है, हेवी इंडस्ट्रीज (बड़े-बड़े उद्योग-धंधे) को डेवलप करना चाहती है या वह डीसेंट्रलाइज (विकेन्द्रित उद्योग) करना चाहती है और सही मानों में काटेज इंडस्ट्रीज को डीसेंट्रलाइज करके आर्थिक व्यवस्था को चलाना चाहती हैं। श्रीमन्, एक बात मैं और साफ कर देना चाहता हूं। मैंने कैपिटल लेवी की बात कही थी। उसको मैं समझा देना चाहता हूं। मैंने यह कहा था कि ५ लाख रुपये तक की सम्पत्ति पर तो मैं चाहता हूं कि कैटिपल लेवी कुछ न हो। अगले ५ लाख के ऊपर २० प्रतिशत, अगले १५ लाख के ऊपर ५० प्रतिशत, अगले ७५ लाख के ऊपर ८० प्रतिशत और उसके बाद फिर १ करोड़ के ऊपर ९० प्रतिशत कैपिटल लेवी लगाने की व्यवस्था करनी चाहिये थी। कैपिटल लेवी की पूरी व्यवस्था कराने का हमने निवेदन किया था। अगर इस योजना को मानकर सरकार चलेगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जो आर्थिक विषमता बढ़ती चली जा रही है उसकी खाई पटेगी। अब श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से मैं कुछ और निवेदन करना चाहता हूं उनकी जानकारी के लिये ताकि आगे इस बात पर वह ख्याल करेंगे। प्रशिक्षण की स्थिति इस समय

[श्री राजनारायण]

क्या है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीच्यूट, कानपुर के जो प्रिंसिपल महोदय हैं, वह आवश्यक योग्यता नहीं रखते? आगे आप समझिये आज डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज जो हैं वह भी हरकोर्ट बटलर इंस्टीच्यूट के प्रिंसिपल हैं, वही प्रिंसिपल हैं, वही डाइरेक्टर साहब हैं। बार-बार यह कोशिश की गई कि इन दोनों पदों का अलगाव होना चाहिये मगर मुझे अफसोस है कि सरकार ने सुझाव पर ध्यान नहीं दिया। इसी के साथ-साथ अभी जो रिपोर्ट निकली है, इस रिपोर्ट में माननीय मंत्री जी ख्याल करेंगे तो यह देखेंगे कि एक लेडीज हैंड निटिंग इंडस्ट्रियल कालेज के नाम पर एक हजार रुपये की व्यवस्था कर दी गई है लेकिन बाद में मालूम हुआ कि यहां कोई इंस्टीच्यूट है ही नहीं और उसके लिए हमारे बजट में यहां रकम मुकर्रर कर दी गई है। तो ऐसी-ऐसी बातें माननीय मंत्री जी आगे के लिये ख्याल करेंगे। यह बातें ऐसी हैं जो हमारी हुकूमत के जरिये जो थोड़े से रूप में भी यह काम हो रहा है यह उसकी शान और मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिये इसके बारे में ख्याल करना चाहिए। ४९–५० का जो हैंडीक्रैफ्ट बिजनेस का सवाल है और जो रिपोर्ट यहां पर बंटी हुई है, उसमें माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह देखेंगे कि २,४४,६७८ रु० की हानि हुई है। आखिर यह हानि क्यों हुई। यह इसलिये हानि हुई है कि यह व्यवस्था नहीं है, दुर्व्यवस्था है और उसका इन्तजाम होना चाहिये। और श्रीमन्, आगे के लिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि बार-बार उद्योग के बारे में कई बार जब-जब इस सदन में चर्चा चली, तब-तब हमने निवेदन किया कि यह जो बुनकरों का सवाल है इस बुनकरों के सवाल को हल करने के लिए हमारी सरकार को कोई न कोई कदम उठाना चाहिये। जैसा कि कोई खास डिजाइन है कपड़े की तो उस डिजाइन के बारे में सरकार को निश्चित कर लेना चाहिये, यह तो पुरानी मांग हमारी है कि कुछ सामान को बुनकर जो बुनते हैं वही तैयार करेंगे, मिलों के जरिये और बड़े-बड़े कारखानों के जरिये से ये सामान नहीं तैयार किये जायंगे। अगर ऐसा हो जायगा तब तो जाकर बुनकरों की समस्या हल हो सकती है, वरना नहीं होगी। चाहे किसी पालिटिक्स को मद्दे नजर रखते हुये माननीय मंत्री जी सदन में इस बात को कह दें कि बुनकरों के साथ उनकी सहानुभूति है मगर यह सहानुभूति खाली सहानुभूति होकर रहेगी, यह सहानुभूति सफल होती है या नहीं, यह निश्चय करती है हमारी नीति। अगर हमारी नीति ऐसी है कि बुनकर जो सामान पैदा करें वह सामान दूसरे जरिये से पैदा होने वाले सामान से बहुत ज्यादा महंगा न पड़े और उस सामान की खपत की पूरी गुंजाइश हो, तब तो बुनकरों के हित का पालन हो सकता है, वरना कतई पालन नहीं हो सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां जो बहुत सी विचारधारायें हैं वह विचारधारायें आज टक्कर ले रही हैं, हमारे उद्योग-धंधों में एक विचार धारा है सेंट्रलाइजेशन (विकेन्द्रीकरण) की टेंडेंसी की, हेवी इंडस्ट्रीज (बड़े-बड़े उद्योग धंधे) की। और दूसरी डीसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रीज (विकेन्द्रित उद्योग) की, लोकल (स्थानीय) आधार पर कारपोरेशन बनाकर पैदा करने वालों के जरिये, उपभोक्ताओं के जरिये सारे सामान और उद्योग का नियंत्रण करने की तो किस टेंडेंसी को ले करके, किस नीति को ले करके यह सरकार चलती है यह बात साफ होनी चाहिये। श्रीमन्, मैं करूं क्या? एक अफसोस है कि आज जो कमाने वाला है, जो धन पैदा करने वाला है वह अपनी कमाई को पा नहीं सकता है। क्या किया जाय, एक उर्दू का शेर है–

खुदा की शान है, नाचीज चीज बन बैठे,
जो बेशऊर थे वह बातमीज बन बैठे।

आज दुनिया ऐसी है कि मैं बहुत परेशान हो गया हूं, आखिर इससे उद्धार कैसे होगा, इससे छुटकारा कैसे होगा। छुटकारा हो सकता है बशर्ते कि हम लोग अपने दिल व दिमाग को साफ करें और सफाई के साथ सारी बातें करें। चूंकि लाल बत्ती हो गई है, शायद

एक मिनट समय है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे विभव जी ने कहा कि सबका फर्ज है कि माननीय उद्योग मंत्री जी को बधाई दें, उनके पुनर्निर्वाचन पर मगर उन्होंने एक बात कही कि तमाम विरोधी पार्टियों के मान का मर्दन करके जिस शान के साथ माननीय मंत्री जी का चुनाव सफल हुआ इस पर मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। अफसोस है कि मैं तो उस चुनाव को एक दया का विषय समझता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं कि जनतांत्रिक प्रणाली और पद्धति को चकनाचूर करके वह चुनाव हुआ है इसलिये मुझे इस पर कोई खुशी नहीं है।

श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक चुनाव का संबंध है मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि किस का मान मर्दन हुआ। जिसका मान मर्दन हुआ है वह खुद अनुभव करता है, कह कर दिल दुखाना ठीक नहीं है। चुनाव हो गया और सब खतम हो गया लेकिन यह कहना कि वहां सारी पद्धति को चकनाचूर किया गया सर्वथा गलत है और जिसने किया वह नादिम होगा, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं किया गया।

जहां तक और सब परेशानियों का ताल्लुक है जिसका जिक्र हमारे मित्र राजनारायण जी ने किया, वीवर्स की यह कोई नयी बात नहीं है और यह बात भी नहीं है कि महज राजनारायण जी ही वीवर्स के लिये बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, यह सरकार भी काफी दिलचस्पी रखती है और हर तरह से उनको सहायता देने के लिये तैयार है। हमारे मित्र ने यह फरमाया कि कुछ रिजर्वेशन होना चाहिये। आज मैं पहले पहल उनके मुंह से यह सुनता हूं, यह सरकार पहले ही से केन्द्रीय सरकार को लिख चुकी है और उनसे कारेस्पांडेन्स इस सलसिले में कर रही है। अगर हमारे बस की बात होती तो हमने अब तक कर दिया होता, लेकिन बात है केन्द्रीय सरकार के हाथ में इस वजह से हमारी मजबूरियां हैं, वरना हमारी कोशिशों में किसी किस्म की कोताही नहीं थी।

एक बात और बतायी गयी कि हैण्डीक्रैफ्ट में नुकसान हुआ। हैण्डीक्रैफ्ट में आग भी लग गयी थी, यह भी एक वजह नुकसान की हो सकती है। दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संस्था मुनाफा के लिये नहीं है। यह तो इसलिये कायम की गयी है कि जो हमारे देश के काटेज इंडस्ट्रीज के काम करने वाले हैं उनके लिये हम मारकेट पैदा करें और उनकी चीजों को बिकाने में हम सहायता करें और हर तरह का प्रयत्न करें। लिहाजा इन प्रयासों में नुकसान अक्सर हुआ करता है। इसके अलावा अगर लोगों को सहूलियतें मिलें और शुरू-शुरू में कुछ आकस्मिक घटनाओं की वजह से नुकसान हो तो उससे यह नहीं कहा जा सकता कि यह संस्था बेकार है या इसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी पैदा हो जाती हैं बावजूद इसके कि हम आप हर तरह की कोशिश करें, लेकिन फिर भी कुछ बातें हो जाती हैं।

हमारे लायक दोस्त राजनारायण जी कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं इस दुनिया से। दुनिया में जिस दिन परेशानी मिट जाय उसी दिन जिन्दगी का लुत्फ हो जाता रहेगा। लुत्फ इसी में है कि परेशानी रहे और स्ट्रगल हम करते रहें। लिहाजा वह जिन्दगी फीकी हो जायगी अगर उसमें दिक्कतें नहीं रहेंगी। इससे किसी को परेशान नहीं होना है। इस्तकलाल के साथ आगे बढ़ना है, मुश्किलात का सामना करना है, परेशानियों का मुकाबिला करना है तब ही जिन्दगी का लुत्फ बाकी रहेगा। लिहाजा इन शब्दों के साथ मैं फिर यह रिक्वेस्ट करूंगा कि यह मांग स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--- प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष— प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—उद्योग (लेखा शीर्षक ४३—उद्योग) के अन्तर्गत १,०४,७२,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर २२ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक ५६—लेखन सामग्री और छपाई

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक ५६—के अन्तर्गत ८३,३७,२०० रुपये की धनराशि स्वीकार की जाय। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि पारसाल इस अनुदान में ७८,५३,४०० रुपया रखा गया था तो ४,८३,८०० रुपये की वृद्धि हुई है। कुछ स्टाफ की तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ है, पे ऐंड अलाउंसेज, टैक्निकल स्टाफ में और कुछ बाई इलेक्शन्स के बैलट पेपर्स के छपाने का है। टेलीफोन कनेक्शन्स में कुछ अखराजात हैं। प्रेसेज के लिये रा मैटीरियल खरीदा गया और कुछ इलाहाबाद और लखनऊ के प्रेसेज के मशीनरी और प्लान्ट्स में डैप्रिसियेशन का प्रावीजन किया गया। चूंकि छपाई का काम इन प्रेसेज में बहुत ज्यादा हो गया है, एक कमेटी एक्सपर्ट्स की मुक़र्रर कर दी गई है कि वह जांच करके देखे कि हमारी आयन्दा जरूरियात क्या होंगी। रिपोर्ट में देर हुई जिसके लिये खेद है। परन्तु ताकीद कर दी गई है और शीघ्र आने वाली है। जो हमारी जरूरियात होंगी उनके मुताबिक़ कार्यवाही की जायगी और उसके बाद मैं समझता हूं, प्राइवेट प्रेसेस से बहुत कम काम लिया जायगा हमारे प्रेसों से हमारा अधिकांश काम हो जायगा। लिहाजा इस साल प्राइवेट प्रेसेज से काम लिये जाने के लिये केवल ५०,००० रुपया रखा है। मैं समझता हूं कि यह अनुदान ऐसा है जिसे यह सदन स्वीकार करेगा।

अधिष्ठाता—श्री रामनारायण त्रिपाठी, मैं आपके लिये ७ मिनट का समय नियत करता हूं क्योंकि समय कम हो गया है। १० मिनट नहीं होंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

इसमें शक नहीं कि जिस काम के लिये यह रक़म मांगी जा रही है वह बहुत ही अच्छा काम है और इस प्रदेश के लिये बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन इस सम्बन्ध में जैसी कार्यवाही अब तक होनी चाहिये वह नहीं हुई। हमारे गवर्नमेंट प्रेस में बहुत सी किताबें छप सकती थीं और सरकार और रुपया लेकर बड़े पैमाने पर और भी शाखायें खोलकर छपवा सकती थी। खासकर मैं टेक्स्ट बुक्स की ओर इशारा कर रहा हूं। जितनी भी सरकार की ओर से टेक्स्ट बुक्स तैयार होती हैं हायर सेकिंडरी स्कूलों तक की, अगर सरकार ही उनको छपाने का इन्तजाम करती तो उससे बहुत फायदा हो सकता था। पता चला है, कोई निश्चित रिपोर्ट तो नहीं है। केवल तीन टेक्स्ट बुक्स अब तक गवर्नमेंट द्वारा छपवाई गई थीं और उनसे ८ लाख का फायदा गवर्नमेंट को हुआ। अगर काफी किताबें छपवाई जायं तो काफी फायदा हो सकता है। जापान में इसी प्रकार से व्यवस्था करके ४, ५ करोड़ रुपये सालाना का फायदा उठाया जाता है। मैं समझता हूं कि अगर हायर सेकेंडरी स्कूल तक की तमाम किताबें गवर्नमेंट प्रेसेज में छपवाई जायं तो इससे काफी रुपये का जिसकी मात्रा ५, ६ करोड़ की हो सकती है, फायदा उठाया जा सकता है।

जब अध्यापकों का प्रश्न उपस्थित किया जाता है तो सरकार कहती है कि रुपया नहीं है। सिर्फ अकेले इसी काम से फायदा उठाकर जो प्रायमरी स्कूलों के ८५,००० अध्यापक हैं उनकी समस्या को हल किया जा सकता है। यदि उनकी तमाम मांगों को मान लिया जाय तो ५ करोड़ ३६ लाख रुपये की जरूरत पड़ती है जिसमें सवा करोड़ रुपया ऐसा है जो पिछले बकाया के बारे में है और ७२ लाख रुपये उनके भत्ते के सम्बन्ध में है। अगर उनकी तनख्वाहों में जैसा कि वह चाहते हैं, वृद्धि कर दी जाय तो सरकार को ३ करोड़ ३६ लाख रुपया सालाना देना पड़ सकता है। जब इस व्यवसाय को व्यवस्थित ढंग से चला कर सरकार कई करोड़ रुपया पैदा कर सकती है तो अकेले इससे ही अध्यापकों की समस्या को पूरा किया जा सकता है।

अब तक यह काम काफी अव्यवस्थित रहा है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके लिये एक्सपर्टस की कमेटी बिठा दी है तो वह तो ठीक ही है लेकिन इसके लिये जैसे कि और डिपार्टमेंट्स में हैं एक बोर्ड बना दिया जाय चाहे वह एक्सपर्ट्स का बोर्ड हो और वह इस डिपार्टमेंट को अपनी सलाह मश्विरा देता रहे। इसमें स्टेशनरी गायब करने की काफी गुंजायश है कागज की चोरी मशहूर है। ऐसी बात है कि गवर्नमेंट प्रेसेज से कागज की चोरी होती है। इसकी मिसाल यह है कि किसी किताब के मान लीजिये एक लाख संस्करण छापने हैं लेकिन ८० हजार ही छपवाये गये तो बाकी २० हजार संस्करण का कागज चोरी हो जाता है। इसलिये इस तरफ विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। यह ऐसी चीजें हैं कि उनके लिये कोई कांकरीट सबूत नहीं दिया जा सकता है लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इधर ध्यान देंगे।

श्री हुकुम सिंह—अभी तक कोई मुखबिर मिला नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मिलेंगे, अगर आप पूछेंगे। दूसरी बात में आपको यह बतलाना चाहता हूं कि शुगर मिल्स वगैरा में किसी कर्मचारी को ५५ रुपये से कम तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन प्रेसेज के कर्मचारियों को २५-२६ रुपये तनख्वाह मिलती है। इलाहाबाद प्रेस में बाइंडिंग सेक्शन में ३० रुपये से ४० रुपये तक का स्केल है और हमारे ऐशबाग में २५ रुपये से ३० रुपये का स्केल है। इससे कर्मचारियों में काफी असन्तोष रहता है और जितना एक कर्मचारी दिन भर में काम कर सकता है उतना नहीं होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाय।

ऐशबाग की फैक्टरी के सम्बन्ध में मुझे एक सूचना मिली है। मैं चाहता हूं कि वह गलत हो। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर रोशनी डालेंगे। यह जमीन और यह बिल्डिंग जो खरीदी गई है वह रामचन्द्र एण्ड सन्स की थी और श्री डालमिया जैन से ५ लाख ५० हजार रुपये में सौदा हो गया था। इसी बीच में गवर्नमेंट ने इसको खरीदना चाहा। और जब गवर्नमेंट ने पी० डब्ल्यू० डी० से तखमीना मंगाया तो उन्होंने कहा कि अगर १४ लाख में यह मिल जाय तो बहुत ही मुनासिब होगा। तो जो सौदा ५ लाख ५० हजार पर हो गया उस पर पी० डब्ल्यू० डी० का १४ लाख का तखमीना आया। उसके बाद शायद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ ने एवार्ड दिया और शायद १० लाख रुपये में यह इमारत खरीदी गयी और मुझे यह भी मालूम हुआ है कि रुपया जल्दी अदा न करने की वजह से ७३ हजार रुपये बतौर सूद के गवर्नमेंट को देने पड़े। अगर ऐसी बात है तो निहायत अनुचित बात है और इसका स्पष्टीकरण तो माननीय मंत्री जी ही कर सकते हैं।

प्रेसेज से बाहर छपाने की बात माननीय मंत्री जी ने कही। आम तौर से तो पहले बड़े-बड़े प्रेसेज से, जैसे नेशनल हेराल्ड वगैरह से टेण्डर मंगाकर बाहर छपाई की जाती थी, लेकिन सुनते हैं कि जब इन प्रेसेज ने गवर्नमेंट की चापलूसी करना स्वीकार

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

नहीं किया तो जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह छपाई जाती थी उन बड़े प्रेसों को न देकर कांग्रेस के लोगों को, इंडिविजुअल्स को दी जाती हैं ताकि वे बीच में मुनाफ़ा उठा करके किताबें छपवायें। यह प्रथा भी बन्द होनी चाहिये। जो कुछ भी हो टेण्डर के ज़रिये से होना चाहिये जिसमें अच्छी और साफ़ छपाई हो और जल्दी भी हो। इन सब बातों को ध्यान में रखकर माननीय मंत्री जी को और गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री को चलाना चाहिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (ज़िला इलाहाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान माननीय उद्योग मंत्री द्वारा लेखन सामग्री और छपाई के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं जब यह अनुभव करता हूं कि आज सरकार की ओर से हमारी बात को सुनने वाले सिर्फ उद्योग मंत्री हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ कहना बाक़ी रहता नहीं है क्योंकि मेरा अपना पिछले एक वर्ष का यह तजुर्बा रहा कि माननीय उद्योग मंत्री और उनका समस्त विभाग इन मजदूरों की हर बात के सम्बन्ध में, जो इस छापेखाने में काम करते हैं बड़ी सहानुभूति से देखते रहे। मैं चाहता था और भगवान से बराबर प्रार्थना कर रहा था कि हमारे माननीय वित्त मंत्री आज भवन में मौजूद होते और यदि वे मौजूद होते तो मैं कुछ निवेदन उनसे अवश्य करता। किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि माननीय उद्योग मंत्री हमारी बात को अगर पूरा कराना चाहें तो नहीं करा सकते हैं, यह मेरा आशय नहीं है, लेकिन फिर भी माननीय उद्योग मंत्री विभागीय निर्देशक होने के कारण अपने विभाग की ओर से जो बातें कहते हैं माननीय वित्त मंत्री वेज ऐण्ड मीन्स के मंत्री होने की वजह से उनको मानने में हमेशा कुछ न कुछ दिक्कतें पाते हैं और सिर्फ इन्हीं दिक्कतों की वजह से वे मुनासिब बातें भी आज तक पूरी न हो सकीं जिनके सम्बन्ध में इस विभाग के कर्मचारियों की क़लम से लिखी हुई सिफारिशें प्राप्त हो चुकी थीं। मैं जहां एक ओर मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने माननीय उद्योग मंत्री को, इसलिये कि एक बड़ा कलंक और एक बड़ा पाप इस विभाग पर बराबर चला आ रहा है था, अस्थायी नौकरियों के रूप में, उसे वह धीरे-धीरे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और इस वित्तीय वर्ष में भी ३१४ आदमियों को उन्होंने परमानेंट करने का जो निश्चय किया है उससे एक बड़ा लाभ हमारे मजदूरों को होगा और जहां यह बात खुशी की है कि ऐशबाग के मजदूरों के क्वार्टरों की मरम्मत के लिये १ लाख ३४ हजार रुपया के क़रीब इस बजट में प्राविज़न है वहां दूसरी ओर हमारे इलाहाबाद में एक नया विभागीय मोनो चैपल जो कि अब तक एक ग़लत क़िस्म की इमारत में रखा गया था, उसकी इमारत के लिये ५७ हजार रुपये की मांग इस बजट में पेश की गई है वहां मुझे उद्योग मंत्री से यह कहना है कि अटकी हुई मजदूरों की उन मांगों पर भी शीघ्र ध्यान दें जिसका वर्णन मैं ऊपर कर चुका।

माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रेस कर्मचारियों की प्रशंसा की। बजट भाषण के अन्तिम पैरा में जहां उन्होंने राउ साहब की प्रशंसा की वहां उन्होंने छापेखाने में काम करने वाले मजदूरों और अफसरों की भी प्रशंसा की। लेकिन जब मजदूरों की किसी बात को लेकर उनके पास जाता हूं—जैसे कि हायली स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को एक समान मिलने वाली तनख्वाह के बारे में तो वित्त विभाग की ओर से कह दिया जाता है कि यह चीज नामुनासिब तो नहीं है, पर अच्छे वक्त का इन्तजार कीजिये। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री अपनी जगह पर पुनः विराजमान हैं और आशा है कि उनके सहयोग से अब मजदूरों के शेष कष्ट दूर होंगे।

इस मांग पर बोलते हुए माननीय श्री रामनारायण जी ने कुछ काग़ज की चोरी की बात कही। मैं पिछले पांच साल से ट्रेड यूनियन में लखनऊ और इलाहाबाद के मजदूरों से संबंधित रहा हूं और यह मैं बड़ी हिम्मत और मजबूती से कह सकता हूं कि जहां तक

मेरी जानकारी है कोई भी ऐसा वाक़या गवर्नमेंट के प्रेसेज में नहीं हुआ जिससे काग़ज चोरी गया हो। जब कभी ऐसा मौका आये तो उसको देखा जाय। मेरी जानकारी तो यह है कि ऐसी कार्यवाही नहीं होती। प्रेसों के बारे में भी कहा गया। पहले गवर्नमेंट प्रेस के निश्चित रेट्स थे, लेकिन सुपरिण्टेंडेंट प्रिंटिंग ऐण्ड स्टेशनरी ने अधिकांश काम सिवाय टेंडर के और किसी प्रकार से देना बन्द कर दिया। नतीजा उसका यह हुआ कि हाई स्कूल और इंटर बोर्ड की रोल लिस्ट जहां १९५१-५२ में ४० रु० प्रति फर्मा के हिसाब से छपी थी, स १९५२-५३ में सिर्फ २२ या २३ रुपया फर्मा के हिसाब से छापी गयी।

एक बात की ओर मैं माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हू वह यहां के लोगों और कर्मचारियों की दिक्कत के बारे में है, यह बात मैंने पारसाल भी कही थी। कभी-कभी इस विभाग के ऊपर ग़लत ढंग से भी काम लाद दिया जाता है। खासकर वित्त मंत्री का विभाग समय से बजट भेजना तो जानता ही नहीं, यह भी नहीं सोचा जाता कि इतने समय में वह छप सकेगा या नहीं। इस वर्ष मजदूरों को समझाना पड़ा और उनसे निवेदन करना पड़ा कि इसमें उनके सहयोग की बात है किसी तरह से उनको यह काम करना ही है। इसके अतिरिक्त जो ओवर टाइम दिया जाता है उसमें बड़ी गड़बड़ी होती है, इसमें अफसरों का कोई दोष नहीं है क्योंकि उनके हाथ तो बंधे हुए हैं। गवर्नमेंट प्रेस में ओवर टाइम एक एक दिन में ८, ८ और १०, १० घंटे हो जाता है लेकिन फैक्टरी इन्सपेक्टर से बचने के लिये उसको तीन दिन में बांटकर दिया जाता है।

मैं फिर मजदूरों के वेतन के सम्बन्ध में कहूंगा कि मजदूरों के बीच आज कल स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की जो एक ही तनख्वाह है उसके कारण बड़ा असंतोष है। आशा है सरकार इस असंतोष के बीज को बढ़ने से रोकेगी।

श्री बाबूलाल मीतल (जिला आगरा)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा उद्योग मंत्री जी का ध्यान कुछ मुख्य बातों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अभी यह सदन जब अनुदान संख्या २९ पर विचार कर रहा था तो अनेक माननीय सदस्यों ने उद्योगों को बढ़ाने के बारे में और उनके राष्ट्रीयकरण के बारे में अपने-अपने विचार प्रकट किये। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अनुदान संख्या ३९ पर विचार करते हुये उसी दृष्टिकोण से देखें तो आपको पता चलेगा कि सचमुच जो यह गृह उद्योग धंधे पनप नहीं पाते हैं उनका एक मुख्य कारण भी है। इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को यह मालूम होगा। फिर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं। यह कैसी बिडम्बना है कि एक ओर तो हम यह कहते हैं कि हाथ से कागज बनाने का काम बन्द कर दिया जाय, यह कुटीर उद्योग बेकार है, और दूसरी ओर जो लेखन सामग्री माननीय सदस्यों को दी जाती है, सरकार की तरफ से जो कागज इस्तेमाल किया जाता है, माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो मैं नमूना दिखला सकता हूं, मेरे पास मौजूद है, वह मेड इन स्वीडेन होता है। क्या यह सचमुच में हमारे लिये कुछ गौरव की बात है ? मेरा नम्र निवेदन है कि यदि हम अपना हृदय टटोलें तो यह कटु सत्य मालूम होता है कि स्वराज्य मिलने के पहले स्वदेशी की जितनी भावना थी, जितनी लग्न थी, वह स्वराज्य मिलने के बाद भगवान जाने कहां चली गयी। आज के दिन जो स्टेशनरीज सरकारी दफ्तरों में और बड़े-बड़े अधिकारियों के एज़ सप्लाई की जाती हैं उस तरफ जरा निगाह डाल कर देखें तो साफ मालूम हो जायगा कि कितने स्वदेशी हैं और कितनी विदेशी हैं। उद्योग धंधे बढ़ाने की बात हम करते हैं लेकिन एक ओर हम देखते हैं कि आज से ३० वर्ष पहले जो ऐसे कारखाने थे जिनमें काली और रंगीन् अनेकों तरह की पेंसिलें बनती थीं उनको कोई सहायता नहीं मिली या जितनी मिलनी चाहिये

[श्री बाबूलाल मीतल]

थी उतनी नहीं मिली जिससे आज से ३० वर्ष पहले जो उनका काम था उसमें कोई उन्नति नहीं हुई और दूसरी ओर बाजारों में विदेशी माल धड़ाधड़ बिकता जा रहा है। यदि सरकार गृह उद्योग के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो इसका नतीजा स्पष्ट है। हम चाहे जितना भी भाषण दें या चाहे जितना भी उद्योग धंधे बढ़ाने की बात कर लें लेकिन जब तक सरकार इस बात का प्रयत्न नहीं करती है कि अपने लिये जो चीज स्वदेशी मिलना असम्भव हो, उसके अलावा कोई विदेशी चीज न ली जाय तब तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां उद्योग धंधा पनप सकता है अन्यथा इसका पनपना असम्भव है। इस तरह के एक उदाहरण ही नहीं बल्कि अनेकों हो सकते हैं लेकिन मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारी यह मनोवृत्ति रही तो चाहे हम जितना खर्च कर लें, जो हम अपने देश के लिये करना चाहते हैं वह नहीं कर पायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह—श्रीमन्, इस अनुदान के सिलसिले में हमारे मित्र श्री राम नारायण त्रिपाठी जी ने अपने कठौती के प्रस्ताव को पेश करते हुये दो एक बातें कही हैं, उनके संबंध में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने छापेखाने में कागज की चोरी का भी जिक्र किया। आज तक मेरी नोटिस में ऐसी कोई बात आयी नहीं है और न कोई शिकायत पायी गयी है पहले पहल आज यह बात इस सदन में बतलायी गयी है। मेरा तो खयाल यह है कि हमारे छापेखाने में कोई चोर नहीं है और जब तक यह बात साबित न कर दी जाय तब तक प्रिजम्पशन यही रहेगा कि सब निर्दोष हैं। लिहाजा मेरे सामने कोई ऐसा सबूत हमारे मित्र ने नहीं बतलाया जिसके आधार पर मैं अपनी राय बदल सकूं। वाकई में नजर रखूंगा और देखूंगा कि कहां तक इस आरोप में सत्यता है। अगर कोई शख्श ऐसा काम करते हुये मिलेगा तो उसे मुनासिब सजा भी दी जा सकती है और दी जायगी।

दूसरी बात हमारे मित्र ने यह भी फरमाई कि प्राइवेट जो प्रेस थे उनमें पायनियर और नेशनल हेराल्ड को भी पहले काम दिया जाता था लेकिन जब से उन लोगों ने चापलूसी करना छोड़ दिया तब से अब उनको कोई काम मिलता नहीं। इस संबंध में मैं क्या कहूं? यह सरकार चापलूसी कराने की आदी नहीं है और न चापलूसी करने वाले कभी इस सरकार से मुस्तफीद हुये हैं और न आयन्दा होंगे। अगर किसी के दिल में यह इरादा हो कि चापलूसी करके इस सरकार से कुछ फायदा उठायें तो उसे मेहरबानी करके अपना इरादा जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिये। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि किसी के साथ पक्षपात नहीं होता है। जब कोई काम ऐसा होता है प्राइवेट प्रेसेज का तो टेंडर्स मंगाये जाते हैं और जो कानूनन मुस्तहक समझा जाता है उसको आर्डर दिया जाता है लिहाजा ऐसी सूरत में यह कह देना कि पायनियर और नेशनल हेराल्ड को नहीं मिलता है यह बात ठीक नहीं मालूम होती।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या पायनियर और नेशनल हेराल्ड को दिया गया?

श्री हुकुम सिंह—उन्होंने या तो टेंडर दिया ही नहीं होगा और अगर दिया भी होगा तो गड़बड़ दिया होगा जिससे उनको नहीं दिया गया।

दूसरी बात मेरे मित्र ने अध्यापकों के मामले को लेकर इस प्रेस में मिला दी। मेरे मित्र को तो जोड़ देने से मतलब, गिरह पड़ जाय, बैठे या न बैठे इससे कोई ताल्लुक नहीं।

हमारा नया प्रेस जो बना है मैंने शुरू में ही कहा था कि उसमें फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिये और जब तक यह सब बातें तय

नहीं हो जातीं तब तक यह कह देना कि हम टेक्स्ट बुक्स छपायें, यह छपा लें वह छपा लें, कहां तक उचित है । वैसे तो इसी उद्देश्य से यह छापाखाना खोला गया है कि जितना सरकारी काम हो और वह कर सके वह सब पहले इसी के जरिये से कराया जाय और जो काम उसकी केपेसिटी के बाहर हो उसको सरकार बाहर से कराये । इसी वजह से हमने एक कमेटी कायम कर दी है और कमेटी सब सवालों पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देने वाली है । जिस वक्त वह रिपोर्ट आ जायगी और विचार करने के बाद सरकार अपना कुछ निर्णय कर लेगी और अपनी जरूरियात के मुताबिक हम इस प्रेस को इक्विप कर लेंगे तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि हम टेक्स्ट बुक्स न छपायें । हम कर सकते हैं तो जरूर करेंगे । किसी के साथ रियायत करने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती । लेकिन यह कब्ल अजंवक्त है यह कह देना कि इससे इतने करोड़ रुपये बचेंगे और यह रुपया लेकर अध्यापकों को दे दिया जाय या पटवारियों की तनख्वाह बढ़ा दी जाय । कह देना तो बड़ा सरल होता है कि सबकी तनख्वाह बढ़नी चाहिये । एक रोज मैं लाबी में बैठे सुन रहा था । कोई अनुदान था तो मेरे मित्र रामसुन्दर पांडेय आजमगढ़ ने कहा कि हमारे जिले में रेकार्ड इतने गलत हैं, असामियों का नाम दर्ज नहीं, बड़ी शिकायतों का तुमार बांधे हुये थे लेकिन अब पटवारियों की ताईद की जाती है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय, उनके इस्तीफे न मंजूर किये जायं, उनको बुला लिया जाय । एक तरफ तो कहा जाता है कि रिकार्ड गलत और दूसरी तरफ कहा जाता है इस्तीफें मंजूर न किये जायं

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—पटवारियों का इस से क्या ताल्लुक ?

श्री हुकुम सिंह—पहाड़ पर रेकार्ड कोई और लिखता होगा लेकिन मैदान में तो पटवारी ही लिखता है । इधर यह शिकायत कि काम बड़ा बुरा है, उधर यह शिकायत की इस्तीफा क्यों मंजूर कर लिया गया । हर तरीके से मुश्किल और परेशानी है । कौन सी बात मानी जाय और कौन सी बात न मानी जाय । जब जैसा मौका हो कह देने से मतलब घुमा फिरा करके । जब तक यह न मालूम हो कि टेस्ट बुक्स छापने से कितना बचेगा, जब तक उसके पूरे आंकड़े न मालूम हों तब तक यह कहना कि एक किताब छापने को दे दी जाय तो उससे अध्यापकों का काम पूरा हो जायगा, गलत है । मैं भी ऐसा कह सकता हूं । लिहाजा इन सब बातों के सुनने के बाद यह नतीजा निकला कि हमारे मित्र को बजट की इस ग्रांट के मंजूर करने में कोई एतराज नहीं है ।

जहां तक बहुगुना जी का ताल्लुक है मैं उनका ऋणी हूं कि जो कुछ काम मैंने किया उसको उन्होंने एप्रिशियेट किया । मैं हमेशा सेवा करने के लिये तैयार हूं । मेरे पास रकम हो तो मुझे तनख्वाह बढ़ाने में कोई ताम्मुल नहीं हो सकता, लेकिन जनता जो इस देश की मालिक है वह बड़ी गरीब है, उसके रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, उनके लिमिटेड रिसोर्जसेज होने के कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते वर्ना हम बड़ी उदारता से काम कर सकते हैं ।

जहां तक कर्मचारियों का ताल्लुक है इसमें शक नहीं कि वे रात-दिन काम करते हैं । जब-जब कहा गया हमारे प्रेस वालों ने सब काम पूरे किये और सारी बातों को किया । मैं समझता हूं कि उनको भी लगन है । वे समझते हैं कि हम अपने देश का काम कर रहे हैं इस नुक्तेखयाल से कि हमें अपने स्वतंत्र देश का काम करना है, यह समझकर कि हम सार्वजनिक काम कर रहे हैं । इसके यह मानी नहीं कि उनकी तनख्वाह के बारे में कोई विचार नहीं किया जायगा । लेकिन अभी दिक्कतें हैं । दिक्कतों को बहुगुना जी भी एप्रिशियेट करते हैं । वरना वित्त मंत्री जी की मौजूदगी की तलाश कभी न करते । हैं दिक्कतें, लिहाजा उनके होते हुये कोई बात कहना ठीक नहीं । लेकिन मैं हमेशा प्रयत्नशील रहता हूं कि जितनी

[श्री हुकुम सिंह]

मदद कर सकूं और वह हमेशा जारी रहेगा जब तक इस विभाग का इंचार्ज रहूंगा। इसके अलावा इस वक्त मेरे लिये और कुछ कहना दिक्कततलब है। लिहाजा इन चन्द शब्दों के साथ मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि यह अनुदान जरूर स्वीकार किया जाय ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अधिष्ठाता महोदय, मैंने तो अपने भाषण में पहले ही निवेदन किया था कि काफी ग्रांट लेकर इस काम को बहुत तेजी से चलाया जाय। मैंने तो मिसाल के तौर पर यह बतलाया था कि गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी होती है और अध्यापकों के मामले तो ही ले लिया जाय और किताबों से आमदनी की जाय। उन्हें तो अध्यापकों पर ही एतराज था लेकिन पटवारियों के मसले में खुद चले गये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को अपने रेवेन्यू मिनिस्टर होने की याद आ गई। जहां तक स्टेशनरी की चोरी की बात है मैंने जिम्मेदारी के साथ बात कही है और मैं माननीय मंत्री जी को इत्तिला दूंगा कि स्टेशनरी की चोरी किस प्रकार हुई है और हो रही है। माननीय बहुगुना जी से मैं कहूंगा कि चूंकि उनका वहां के मजदूरों से ताल्लुक है और अगर वे मजदूरों से कागज की चोरी के बाबत जांच करें तो मैं समझता हूं कि बहुत मुफीद मजदूरों के लिये होगा और माननीय मंत्री जी को भी जानने में सहूलियत होगी। जहां तक ग्रांट का ताल्लुक है मैं तो स्वयं चाहता हूं कि इस पर ज्यादा रुपया लेकर खर्च किया जाय ।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—लेखन सामग्री और छपाई (लेखा शीर्षक ५६— लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि सरकारी छापाखाना) के अन्तर्गत ८३,३७,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक—५७—विविध व्यय

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—अधिष्ठाता महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०—विविधि व्यय, (लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय) के अन्तर्गत ९,७०,२८,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

यह विविध विषय की ग्रांट है। इसमें वह सब रकूमात शामिल हैं जो कि मुख्तलिफ हेड्स में शामिल नहीं की जा सकीं और उनकी तफसील इस बजट के वाल्यूम ४ में साफतौर से दी हुई है। इसमें रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का भी है और भी नाना प्रकार के प्राविजन्स हैं जिसको माननीय सदस्यों ने बखूबी पढ़ लिया है। उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। दोहराने में काफी वक्त लगेगा और जो वक्त इसके लिये निर्धारित है वह दोहराने में सर्फ हो जायगा। लिहाजा ज्यादा न कहकर मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यह सदन इस मांग को भी मंजूर करे ।

अधिष्ठाता—इस अनुदान के लिये जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे उनके लिये ७ मिनट का समय और अन्य सदस्यों के लिये ५ मिनट का समय होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत समस्त अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

श्रीमन्, सात मिनट के समय के अन्दर उन नाना प्रकार की व्यवस्थाओं की आलोचना कर सकना जो कि माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत की है असम्भव सा है। लेकिन फिर भी जो भी मुख्य व्यवस्थायें इस अनुदान की हैं उन पर मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें सबसे मुख्य व्यवस्था लोकल बोडीज को ७५ लाख रुपये डियरनेस एलाउन्स देने के लिये है और यह व्यवस्था अध्यापक मंडल की हड़ताल से संबंधित है जो आज सारे प्रदेश भर में चल रही है। तो देखने में यह आता है कि महंगाई का भत्ता जिस सिद्धांत के अनुसार यह प्रांतीय सरकार देती है वह अनोखा है। हमारी पे कमेटी की रिपोर्ट जो हमारी यू० पी० की है वह बहुत पुरानी हो चुकी है और हमारी प्रांतीय सरकार जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह और मंहगाई का भत्ता देती है उसके मुकाबिले में यह बहुत पीछे रह गयी है। अगर पंजाब की लोकल बाडीज को जो डियरनेस और तनख्वाह के लिये ग्रांट दी जाती है उसको देखें तो वह यह विचार करेंगे कि यह ७५ लाख रुपया जो इस बजट में रखा गया है वह बहुत कम है। अब तो गाडगिल कमेटी ने भी ५० प्रतिशत मंहगाई का भत्ता तनख्वाह में मिला देने के लिये सिफ़ारिश की है और वह तनख्वाह में मिला दिया गया है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि केंद्रीय सरकार में भी कांग्रेस की सरकार है और यहां पर भी कांग्रेस सरकार है लेकिन तनख्वाहों के बारे में और मंहगाई के भत्तों के बारे में भले ही वह सरकारी कर्मचारी हों या लोकल बाडीज के कर्मचारी हों उनके लिये किसी सिद्धांत के तारतम्य को लेकर कोई सिद्धांत नहीं बनाया गया है बल्कि उनमें बहुत असमानता है। तो मैं क्या इस बात की आशा करूं कि बजाय इसके कि प्रेस्टिज व प्रश्न को बनाकर बेचारे गरीब अध्यापकों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जाय। अगर माननीय मंत्री जमीदारी अबालिशन फंड में से मुआविजा जमीदारों को न देकर अगर इससे मुआविजे को बन्द करके और उनको न देकर गरीब अध्यापकों के मंहगाई के भत्ते को बढ़ाने की चेष्टा करते तो मैं समझता हूं कि इस देश का बहुत उपकार होता। दूसरी बात इसमें यह है कि एक अनुदान पिछले साल के बजट में "District Boards for implimentation of revised scale of pay" के लिये २० लाख रुपया रखा गया था। वह ग्रांट इस साल के बजट में खत्म कर दी गयी है। वह २० लाख रुपया बजाय उस ग्रांट के रखने के वह २० लाख रुपया ग्रांट्स "Grants to District Boards for reorganisation of Primary schools," में रखा है। इस प्रकार से अध्यापकों की जो मांग है वह और भी परिपुष्ट हो जाती है। आज मुझे डर है कि रिआर्गनाइजेशन आफ प्राइमरी स्कूल के नाम पर अध्यापकों की छटनी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सरकार कराना चाहती है। उनकी तादाद को कम करने की उसकी मन्शा है इसीलिये इसका नाम रिआर्गनाइजेशन आफ प्राइमरी स्कूल रखा गया है। मैं तो यह समझता हूं कि यह अनुदान शिक्षा अनुदान के अन्दर आना चाहिये था या स्वायत्त शासन विभाग के अन्दर आना चाहिये था। यह जो इस विविध प्रकार के अनुदान के अन्दर रखा गया है यहां पर इसकी क्या आवश्यकता थी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अनुदान पर और इस शिक्षा के अनुदान पर यदि माननीय मंत्री जी प्रकाश डालने की चेष्टा करते तब तो कुछ समझ में आ सकता था और वह इसको समझाकर बतलाते। यह महत्वपूर्ण विभाग है और इसका संबंध शिक्षा विभाग से है यहां पर नहीं आना चाहिये था और वहीं पर आना चाहिये था।

इसके अन्दर १० लाख रुपये की एक और व्यवस्था की गई है जो कि बेकारी हटाने के लिये खर्च किया जायगा। मैं इस बात को माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह इस बात को हमको बतलायें कि आखिर १० लाख रुपया बेकारी को दूर करने के लिये जो अनुदान में रखा गया है उससे किस प्रकार बेकारी दूर की जायगी और वह रुपया किस प्रकार से खर्च होगा। क्या इसके लिये कोई योजना बनायी जायगी या इसका कोई दूसरा तरीका होगा वह सब माननीय मंत्री जी हमको बतलायें कि यह रुपया किस तरह से खर्च किया जायगा। हालांकि मैं यह समझता हूं कि "यह ऊंट के मुंह में जीरा"

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

वाली बात है। इतनी बड़ी समस्या को हल करने के लिये यह १० लाख रुपया किस तरह काफी होगा यह मैं नहीं समझ सकता। हां, यह बात जरूर है कि एक नारा देने के लिये और यह कहने के लिये कि बेकारी को दूर करने के लिये हमारा प्रयत्न है और उसको हल करना चाहते हैं इसीलिये यह १० लाख रुपया रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह स्पष्ट बतलावें कि बेकारी को दूर करने के लिये यह रुपया किस तरह से खर्च किया जायगा। इसके अन्दर इसके लिये कोई मेमोरेंडम भी नहीं दिया गया है कि यह रुपया इस तरह से खर्च किया जायगा या इसके लिये क्या व्यवस्था होगी। गवर्नमेंट किस प्रकार से इस रुपये को खर्च करेगी। यह १० लाख रुपया इतनी बड़ी समस्या के लिये बहुत कम है।

तीसरी बात शरणार्थियों के लिये है। उनके लिये पिछले साल के बजट में ६७ लाख रुपया व्यय करने के लिए रखा गया था, लेकिन उसमें से ४२ लाख रुपया खर्च हुआ है। सबसे बड़ा आश्चर्य इस अनुदान को देखने से यह होता है कि किस प्रकार से इस्टीमेट विभाग में किया जाता है। विभाग को यह पता नहीं रहता है कि कितनी आवश्यकता है और उसके लिये कितना रुपया देना है। समझ में नहीं आता कि शरणार्थी जैसे बसाने के काम में भी सरकार के पास रुपया बच जाता है और उनके लिये खर्च करने की जरूरत ही सरकार के पास नहीं रहती है अब पैसों की जरूरत नहीं रही? यह १५ लाख रुपया बच गया, नहीं कहा जा सकता कि देने वाले नहीं रहे या लेने वाले नहीं रहे।

रुद्रपुर टाउन डेवलेपमेंट के लिये भी इसमें व्यवस्था की गई है। वह भी कालोनाइजेशन क्षेत्र में हो रहा है। यह चीज भी कल के बजट में आनी चाहिये थी। यह टाउन बसाया जा रहा है लेकिन इसमें गांव वालों को ही तबाह किया जायगा, लेकिन जो बड़े-बड़े फार्म हैं डिप्टी डायरेक्टर साहब के और मैनेजर जनरल साहब के वह इस तरह से नक्शा बनाया गया है कि उनको बचा दिया गया है और गरीब किसानों के खेत उसमें जा रहे हैं और उनकी वजह से रुद्रपुर टाउन का नक्शा ही बदल दिया गया है। छोटे-छोटे किसानों के लैण्ड एक्वायर किये जायेंगे, लेकिन यह अफसरं के बड़े-बड़े लोगों के फार्म बिलकुल बचाये जा रहे हैं। क्या यही आपका न्याय है? मैं आशा करता हूं कि माननीय विविध मंत्री जी अपनी विविधता को रखते हुये इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे और यदि वह इस विविधता में एकरूपता ला सकें तो यह हमारा सौभाग्य होगा।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय नारायणदत्त जी ने अध्यापकों के संबंध में कुछ चर्चा की। जहां तक अध्यापकों का प्रश्न है या और भी अल्पवेतन भोगी वर्गों का संबंध है वहां तक इसमें मेरा खयाल यह है और इस में कोई दो मत नहीं हो सकते कि उनको अधिक भत्ता और वेतन मिलना चाहिये। आज से कोई २० वर्ष पहले कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने यह निश्चय किया था कि किसी भी व्यक्ति या कर्मचारी को ५० रुपया मासिक से कम न मिले और ५०० रुपये से अधिक न मिले। आज हम अगर प्राइस इनडेक्स का मूल्यांकन करते हैं तो अधिक से अधिक वेतन १,५०० रुपया और कम से कम १५० रुपया महीना होता है। जहां तक यह सिद्धांत है कि न्यूनतम मासिक वेतन १५० रुपया हो या १०० ही रुपया हो तब भी देखना यह है कि क्या आज हमारे राष्ट्र की ऐसी स्थिति है कि हम अपने यहां न्यूनतम वेतन लागू कर सकें। कभी कहा जाता है कि मंत्रीगण १,२०० क्यों रुपया लेते हैं और एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि मंत्रीगण कुछ कम लें, परन्तु जब हम उनके वेतन का मूल्यांकन करते हैं और कम्पेरिजन करते हैं कि पहले मंत्रीगण क्या लेते थे तो हमें इस आरगूमेंट में कोई तथ्य दिखाई नहीं देता क्योंकि सन् १९२३ में जब मंत्री लोगों की पहली नियुक्ति हुई थी तो उनको ५,००० रुपया मासिक दिया जाता था और जो बाद में ३,००० कर दिया गया था। अगर हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो आज की क्रम शक्ति में वह १५,००० और ९,०० का हिसाब आता है।

फिर अगर हमारे आज के मंत्री लोग या माननीय मुख्य मंत्री जी १,२०० रुपया लेते हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि उनका वेतन अधिक है इसलिये न्यूनतम वेतन भी १५० रुपया कर देना चाहिये। अगर हम राष्ट्र की औसत आमदनी को देखें तो २५० रुपया वार्षिक पर केपिटा एवरेज इनकम आती है। ऐसी हालत में विरोधी दल के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जब हमारी आमदनी पर केपिटा २५० रुपया वार्षिक है तो किस तरह से १,५०० या १,२०० रुपया न्यूनतम वेतन दिया जा सकता है। तो उसका एक ही उपाय है कि देश की पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जाय। तो जहां तक हमारी पंचवर्षीय योजना है वह पंद्रह साल में हमारी आमदनी को दुगनी करने का प्रयत्न करती है। मुझे आशा है कि जैसे-जैसे पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ेगी वैसे-वैसे वेतन भोगियों का वेतन बढ़ाया जायगा और यदि इस बीच में किसी हड़ताल को आर्गेनाइज करने का प्रयत्न किया जाता है तो हमारे रचनात्मक कार्यों पर वह एक प्रकार की सैबोटेजिंग होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि जो विषय हमारे माननीय नारायणदत्त जी ने उठाया है वह इससे संबंध नहीं रखता। ऐसी परिस्थिति में हमारे लिये सम्भव नहीं है कि हम न्यूनतम वेतन सौ रुपया या पचास रुपया भी कर सकें।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ़्फ़रनगर)—श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मुझे अनुदान संख्या ४० को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इसको देखकर ज्ञात होता है कि हमारे मंत्री महोदय से जिन मदों में रुपया रखा गया है उनको देख कर मुझे अवश्य ही यह आशा बंधती है कि हमारे देश का उद्धार होगा।

सर्वप्रथम प्राइमरी शिक्षा के पुनःसंगठन के लिये २० लाख की धनराशि रखी है। यह एक बहुत आवश्यक मद है। मैं तो यह समझता हूं कि यही नहीं बल्कि जितना अधिक से अधिक रुपया इस मद के लिये हमारी सरकार रखती उतना ही अच्छा होता सबसे पहले यह है कि १४ साल तक के विद्यार्थियों को हमको पढ़ा देना है जैसा कि हमारे संविधान के आर्टिकल ४५ में लिखा है कि १० वर्ष के अन्दर १४ वर्ष के सब बच्चों को पढ़ा देना होगा। इस तरह से मैं देखता हूं कि लगभग एक तिहाई समय तो बीत ही चुका है। दो तिहाई समय शेष है। मैं अपने मंत्री जी से आपके द्वारा यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आगे चल कर अगले वर्ष जो बजट आये उसमें इस बात की पूर्ति की जाय और हमको दुनिया को यह दिखा देना है कि जो शेष समय है लगभग छः वर्ष उसमें हमने अपने संविधान की शर्तों को पूरा किया है। इससे आगे चलकर राजबन्दियों के संबंध में कुछ रुपया रखा गया है। वह एक हजार रुपये के लगभग है। यह एक सराहनीय बात है। राजबन्दियों के लिये जो पहले से सुविधायें थीं उसके अतिरिक्त और उनके लिये सुविधायें दी गयी हैं।

इस से आगे चलकर शरणार्थियों के संबंध में आपसे प्रार्थना कर देना चाहता हूं। गत वर्ष जो रुपया शरणार्थियों के लिये रखा था वह ४२ लाख ९ हजार था और इस साल ७० लाख ७१ हजार रखा है। मैं तो यह समझता हूं कि यह धनराशि शरणार्थियों के लिये बड़ी अच्छी धनराशि है, जो कि गत वर्ष की धनराशि से लगभग पौने दो गुना अधिक है।

एक मद रिसर्च के बारे में है। इस संबंध में यह कह देना चाहता हूं कि इस मद के अतिरिक्त हम को साथ ही साथ यह भी रिसर्च करनी चाहिये कि किसानों की कैसी दशा है। माल विभाग द्वारा हमको किसानों के संबंध में भी जांच पड़ताल करनी चाहिये कि उनकी क्या दशा है।

बेरोजगारी के संबंध में हमारी सरकार पूर्णतया प्रयत्न कर रही है। दस लाख रुपया जो बेरोजगारी के संबंध में रखा गया है, मैं आशा करता हूं कि यह रुपया ऐसी ग़रीब जनता को देना चाहिये जो मजबूर हों कि उनको किसी तरह से रोजगार मिले। एक और अत्यन्त आवश्यक कार्य इसमें यह रखा है कि महिला-संघ के लिये एक लाख रुपया रखा है। मैं समझता हूं कि यह एक लाख रुपया बहुत थोड़ा है, क्योंकि महिलाओं के अधिकार हमारे से हैं। इस संबंध में अधिक

[श्री श्रीचन्द]

से अधिक रुपया व्यय किया जाय और महिलाओं की उन्नति की जाय। इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि देहात में वे स्त्रियां भेजी जायं जो पढ़ी लिखी हों और महिलाओं को शिक्षा दे सकें, अपने देश के कामों में भाग ले सकें। अतः इस एक लाख रुपये के संबंध में मुझे खेद है कि इससे क्या होगा? मैं आशा करता हूं और मंत्री महोदय जी से प्रार्थना कर देना चाहता हूं कि आगे चलकर अगले वर्ष और अधिक धनराशि रखी जाय।

इसके पश्चात् एक मद और है और वह है जंगली पशुओं का नाश करना। यह मेरी समझ में नहीं आता कि जो यह १५,००० रुपया नष्ट किया जायगा वह इस प्रकार से होगा कि लोग फ़रजी जंगली जानवरों को मारने की कार्यवाही करेंगे। अतः मैं समझता हूं कि यह रुपया इस बजट से काट देना चाहिये।

एक मद और है, स्वतंत्रता दिवस पर एक लाख रुपये का व्यय किया जा रहा है। हमें शान दिखाने की आवश्यकता नहीं। हम खुशी मनायें, अपनी-अपनी अलग सब खुशियां मनायें। इस संबंध में मैं किसी दूसरे अवसर पर आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे वर्तमान बजट में सवा करोड़ रुपये के लगभग अधिक है और उसका मैंने पूरा विवरण तैयार कर लिया है। मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से वह कमी दूर की जा सकती है और पंचवर्षीय योजना में भी ६ करोड़ का लाभ हो सकता है। यह सब रुपया इंजीनियरों ने ५ परसेंट अधिक contingency के नाम बजट योग से अधिक जोड़ रक्खा है। यह समाप्त करना है।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस अनुदान पर मैंने अभी कुछ विचार सुने और मैं देखता हूं कि गत वर्ष से सैनिक, नाविक तथा वायु-चालन बोर्ड के संबंध में इस विविध व्यय में जो व्यवस्था हुई है उस के लिये मैं धन्यवाद देता हूं और मैं समझता हूं कि यह सैनिकों का बोर्ड जो होता है वह यह एक बहुत ठोस काम करने वाला होता है, इसलिये इसके ऊपर ध्यान देना बहुत उचित है और इसके लिये तो जितना ही किया जाय वह थोड़ा है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने प्राण देश के लिये न्योछावर करने के लिये सर्वदा उद्धत रहते हैं उन के लिये जो कुछ भी व्यवस्था की जाय वह सर्वदा देश के लिये फलदायक ही हो सकता है, और मैं समझता हूं कि उनकी उन्नति बहुत ही आवश्यक है। उन के द्वारा देश-रक्षा तथा श्रमदान आदि के कार्यों में बड़ी सहायता मिलेगी।

आगे उस में जिला बोर्डों के संबंध में है। उस में मैं यह देखता हूं कि बहुत से जिला बोर्ड उस में लिखे हुये हैं परन्तु दुर्भाग्य से हमारा सुल्तानपुर जिला उस में नहीं है। मैं यह सोचता हूं कि क्या सुल्तानपुर जिले में रुपये की कमी नहीं है, उसे ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, तो मुझे आश्चर्य होता है। मैं देखता हूं कि हमारे जिले में भी बहुत सी ऐसी आवश्यकतायें हैं जिनकी पूर्ति अब से कई वर्ष पूर्व हो जानी परम आवश्यक थी। उदाहरण के लिये जैसे वहां ऐसे-ऐसे स्थान हैं, एक बाड़ा ग्राम है उसका नाम भी बड़ा गांव है और वह अगोठी तहसील में है वहां आबादी बहुत अधिक है। हायर सेकेंडरी और कई स्कूल हैं, लेकिन फिर भी वहां का जो मार्ग है वह वर्षा ऋतु में एक बरसाती नाले में पुल न होने की वजह से इतना खराब हो जाता है कि कोई सवारी उधर से आती जाती नहीं। जिससे कि वहां के लोगों को जिले तक जाने में तो कठिनता ही है, तहसील तक जाना भी किसी सवारी पर संभव नहीं होता। इस प्रकार से वहां का व्यापार चौपट होता है और बहुत सी असुविधापूर्ण बातें होती हैं। तो वहां पर मैं श्रीमान् जी के द्वारा माननीय मंत्री महोदय से इस बात के लिये प्रार्थना करूंगा कि विविध व्यय में से यदि सुल्तानपुर जिले में भी कुछ हो सके तो बड़ी कृपा होगी।

आगे चल कर मैं देखता हूं कि प्राइमरी स्कूलों के लिये अनुदान की बात आती है। इसमें कोई शक नहीं कि प्राइमरी स्कूलों के पुनःसंगठन की बहुत ही आवश्यकता है। आज इसमें सामयिक उदाहरण अध्यापकों की हड़ताल है। उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं इस विषय में विशेष रूप से नहीं कहना चाहता। क्योंकि यह तो स्पष्ट है कि सभी की सहानुभूति

उसके साथ है। यदि कोई प्रबंध हो जाय तो बहुत अच्छा है। परन्तु मैं देखता हूं कि कहीं-कहीं प्राइमरी स्कूलों के लिये लोग इमारतों को बनाने के लिये रुपया ले जाते हैं लेकिन बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो बिना बनी पड़ी हुई हैं। तो उसके लिये मैं प्रार्थना करूंगा कि जब धन दिया जाय इमारतों के लिये तो उस पर बहुत ध्यान दिया जाय। ऐसी शिकायतें हैं कि इमारतों के लिये जो रुपया दिया जाता है उनसे इमारतें नहीं बनायी जाती हैं। तो इस प्रकार से यह सब बातें हुईं। मैंने यहां जिला बोर्ड, सैनिक बोर्ड और प्राइमरी स्कूलों के बारे में अपने विचार प्रकट किये। इसी प्रकार से अनेक बातें हैं जो कि बहुत ही आवश्यक हैं और उनके लिये मैं यह समझता हूं कि गुंजाइश निकालने के लिये सरकार यदि चाहे तो बहुत सी ऐसी बातें कर सकती हैं जैसे कि बहुत से विभागों में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो गयी है। यदि उन की संख्या कम की जाय और उनका वेतन जो बचे वह और और भी कई मदों से रुपया बचा कर उन लोगों के ऊपर जिनके लिये कमी पड़ रही है, जहां आवश्यकता है वहां लगायें तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा लाभ होगा। इन संक्षिप्त शब्दों के साथ मैं अपने सुझाव श्रीमान् जी, यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री की खिदमत में एक बात रखना चाहता हूं क्योंकि जो छोवा का मामला है, बिहार का सारा सूबा आज उस छोवे से दुर्गन्धित हो चला है, आज हमारे इस प्रान्त में शीरे का मामला वही रूप धारण करना चाहता है। मिलों से जो शीरा निकलता है उस शीरे का क्या रेट है, उस शीरे की कितनी बिक्री होती है और मिल मालिकों ने शीरे का कितना दाम किसी फंड में दिया है इन सब की कोई भी सूचना हमारे सामने पेश नहीं की गयी। इसका जो एकाउन्ट था और अगर टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट को माननीय मंत्री जी ने देखा होता तो उन्हें मालूम होता कि जहां पर कि चार आना फी मन रखा गया था वह शीरा वहां ढाई रुपये फ़ी मन बिका है बाजारों में और साढ़े चार आना मन दाम शुरू में उस का नियत किया गया था। तो यह बहुत परेशानी की बात हो जाती है। मैं केवल इतना निवेदन कर देना चाहता हूं उद्योग मन्त्री से कि अगर वह छोवे का इन्तजाम ठीक ढंग से करें और छोवे का दाम ठीक ढंग से निर्धारित करें और उस छोवे से जितने दाम की प्राप्ति हो उस को सही माने में हाउसिंग में लगावें, वहां के लेबर वेलफेयर में लगावें तो उससे बहुत कुछ रक़म मिल सकती है।

इसके बाद मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा और थोड़े में इसका संकेत तो माननीय नारायणदत्त जी ने भी कर दिया था। यह जो प्राइमरी स्कूलों के पुनर्संगठन के लिये बोर्डों को मदद देने की बात है वह २० लाख रुपये की है और १० लाख रुपया बेकारी को बचाने के लिये है। तो क्या मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर सकता हूं, क्या इसकी विविधता एकाउंट में हो सकती है, कि इस ३० लाख रुपये की रक़म जो आज हमारे सूबे में शिक्षा की व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने जा रही है, वह अध्यापकों की जो मांगें हैं, उस की पूर्ति में लगायें। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं और इस सदन में भी बता देना चाहता हूं कि अध्यापकों का जो मामला है जहां तक आज के अखबारों में आ चुका है सम्भवतः केवल अब ८०, ९० लाख रुपयों की बात है और रुपया मैं देखता हूं बहुत ही आसानी से जब कि यह प्राइमरी स्कूलों के पुनर्संगठन के लिये है तो प्राइमरी स्कूलों के पुनर्संगठन में क्या अध्यापकों को जो सरकारी आदेश पहली अप्रैल, सन् १९४९ से रिवाइज्ड स्केल देने का था उस को देने में नहीं लगाया जा सकता।

जब कि उनकी ओर से बार बार इस बात को कह दिया जाता है कि पिछला जो बकाया है उसको गवर्नमेंट दे दे तो मामला किसी न किसी रूप में हल हो सकता है, तो मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे व्यवहारिकता और उदारता दोनों को अपनायें, हठवादिता के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो शायद वे हठवादिताबस किसी प्रेस्टिज के बचाने की बात करें लेकिन प्रेस्टिज का अपने अपने दृष्टिकोण से एक मापदंड होता है। मैं तो समझता हूं कि इस समय सारे देश की प्रेस्टिज को बचाने का सवाल है, सारे समाज की प्रेस्टिज को बचाने का सवाल है।

[श्री राजनारायण]

जिनको हम गुरुजन कहते हैं उनके साथ प्रेस्टिज के सवाल को ले कर चलना उचित नहीं है जबकि काफी रकम हमारे पास है और यह ९ करोड़ कई लाख रुपये विविध अनुदान के हमारे सामने हैं। मैं समझता हूं कि एक घंटे का समय १० करोड़ के करीब रकम के लिये बहुत कम है।

इसमें स्कालरशिप की भी मद है। अगर मैं माननीय मंत्री जी को बतलाने लगूं कि स्कालरशिप किस तरह से दिया जाता है, कहां दिया जाता है, तो उसका एक बड़ा भारी इतिहास है। उसमें अनुचित तरीके से फेवरिटिज्म से काम लिया जा रहा है। जो कोई आदमी आ गया, चाहे उसमें योग्यता हो या न हो, चाहे उसमें क्षमता हो या न हो, मगर पक्षपात को ले करके स्कालरशिप बांटा जा रहा है।

इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुये मैं, अधिष्ठाता महोदय, आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि यह विविधि व्यय जो होने जा रहा है दस करोड़ के करीब इसको माननीय मंत्री जी जरा जनहितकारी कार्यों में लगाने की कृपा करें। एक बात फिर मैं इतना कह करके बैठना चाहता हूं कि उस ३० लाख की रकम को समुचित तरीके से खर्च किया जाय।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—चेयरमैन साहब, मेरा न तो इस समय विषय है और मेरी न बोलने की इच्छा थी, लेकिन एक सवाल बीच में श्री राजनारायण जी ने पैदा कर दिया और वह यह है कि यह बीस लाख की रकम जो प्राइमरी एजूकेशन के रिआर्गनाइजेशन के लिये रखी गयी है उसको अध्यापकों के लिये खर्च किया जायगा या नहीं। जहां तक दूसरी दस लाख की रकम का ताल्लुक है वह सवाल दूसरा है, लेकिन इतना मैं अर्ज कर दूं कि यह जो बीस लाख की रकम है वह सिर्फ इसीलिये रखी गयी है कि उससे अध्यापकों का जो बकाया वेतन है उसकी पूर्ति की कोशिश की जाय। यह इसी बजट में नहीं है, यदि किसी सदस्य महोदय को याद हो तो इतनी ही रकम इस वर्ष सन् १९५२-५३ में भी रखी हुई है।

श्री राजनारायण—सन् १९५२-५३ में कोई रकम नहीं रखी गयी है।

श्री मोहनलाल गौतम—बहरहाल जब मैं कहता हूं कि रखी हुई है तो आप मान लें कि बीस लाख की एक रकम है सन् १९५२-५३ में, अगर आप उस रकम को इस्तेमाल करना चाहें तो मैं उस रकम को आप के हवाले कर सकता हूं और आंकड़ों को देखने की तकलीफ बाद में कर लीजिये। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बीस लाख की रकम इस वक्त के बजट में है जो कि चालू है सन् १९५२-५३ का और जो ३१ मार्च, सन् १९५३ को खत्म होगा। दूसरी बीस लाख की रकम आगे के लिये पेश की गयी है जिस के लिये इस सदन की मंजूरी की इस वक्त मांग पेश है। मैं इस सिलसिले में यह निवेदन कर रहा हूं कि जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और वहां के टीचरों का संबंध है, जितने खर्चे की डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को आवश्यकता है वह बहुत अधिक है। माननीय राजनारायण जी ने अभी ८० लाख की बात कही। मेरा यह भी निवेदन है कि आज भी बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं जो कई महीने से तनख्वाह नहीं दे पाये हैं।

एक सदस्य—वर्षों से।

श्री मोहनलाल गौतम—वर्षों का कोई सवाल शायद ही हो। जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिस शरह से जिस रीति से जितनी तनख्वाह इस वक्त दे रहे हैं उसमें कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐसा नहीं है जिसने बरसों से तनख्वाह न दी हो। अगर आप यह कहें कि सन् १९४९ ई० से किसी ने पे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार नहीं दिया तो यह हो सकता है लेकिन मैं तो दूसरी बात जो निवेदन कर रहा था

वह यह है कि अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड केवल वही तनख्वाह जो आज वह दे रहे हैं वही दें तब भी मैं नहीं कह सकता कि इस २० लाख में वह तमाम बकाया अदा हो सकेगा। मेरा अन्दाज यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को इस से भी ज्यादा रकम की जरूरत होगी। और अगर राजनारायण जी कोई ऐसा फारमूला निकालें जिसमें कि अप्रैल, १९४९ ई० की पे कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सब टीचरों का जितना भी बकाया है वह दे दें और हमेशा भी देते रहें और इसी २० लाख रुपये से गुजर हो जाय तो मुझे बहुत खुशी होगी ....

श्री राजनारायण—सरकार इस बात को मान लेगी अगर हम फारमूला दे दें।

श्री मोहनलाल गौतम—अगर इस बात का फारमूला आप दे दें कि जितनी रकम इस बजट में है और उसके बाद २० लाख रुपया जो इस वक्त बजट में प्रोवाइड किया हुआ है इस सबको मिलाकर इससे टीचरों का मसला हल हो जायगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, यह रुपया इसी लिये रखा गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस बजट के अन्दर ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, इस बजट के अन्दर। तो इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह रुपया उसमें खर्च होगा, इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये। यह उसी तरफ जायगा, लेकिन जिस आसानी के साथ यह कह दिया जाता है कि इस तरह से कर दिया जाय तो यह मसला हल हो जायगा, मेरा यह निवेदन है कि उन भाइयों की आरिथिमेटिक बहुत कमजोर है, उनको हिसाब शायद आता नहीं है, या शायद वह प्रोपेगेंडा की स्पीच करते हों। यह मसला कहीं ज्यादा अधिक कठिन है, यह इतना आसान नहीं है कि सिर्फ इस बीस लाख के देने से हल हो जाय। अगर यह ऐसा हो सकता है तो यह मसला अब तक हल हो गया होता। इस लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि २० लाख तो खर्च होगा टीचरों की बकाया तनख्वाह के देने में और उस रकम का जो इस समय प्राइमरी एजूकेशन के लिये बजट में २७७ लाख की रखी गयी है, उसके अनुसार माननीय राजनारायण जी कहते हैं कि सन् १९४९ ई० की पे कमेटी के मुताबिक बकाया दे दी जाय तो वह पूरी नहीं होगी। इसलिये इस तरह की कोई स्कीम वह अगर बनाकर देंगे तो उस पर कम से कम मैं कह सकता हूं कि विचार किया जायगा। एक लफ्ज और मैं कह कर खत्म करता हूं कि इस में जहां तक हमदर्दी का ताल्लुक है गवर्नमेंट काफी हमदर्द रही है, उसको बहुत अच्छी तरह से सोचा है लेकिन जब इम्पासिबिल चीज हो जाय, जब ऐसी शक्ल नजर आ जाय जिस को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हल नहीं कर सकते तब हमारे लिये दिक्कत होती है। इस चीज में पे कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तनख्वाह देने में और जितने स्कूल खुल गये हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की कमर टूट गयी है और उनके पास रुपया दूसरे कामों के लिये रहा नहीं है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड महज एक एजूकेशन कमेटी हो गये हैं। फिर भी यह मसला हल नहीं हो रहा है। इसलिये मैं फिर विश्वास दिलाता हूं कि यह २० लाख रुपया टीचरों की तनख्वाह में खर्च होगा। अगर इस में कोई मदद करेंगे और कोई बात पेश करेंगे तो उस पर मैं अच्छी तरह से गौर करूंगा।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे भाई श्री गौतम जी ने बहुत कुछ बातें अभी बतलाई हैं और उसके बाद मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं मालूम होती। लेकिन फिर भी अपने मित्र श्री नारायणदत्त जी तिवारी की खिदमत में दो एक बातें पेश कर देना मेरे लिये लाजमी मालूम होता है। मेरे मित्र ने एक बात कही जो कि नयी नहीं है। बारम्बार मौके बेमौके मेरे दोस्त दोहराते आये हैं कि लोकल बाडीज के मुलाजिमान के डियरनेस एलाउन्स में और सरकारी कर्मचारियों के डियरनेस एलाउन्स में बड़ा फर्क है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—केन्द्र के बारे में मैंने कहा था।

श्री हुकुम सिंह—जी हां, जो मैं कहता हूं सुनते जाइये। उजलत न कीजिये।

मैं देखता हूं कि यहां के और केन्द्रीय सरकार के मुलाजिमों में बड़ा अन्तर है। यहां भी फर्क है और मैं वहां भी फर्क देखता हूं। उधर नारायणदत्त जी को देखता हूं और इधर राजनारायण जी को देखता हूं। कितना फर्क है। अगर वजन किया जाय तो मनों का फर्क निकलेगा। तो जब आप अपने फर्क को दूर नहीं कर सकते तो यह आशा करना कि सारे हिन्दोस्तान में एक बारगी फर्क दूर कर दिया जाय, बड़ा मुश्किल है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक सेमी इंडिपेंडेंट बाडीज हैं। उनके रिसोर्सेज महदूद हैं। लिहाजा इसे देखते हुये अगर उनको हुकुम दिया जाय कि नहीं, तुम यह रुपया अदा करो, चाहे वह उनके रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा हो, तो उनके लिये मजबूरियां हैं। मेरे तिवारी जी जो फरमाते हैं कि उनका डियरनेस अलाउन्स बढ़ा दिया जाय तो मुझे जरा भी कोई बहस नहीं है, कोई एतराज नहीं है। जरूर बढ़ा दिया जाय और जितना वह सोचते हैं उससे ज्यादा बढ़ा दिया जाय और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये लाजिमी कर दिया जाय कि बढ़ावें, तो हम क्या होगा? आप चाहते हैं कि जनता पर टैक्स लगाया जाय? यह सरकार करने के लिये तैयार नहीं है। दिल में आपके दूसरी बात है जो बिलकुल जनहित के खिलाफ पड़ती है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर हुई अगले अनुदान के सिलसिले में अर्ज किया था इस देश की मालिक जनता है। वह है गरीब और वह अपने पांव उसी हद तक फैलावेगी जहां तक उसकी चादर इजाजत देती है। बराये मेहरबानी ज्यादा फैलाने का मश्विरा न दीजिये। गरीब जनता है, उसके मुलाजिमान को थोड़े में अपना गुजर बशर करना होगा। हम और आप मिलकर जनता की माली-हालत को बढ़ावें और उसके बाद यह लाजिमी होगा कि मुलाजिमान की भी मालीहालत बढ़े। अगर इस तरफ हम तवज्जह न करके अखराजात बढ़ाते जावें तो एक दिन सिवाय इनसाल्वेन्सी की दरख्वास्त देने के और कोई रास्ता नहीं रहेगा। प्रोपेगेंडा के नुक्तेखयाल से तो यह कह देना अच्छा है लेकिन देखिये कि असल में हो क्या सकता है और जो हो सकता है वह किया जाता है या नहीं। हमारे मित्र तो नये लफ्जों पर भड़क जाते हैं। रिआर्गनाइजेशन शब्द आ गया तो उलझन पैदा हो गई। घबरावें नहीं, अब रफ्तार बढ़ा ली है तो आपको नये नये मामलों का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा इस घबराहट से काम नहीं चलेगा। हमारे गौतम जी भाई ने बतलाया कि रिआर्गनाइजेशन है क्या।

श्री नारायणदत्त तिवारी—कुछ नहीं बतलाया।

श्री हुकुमसिंह—अगर आप नहीं समझें तो मेरी मजबूरी है। हम समझा सकते हैं लेकिन समझने के लिये अक्ल नहीं दे सकते। अगर आप नहीं समझे हैं तो उनके कमरे में जाइये और फिर समझने की कोशिश कीजिये। उसके बाद हमारे राजनारायण जी ने लस्सी लगाई शोरे की। बजट का पूरा हिस्सा नहीं पढ़ा। अबकी साल उसमें कुछ नहीं है। सिर्फ रकम लिखी है इबारत नहीं तो मैंने देखा है कि इस साल आइटम में कोई रकम नहीं है। जब कोई रकम ही नहीं है तो इतना वादविवाद किया गया वह पैदा ही नहीं होता है। पिछली बात मैं नहीं कहता। अगली बात सुनिये कि आयन्दा क्या होगा लिहाजा आप सब्र कीजिये और देखिये कि बजट में कोई प्राविजन नहीं। लिहाजा जो एतराजात हैं वह पैदा ही नहीं होते।

श्री राजनारायण—क्यों नहीं हैं।

श्री हुकुमसिंह—क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। इन शब्दों के साथ मैं फिर श्रीमन् के जरिये सदन से इस्तदुआ करूंगा कि यह मांग जो विविध व्यय की है, स्वीकार की जाय और इसके जरिये बड़े-बड़े शुभ काम होंगे और अच्छे-अच्छे काम होंगे।

इम्पलायमेंट के बारे में जो दस हजार रुपया रखा गया है उसके बारे में कहा गया है कि यह क्यों रखा गया है। तिवारी जी इससे भी नाराज हैं मैं समझता हूं कि ऊंट के मुंह में जीरा रखें तब भी गनीमत है बजाय इसके हम कुछ भी न रखें। अगर रखें तब भी नाराजी है और न रखें तब भी नाराजी है। लिहाजा मैंने तय कर लिया है कि मैं आपकी नाराजी और खुशी से परेशान नहीं होता। मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र अपने कटमोशन को वापस ले लेंगे और सदन इस मांग को स्वीकार करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण बहुत ध्यानपूर्वक सुना और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय मंत्री जी को ठीक ठीक सूचना भी नहीं दी गई कि विविध व्यय के बजट में क्या क्या अनुदान हैं। उनको पता नहीं है कि इसमें क्या क्या अनुदान हैं क्योंकि एक दो बार तो हमारे व्हिप साहब को यह बतलाने के लिये आना पड़ा कि उसमें मोलेसेस शीरा कहां रखा है। उनको मालूम नहीं है कि इसमें कौन कौन से अनुदान रखे गये हैं। उन्होंने यह कहा कि शीरे के ट्रांसफर आफ रिसीट्स आन ए प्वाइंट आफ मोलेसेस में कोई रकम नहीं है। मैं यह कहता हूं कि उसके ऊपर एक आइटम के ट्रांस्फर आफ शुगर रिसर्च ऐंड लेबर हाउसिंग फंड, तो इस संबंध में जो रुपया होता है वह शीरे के इसी फंड से जाता है। शायद यह बात हमारे मंत्री जी को मालूम नहीं है?

श्री हुकुमसिंह---नहीं, मालूम है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अगर मालूम है तो फिर मंत्री जी को यह शिकायत नहीं होनी चाहिये थी। इसके बाद मुझे आश्चर्य हुआ कि माननीय स्वशासन मंत्री जी बीच में उठे और उन्होंने यह बतलाने की कृपा की कि रिआर्गनाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन आफ रिवाइज्ड स्केल्स आफ पे में कोई फर्क नहीं है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। माननीय उद्योग मंत्री जी ने कहा कि आप शब्द रिआर्गनाइज़ेशन से बहुत घबरा गये। इसका मतलब उनका यह था कि रिआर्गनाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन आफ रिवाइज्ड स्केल्स आफ पे, यह एक ही माने रखते हैं। जहां तक मैंने देखा है पिछली साल २० हजार रुपया रखा गया था। इस साल वह रुपया नहीं रखा गया है बल्कि दूसरा अनुदान रखा गया है जो रिआर्गनाइजेशन आफ प्राइमरी स्कूल्स के नाम से इनके पुनर्संगठन पे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार करने के लिये रुपया दिया जाय इसको किस प्रकार से माननीय मंत्री जी समझते हैं, मैं नहीं समझता। रिआर्गनाइजेशन आफ प्राइमरी स्कूल्स के बारे में यह एक है कि जितने गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के प्राइमरी स्कूल्स मर्ज किये जायंगे इस प्रकार का नोटीफिकेशन मैंने अखबारों में देखा था। तो इस तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाता था। लेकिन जितना कांक्लूजन माननीय मंत्री जी कर सकते हैं हम नहीं कर सकते।

माननीय स्वशासन मंत्री जी ने एक चैलेंज दिया कि वह कोई फारमूला बजट में पेश करें जिसके अनुसार इस बजट में से रुपया अध्यापकों की तनख्वाह या एरियर्स आफ पे के लिये निकल सकता हो। मैं एक फार्मूला.....

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, यह कुछ अपनी चीजें कहें, मेरे मुंह में उन्हें डालने की कोशिश न करें?

श्री नारायणदत्त तिवारी---आपने कहा क्या?

श्री मोहनलाल गौतम---मैंने जो कहा वह यह था कि जो इस बजट में प्राइमरी एजूकेशन के लिये रुपया है वह और जो २० लाख रुपया है उसे लेकर कोई टीचर्स का फारमूला निकालें। सारे बजट को मैंने उनके सामने पेश नहीं किया है। मेरी बात का जवाब दिया करें तो अच्छा हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो प्राइमरी एजूकेशन के बारे में आपने निवेदन किया। तो उसके लिये जो इस रिपोर्ट में रुपया रखा गया है उससे कितना आप निकाल दें। खैर उस समय जो आपने वक्तव्य दिया था वह तो दूसरा था। अगर आप मौका दें तो मैं एक फ़ारमूला पेश कर दूं। दो करोड़ रुपया स्टेट ट्रेडिंग स्कीम और गवर्नमेंट सप्लाई के लाभ के लिये हमारी सरकार ने इस बजट में कैपिटल एकाउन्ट से रेवेन्यू एकाउन्ट को ट्रांसफर कर दिया और वह रेवेन्यू एकाउन्ट में बढ़ गया। अगर वह दो करोड़ रुपया ट्रांसफर न किया जाता तो वह और आपको मिल जाता और उसका उपयोग किया जा सकता था। इसके अलावा अनएम्प्लायमेंट का जहां सवाल आता है तो माननीय मंत्री जी से पूछा था कि आखिर यह १० लाख रुपया किस प्रकार खर्च किया जायगा, तो उसकी भी माननीय मंत्री जी ने कोई सफाई नहीं दी और यह हमको नहीं बतलाया कि आखिर इस रुपये से अनएम्प्लायमेंट स्कीम कैसे हल की जायगी, लोन्स दिये जायेंगे या उद्योग खोले जायेंगे या किसी कमेटी के जरिये इसका वितरण होगा, यह कुछ स्पष्ट नहीं। तो ऐसा ही होगा कि जैसे बहुत दिनों से एक अनुदान आता चला जाता है २५ लाख रुपये का मिडिल क्लास हाउसिंग के लिये। उसके लिये ग्रांट तो बजट में रख दी गयी लेकिन उसका कितना उपयोग हुआ यह माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं। खाली नारा लगाने के लिये कि हम यह कर रहे हैं इसमें रख देना यह कोई तारीफ की बात नहीं है।

जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का सवाल है मैं एक मिसाल माननीय स्वायत्त स्वशासन मंत्री जी के सामने पेश करना चाहता हूं। इसमें टेहरी-गढ़वाल और रामपुर के लिये सवा लाख और एक लाख रुपये की रकम दी हुई है। यह इसलिये कि चूंकि वहां पर कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अनुदान देने के लिये क्या टेहरी-गढ़वाल और रामपुर जैसे बड़े जिलों के लिये इतना ही है कि जो सवा लाख और एक लाख रुपया रख दिया। इससे स्पष्ट होता है कि जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं है और जहां पर सरकार के हाथ में वहां की चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य चीजों का प्रबंध है जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आमतौर से करते हैं, उनके लिये भी सरकार इतना कम रुपया खर्च करना चाहती है यह इन दो टेहरी-गढ़वाल और रामपुर की मिसालों से स्पष्ट होता है। इसके बाद मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के पास कोई विशेष दलील देने के लिये रह नहीं जाती है।

श्री मोहनलाल गौतम—चेयरमैन साहब, यह जवाब देने के वक्त अगर कोई नयी बात उठायी जाय.....।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह नई बात नहीं है, यह तो आपका जवाब है।

श्री मोहनलाल गौतम—आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जब मैं बोल रहा हूं तो माननीय मंत्री जी खड़े क्यों हुये।

अधिष्ठाता—उन्होंने प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया है, श्री नारायणदत्त तिवारी जी, आप बैठ जाइये।

श्री मोहनलाल गौतम—आई० एम० रेजिंग ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। वह यह है कि अगर जवाब देने के वक्त नये ईश्यूज उठाये जायं और उनका जवाब मांगा जाय जबकि जवाब देने के लिये हमें वक्त नहीं मिलेगा और वह ईश्यूज बगैर जवाब दिये हुये इस हाउस और जनता के सामने रह जायेंगे तो यह मुनासिब नहीं होगा। इसलिये नये ईश्यूज न उठाये जायं। जवाब के वक्त जो बहस में बजवाब दिया तें आयें उन्हीं का जाय।

अधिष्ठाता—कटौती का जवाब ते समय नया प्रश्न नहीं उठाना चाहिये लेकिन फिर भी माननीय मंत्री को जवाब देने का समय मिलेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी रूलिंग के लिये आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने जो बात उठायी थी वह उससे ही संबंधित थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के संबंध में सरकार की क्या नीति है उनको ग्रांट्स देने के संबंध में। तो जहां तक केन्द्र या प्रांत की तनख्वाहों या महंगाई के भत्ते का विषय था मैंने तो यह कहा था कि केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों में वेतन और भत्ते के संबंध में तारतम्य रहना चाहिये या नहीं रहना चाहिये। इसके लिये सरकार की कोई नीति नहीं।

मैंने गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया था जिस रिपोर्ट पर केंद्रीय सरकार ने आधे महंगाई के भत्ते को तनख्वाह में शामिल कर दिया है लेकिन मैं जानता हूं कि प्रान्तीय सरकार इस बारे में विचार भी नहीं कर सकती। अभी हाल ही में पंजाब में जो बजट रखा गया माननीय स्वशासन मंत्री जी उस को देखें तो उनको मालूम होगा कि उस में ६० रुपया से कम तनख्वाहें नहीं हैं। मगर फिर भी मौलाना आजाद के इंटरवेन्शन पर पंजाब की सरकार ने, जिसकी हालत यू० पी० सरकार की हालत से खराब ही है, तथा शरणार्थियों की समस्या वहां पर होते हुये भी उन्होंने जो कुछ अध्यापकों को बिना स्थिति खराब किये हुये दिया है वह भी माननीय स्वशासन मंत्री जी को मालूम है। उत्तर प्रदेश की स्थिति पंजाब से कहीं ज्यादा अच्छी है फिर भी उनके बजट को देखते हुये उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिये माननीय उद्योग मंत्री जी और स्वशासन मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं रह जाता। क्या मैं सरकार से आशा करूं कि वह प्रेस्टिज की बात को छोड़ कर इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी।

श्री हुकुमसिंह—श्रीमन्, हमारे मित्र तिवारी जी ने चलते चलते टेहरी-गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की बात उठायी। अगर मैं यह कहूं कि यह उनका सैंकिड था तो कोई ग़लत बात न होगी क्योंकि शुरू में जब कटौती का प्रस्ताव किया था तब उन्होंने एक लफ्ज भी इस के संबंध में नहीं कहा। अलावा इसके इसमें कोई तत्व भी नहीं है। क्योंकि अभी तक टेहरी-गढ़वाल में कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं था। अभी तो वहां शुरूआत ही है और शुरूआत में जो काम छोटे पैमाने से शुरू किया जाता है वह अच्छा होता है। जो जीने पर क़दम ब क़दम चढ़ता है वह ऊपर पहुंच जाता है लेकिन जो ऊपर को कूद कर जाना चाहता है वह नीचे आ कर चकनाचूर हो जाता है। इसलिये टेहरी-गढ़वाल जैसी जगह के लिये जो १ लाख और सवा लाख दिया गया है वह बिल्कुल काफी है और वह वहां की जरूरत को ही देख कर दिया गया है। इसके अलावा टेहरी-गढ़वाल के जो महानुभाव हैं उन्होंने तो इस पर कुछ भी कहा नहीं, एक लफ्ज भी नहीं कहा, नैनीताल के लोगों की जानकारी टेहरी-गढ़वाल के लोगों की जानकारी से कम है। तो एक तो वहां के लोगों ने कोई एतराज किया नहीं। दूसरे तिवारी जी ने पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। इन दोनों बातों से यह साबित होता है कि इस में कोई असलियत नहीं है केवल बहस के लिये कह दी गयी है।

एक बात मेरे मित्र ने कही कि अध्यापकों को कंपेन्सेशन रोक कर रुपया दे दिया जाय। जमींदारी अबालिशन फंड में जो रक़म आ गयी है उस में से खर्च कर दिया जाय। मालूम होता है कि हमारे मित्र को किसी कानून की सैंक्टिटी का खयाल नहीं है। इस सदन ने जमींदारी क़ानून बनाया, उसमें कंपेन्सेशन रखा, यही नहीं हमारे मित्र के नेता जी ने भी उसको मंजूर किया। यह दूसरी बात है कि उस में कुछ कम रकम रखी गयी हो, फिर इस सदन ने कानून बनाया लेकिन आप फरमाते हैं कि उसको बन्द कर दिया जाय। और कानून की सैंक्टिटी को बालाये-ताक़ रख दिया जाय और सदन ने जो फैसला किया है उसका उल्लंघन कर दिया जाय। यह तिवारी जी ही कह सकते हैं लेकिन सदन के फैसले के सामने मेरा तो सिर झुका हुआ है, मेरे लिये तो सदन के फैसले के खिलाफ़ ऐसी बहस करना नामुनासिब बात है। इतने विवाद के बाद मैं

[श्री हुकुम सिंह]

तिवारी जी से दरख्वास्त करूंगा, हालांकि वे अपनी आदत से बाज न आयेंगे कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस ले लें अगर वे अपने डिप्टी लीडर साहब से मशविरा लें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वे सही सलाह देंगे।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०—विविध व्यय (लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय) के अन्तर्गत ९,७०,२८,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६—औद्योगिक विकास—लेखा शीर्षक ७२—(औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत) के अन्तर्गत १,१५,१६,५०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

यह बहुत सीधी सादी मांग है और ऐसे शुभ काम के लिये है जिस के बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं। अव्वल तो सीमेंट फैक्टरी जो मिर्जापुर में है उस के बारे में है और १ लाख ६० हजार रुपया प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी, लखनऊ के लिये है। फाइनेंस कमेटी की तजवीज से एक कमेटी मुकर्रर की गयी है जो प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी के मसले पर गौर करने के लिये है। उसकी यह सिफारिश है कि वहां के लिये कुछ नयी मशीनरी मंगायी जाय लिहाजा मशीनों के लिये तो डेढ़ लाख रुपया है और १० हजार रुपया कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिये है। बकिया रकम सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर के लिये है। सीमेंट फैक्टरी के बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। जब गुजिश्ता साल का बजट पेश था उस वक्त मैंने यह कहा था कि यह सीमेंट फैक्टरी दिसम्बर, सन् १९५४ से जरूर चालू कर दी जायगी। उसके बाद से इसमें काम बहुत जोरों से हुआ है। कुछ वजूहात थे जिसकी वजह से देर हुई है लेकिन गुजिश्ता साल जो मैंने बतलाया था उसके बाद से भरसक प्रयत्न किया गया है कि जल्द से जल्द काम हो। वहां इरेक्शन का काम हो रहा है, बिल्डिंग्स भी बन कर तैयार हो चुकी हैं और जहां तक रेलवे लाइन बनाने की बात है, उस ओर भी बहुत काफी काम हो चुका है और अब मैं कह सकता हूं कि सन् १९५४ के मिडिल में ही यह फैक्ट्री चालू हो जायगी। अब दिसम्बर तक इन्तजार करना नहीं पड़ेगा बशर्ते कि राजा देउ बाद। यानी कोई अनफोरसीन काजेज सामने न आ जायं। क्योंकि उन का तो हम कोई इन्तजाम कर ही नहीं सकते हैं। तो इस तरफ प्रोग्रेस बहुत काफी है अगर यह चीज बन जाय तो बहुत अच्छी चीज होगी। ७०० टन सीमेंट रोजमर्रा इससे बन सकेगी और अगर थोड़ा सा खर्चा और मंजूर कर दिया जायगा, खर्चे में इजाफा कर दिया जाय तो यह डबल हो जायगा, यह इसकी कैपेसिटी है। ऐसी सूरत में मुझे आशा है कि यह अनुदान स्वीकार किया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मैं एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं। अधिष्ठाता महोदय, हमारे मंत्री जी हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिये उनकी ही बात अगर मैं इस सदन के सामने रखूं कि जो नीचे से न जाकर पहले छत पर चढ़ना चाहता है तो वह अवश्य गिरता है, यही हाल हमारी इस हुकूमत का है जिसने सबसे पहले इस प्रान्त में उद्योग के विकास की बात की। इस प्रान्त के हमारे सब से बड़े जो दो उद्योग हैं जिन्हें सरकार करना चाहती है, वह पहली तो मिर्जापुर की सीमेंट फैक्टरी है और दूसरा उत्तर प्रदेश की यह प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी है।

अधिष्ठाता महोदय, अगर इन दोनों के इतिहास का वर्णन में सदन के सामने करूं तो मैं समझता हूं कि हमारी हुकूमत को एक दफा तो सर नीचे करना ही पड़ेगा और अगर हमारी हुकूमत यह चाहती है कि उनका नाम अजर अमर किया जाय तो जिस तरह से आजकल मिस्टर सम्पत नाम का फिल्म बड़े जोरों से चल रहा है, अगर मिस्टर सम्पत की स्टोरी लिखने वालों को, मिरजापुर सीमेंट फैक्टरी और प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी, इन दोनों की स्टोरी लिखने को दे दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी फिल्म इन दोनों इंडस्ट्रीज पर निका ी जा सकती हैं और उसका फायदा हमारे ही प्रान्त के लोग नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के और प्रान्त वाले भी उठा सकते हैं। अधिष्ठाता महोदय, यह फैक्टरी सन् ४८ में स्थापित की गयी और गवर्नमेंट का इस्टीमेट २ करोड़ ५ लाख का था। इस फैक्टरी को बनवाने के लिये सरकार को जो काम सब से पहले करना चाहिये था वह नहीं किया। फैक्टरी की जगह मिर्जापुर से ८० मील दूर पड़ती है। उस जगह पर अभी तक कोई रेल नहीं बनायी गयी है।

(इस समय ४ बज कर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसलिये वहां जितना सामान बाहर से जाता है, सीमेंट या पत्थर वगैरह वह सब मोटरों के जरिये से वहां पहुंचाया जाता है। अगर इतनी बड़ी फैक्टरी लखनऊ में लगायी गयी होती और लखनऊ में बंगले वगैरह बनाने में सीमेंट वगैरह पर काफ़ी रुपये खर्च किये जाते तो बरसों के बाद भी यहां की जो बिल्डिंग्स वगैरह बनतीं उन की क़ीमत क़रीब क़रीब वही रहती जितनी कि आज होती लेकिन मिर्जापुर में जिस जगह पर, ८० मील दूर ये बिल्डिंग्स बनायी जा रही हैं वहां पर उसके लिये मोटरों और लारियों वगैरह से सामान ले जाया जाता है, उस की जो क़ीमत पड़ती है तो उस क़ीमत से जो बिल्डिंग्स वहां बनी हैं अब तीन साल के बाद हमारी यह सीमेंट फैक्टरी बन जायगी तब अगर उन बिल्डिंग्स की क़ीमत लगायी जायगी तो जो वैल्यू आज है वह उस की एक तिहाई रह जायगी। तो मेरा कहना यह है कि उद्योग तो बड़ा भारी उठाया, बड़ा भारी काम किया, एक इंडस्ट्री को बनाया लेकिन औगनेज बड़ी बुरी तरह से किया।

अध्यक्ष महोदय, उसके लिये जो उन्होंने एडवाइजर रक्खे ड्राइंग्स खींचने के लिये उस ड्राइंग के खींचने के लिये वह साहब बिरला के यहां २ हजार रुपये माहवार पर नौकर थे लेकिन हमारी सरकार ने उन्हीं साहब को २ लाख रुपये साल पर रखा। वह भी पार्ट टाइम काम के लिये। चूंकि साल का मामला था इसलिये उन साहब को इस बात का खयाल नहीं था कि जल्दी वह काम खत्म किया जाय। दो साल तक वह नक़शा बनाने में लगे रहे। बदक़िस्मती है इस गवर्नमेंट की कि दो साल के बाद वह बेचारे सीढ़ी से गिर गये और मर गये और ड्राइंग वो साल तक बिना बनी हुई ही रह गयी। पूरी ड्राइंग भी वह नहीं बना पाये थे। अध्यक्ष महोदय, उस के बाद दो साल तक वह काम अधूरा पड़ा रहा। अब जो एक्सपर्ट वहां रक्खे गये वह ४ लाख रुपये साल पर रक्खे गये हैं। वह फैक्टरी जो ९ महीने में बन जानी चाहिये थी अभी नहीं बनी मुझे पता नहीं उत्तर प्रदेश की सीमेंट फैक्टरी कोई सोने की चीज देने वाली है लेकिन हिन्दुस्तान में ३० सीमेंट फैक्टरीज हैं और अभी हाल ही में उड़ीसा में १ सीमेंट फैक्टरी डालमियां ने बनवाई है जो ९ महीने में बन गई लेकिन हमारे इस प्रान्त में सीमेंट की फैक्टरी का नक़शा ही बन रहा है। उड़ीसा में जो फैक्टरी बनी उस पर १ करोड़ ३७ लाख रुपये खर्च हुआ अब कि हमारी इस फैक्टरी पर ४ करोड़ रुपये के क़रीब खर्च हो चुके हैं। एक बड़ी हिमाकत यह गवर्नमेंट यह कर चुकी है कि यह सीमेंट फैक्टरी ७०० टन सीमेंट डेली प्रोड्यूस करेगी लेकिन प्लांट उस के लिये जो लगाये हैं वह दो प्लांट्स साढ़े तीन सौ यूनिट का एक एक है लेकिन जो हिन्दुस्तान की सब से बड़ी फैक्टरी डालमियां की है उस में ५००, ५०० के यूनिट लगे हुये हैं और उस में ५०० टन सीमेंट डेली प्रोड्यूस होता है। इसमें सब से ज्यादा फायदा उन्हीं फैक्ट्रीज को होता है जिनमें सब से ज्यादा कैपेसिटी के प्लाट्स लगे होते हैं। इस गवर्नमेंट ने यह नहीं किया। साढ़े तीन सौ के दो यूनिट्स इसने लगा दिये हैं जिनसे ७०० टन सीमेंट रोज प्रोड्यूस करने का इरादा यह गवर्नमेंट रखती है।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

यह सरकार हर चीज में अजीब बात करती है। जिस तरह से नैपाल में एक जगह से दूसरी जगह तक चीजें ले जाने के लिये रोपवेज होते हैं उसी तरह से यह सरकार उत्तर प्रदेश में ४ मील लम्बी रोपवेज बनाने जा रही है। रोपवेज ऐसी जगह बनाया जाता है जहां पहाड़ों की चोटियां होती हैं, या नदियां होती हैं या समुद्र होता है जो कि किसी तरह से क्रास नहीं हो सकता है। तो इन अस्सी मीलों में ४ मील के अन्दर रोपवेज की स्कीम है और उस के बाद भी, रोपवेज के बाद भी क्वेरीज तक पहुंचने के लिये मोटर की सड़क बनानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से काम कर रही है हमारी सरकार। पहले वहां बिल्डिंग्ज बनी, लेबोरेटरीज बनी और उनमें जाकर लोग पहले रहने लगे। और अब फैक्टरीज बनाना देखा जायगा। चाहिये तो यह था कि पहले स्टील गर्डर्स वगैरह डाल कर शीट्स वगैरह से छा कर के प्रोडक्शन शुरू कर देते और फिर बंगले वगैरः बना करते। यह न हो कर के पहले रहने का इंतिजाम हुआ उस के बाद फैक्टरी देखी जायगी। माननीय मंत्री ने कहा कि सन् १९५४ में यह बन जायगी मगर मुझे विश्वास है कि सन् १९५४ में भी यह बनने वाली नहीं है।

अब अध्यक्ष महोदय, प्रेसीजन फैक्टरी की जो बात है उस के लिये मैं क्या कहूं। हमारे यहां एक स्वामीनाथन् साहब सेक्रेटरी थे। वे स्विटजरलैंड हमारी गवर्नमेंट के खर्चे पर गये। वहां जर्मनी के ८ एक्सपर्ट्स से आप की मुलाकात हुई और उन्होंने वहीं पर से उनको मुकर्रर करवा दिया और हमारी गवर्नमेंट द्वारा वे मुकर्रर कर लिये गये यू० पी० की गवर्नमेंट को फैक्टरी के लिये ८ जर्मनी के एक्स्पर्ट्स। अब उसके बाद जब स्वामीनाथन् जी हिन्दुस्तान आये उसके ८ महीने बाद गवर्नमेंट को याद आयी कि प्रेसीजन फैक्टरी के लिये कुछ आदमी मुकर्रर किये गये थे। अब उनको आठों आदमियों के लिये ८४ हजार रुपये स्विटरजरलैन्ड में रहते हुये दे कर गवर्नमेंट ने उनको बुलवाया। उस के जो हेड थे मिस्टर गुन्थर उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन यह दी थी कि जर्मन की एक सीमेन्स कम्पनी है जो वाटर मीटर्स बनाती है। उसके वे मैनेजिंग डाइरेक्टर थे लेकिन बाद को पता लगा है कि वे उस कम्पनी के मैनेजिंग डाइरेक्टर क्या उस कम्पनी में कभी एक कुली का भी काम नहीं करते थे। लेकिन इस हुकूमत ने कभी यह वेरीफिकेशन करने की कोशिश नहीं की कि आया ये गुन्थर साहब एक्सपर्ट भी हैं या नहीं। दूसरे साहब एक मिलिटरी के एक्सपर्ट थे उन को इन गुन्थर साहब का परसनल असिस्टेंट बनाया गया। उन्होंने जब देखा कि यह सारा फ्राड है तो उन्होंने हिसाब देदिया कि साहब दो सौ रुपये का वाटर मीटर ६० रुपये में बिकेगा। जब यह हुआ तो गुन्थर साहब ने उन्हें सैक कर दिया और गवर्नमेंट के खर्चे पर चले गये। तीसरे साहब एक डाक्टर आफ मैडिसिन थे। उनका इंस्ट्रूमेंट्स से कोई ताल्लुक भी नहीं था जब यह पता लगा कि उनका फैक्टरी के इंस्ट्रमेंट्स से कोई ताल्लुक नहीं है तो इस बेचारे को भी सैक कर दिया गया और अब आजकल वह नैनीताल में डाक्टरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक और साहब बुलाये गये अध्यक्ष महोदय, जो कि ग्लास ब्लोअर थे। छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन में ग्लास ब्लोइंग करना आवश्यकीय होता है। वे इस काम को जानते थे। अध्यक्षमहोदय, वे दो साल तक खाली बैठे रहे क्योंकि सरकारी फैक्टरी में न गैस थी और न ग्लास। तो दो साल तक १५ सौ रुपये महीने लेते रहे और जब फिर काम न रहा उनके लिये तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में उनको फिजिक्स लेबोरेटरी में रखा गया और वहां वे ग्लास फूंकते रहे।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र माननीय उपाध्याय जी जिस समय भाषण कर रहे थे और उन्होंने 'मिस्टर सम्पत' सिनेमा की चर्चा की तो मुझे सन्देह हुआ कि यह उपाध्याय जी भाषण दे रहे हैं या मिस्टर सम्पत स्वयं। आप ने मिर्जापुर सीमेंट फैक्टरी के विषय में जो बातें कही हैं वहीं बिलकुल ही अजानकारी से भरी हुई बातें हैं। एक बात तो आप ने यह बतायी कि वह जगह जहां फैक्टरी बन रही है, मिर्जापुर से ८० मील दूर है। आप ने इसमें ३० मील की भूल की है। जब कि वह सिर्फ ५२ मील दूर है, और वहां सीधी सड़क जाती है। आपने खर्च ज्यादा बताने के लिये उस को ८०

मील दूर बता दिया। आप उस के बाद कहते कहते यहां तक कह गये कि सीमेंट फैक्टरी वहां न बनती तो अच्छा होता, लेकिन उन को यह सोचना चाहिये कि जहां पर इतना बड़ा पत्थर का भंडार है कि ऐसी ऐसी चार पांच सीमेंट फैक्टरियां बन सकती हैं और चल सकती हैं तो वहां न बना कर और जगह कहां बनायी जाती ? अनादिकाल से वहां पर पत्थर पड़ा हुआ था किन्तु अभी उसका अनुसन्धान हुआ है। अंग्रेजों के जमाने में उधर कभी ध्यान नहीं दिया गया। इधर हमारी कांग्रेस सरकार ने उस का अनुसंधान कर के उस का पता लगा कर जंगल में एक ऐसी चीज बना दी कि जिससे वहां के लोगों में नयी जान पैदा हो गयी है। यह एक ऐसी चीज बन गयी है कि उससे सुन्दर भविष्य का द्वार खुल गया है। वह जगह रेणुका बांध रिहन्ड डाम को सीमेन्ट पहुंचाने के लिये सब से निकट की जगह है। इतने पर भी अगर आप लोग ऐसे उपयोगी कारखाने की भी समालोचना करते हैं तो उससे यह साबित होता है कि आप का तर्ज क्या है और आप किस तरह से किस ढंग की यहां पर बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि सीमेन्ट फैक्टरी जिस जगह पर कायम हुई है वहां पहले बहुत विकट जंगल था, वहां पर बाघ और शेर रहा करते थे। उस जंगल को साफ़ कर के हमारे सरकारी कर्मचारियों ने साहस का काम किया है। पहले वहां पर पहुंचना बड़ा मुश्किल था लेकिन आज वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं। वहां पर सैकड़ों और हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। मैं वहां पर बराबर जा कर देखा करता हूं और अभी १० दिन हुये वहां गया था। मेरा यह अनुमान है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि सन् १९५४ के दिसम्बर तक ही नहीं बल्कि २,३ महीने पहले वहां पर काम चालू हो जायगा। और मेरी आशा है कि वहां पर बहुत जल्द माल तैयार होने लगेगा।

जहां तक रेलवे का संबंध है रेलवे का काम भी बहुत जोर के साथ वहां पर हो रहा है। मेरा यह अनुमान है और पक्का विश्वास है कि रेलवे और सीमेंट फैक्टरी दोनों साथ-साथ चालू हो जायंगी। एक बात और इसी संबंध में कही गयी कि वहां पर रोपवे क्यों चालू किया जा रहा है ? आप लोगों ने उसको देखा नहीं है, वहां पर सोन नदी के उस पार ही कुल पत्थर हैं। लाइमस्टोन सोन नदी के उस पार बहुत ज्यादा है, उधर से पत्थर लाने के लिये सिवाय रोपने के दूसरा कोई इतना सस्ता सुगम तरीका नहीं हो सकता था इसलिये यह कहना कि वहां पर फिजूलखर्ची की जा रही है, बिलकुल ग़लत है। वहां पर रोपवे २ मील लम्बी ही बनेगा ४ मील लम्बा नहीं बनेगा, जैसा कि बतलाया गया। इससे साफ़ है कि आप लोग दुगुना ग़लत बयानी करते हैं। इसलिये आप के द्वारा मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि सीमेन्ट फैक्टरी मिर्जापुर में एक जान डालने वाली चीज खड़ी हो रही है और इससे वहां के लोगों की बहुत आशा बन्धी हुई है। जो सब से बड़ी स्कीम रेणुका बान्ध (रिहन्ड डैम) की हमारे प्रान्त की वहां पर चालू है उसकी चर्चा करना यहां पर अप्रासंगिक जरूर है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जितना स्टाफ रखा गया है उसके लिये केवल १० लाख रुपया ही मंजूर किया गया है। जब कि उतने ही स्टाफ से २ करोड़ का काम हो सकता है। इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह ऐसा प्रयत्न करे कि जिससे केन्द्रीय सरकार से अधिक रुपया आ सके ताकि वहां पर जोरों के साथ काम चलाया जा सके। इसके अलावा एक बात और है वहां पर ठीके के लिये जो रेट रखा गया है उससे मजदूरों को मजदूरी कम पड़ती है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय उद्योग मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मिर्जापुर की सीमेन्ट फैक्टरी के संबंध में जो यह अनुदान पेश किया है वह बहुत उपयोगी अनुदान है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक विकास किसी भी राष्ट्र को प्रगति देने के लिये अत्यन्त आवश्यक है और किसी भी राष्ट्र के होम डिफेंस को बिल्ड करने के लिये यह अनिवार्य हुआ करता है। वे लोग जिन्होंने कभी दुनियां में मुसीबत और संघर्ष को नहीं देखा है वे आज इस बात का अन्दाज नहीं लगा सकते कि किसी मुल्क में उद्योग का विकास किस हद तक होना चाहिये।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि अगर हम लोग अपनी खोयी हुई और गये हुये वैभव को फिर से इस देश में लाना चाहते हैं, अगर हम भारतवर्ष की विभूतियों को फिर एक बार संसार में चमकाना चाहते हैं तो हमारे देश का औद्योगिक विकास होना बहुत आवश्यक है। हमने देखा कि सरकार ने पूरा पूरा प्रयत्न इस दिशा में किया है लेकिन इस से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार को उसमें कोई बड़ी भारी सफलता नहीं मिली है। उसके कई कारण हैं और मैं समझता हूं कि जिस तरह से पार्टीबाजी में भाषण किये जाते हैं, जबकि हम लोग अपने देश का फैसला करने जा रहे हैं, जब कि हम अपने राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वहां पर अपनी व्यक्तिगत रायों को इस सदन के माननीय सदस्यों के ऊपर थोपने से हम राष्ट्र की समस्याओं को हल करने में समर्थ नहीं हो सकते।

श्री अध्यक्ष—केवल ५ मिनट ही बोलने के लिये दिये गये हैं खाली उपदेश ही आप न करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत—मैं यह बतलाना चाहता हूं कि रुपया बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज के विकास में खर्च कर दिया गया है, परन्तु जैसा कि मैंने खुद देखा है कि इस विभाग के डायरेक्टर महोदय या डिप्टी डायरेक्टर महोदय कह नहीं सकता कि वह कौन हैं। वह कानपुर में रहते हैं, वह एक बार पौड़ी तशरीफ ले गये थे, मेरी उनसे बातचीत हुई और उन्होंने विकास उद्योग के लिये इस तरह की व्यवस्था वहां की, जिससे जो कुछ विकास हो रहा था वह भी चौपट हो गया, वह जिम्मेदारी मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि सरकार की नहीं है हालांकि वह जिम्मेदारी मंत्री महोदय पर अवश्य आ जाती है लेकिन वह ऐसे अफसर जो खुद विकास में इन्टरेस्टेड नहीं हैं और जो कि अंग्रेजी लिबास पहने हुये टाई कालर और सूट पहने हुये, खाने पीने में मस्त रहते हैं और जिन में देश प्रेम की ब नहीं है ऐसे अधिकारी किस तरह से देश का काम कर सकते हैं और कैसे उनके अन्दर देश का दर्द हो सकता है और वह दिलचस्पी से काम कर सकते हैं? इसलिये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह के खर्च के जो लोग जिम्मेदार हैं वह अफसर परसनली जिम्मेदार हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं आप से कहूंगा कि आप किसी अफ़सर पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप इस तरह से न करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत—मैं यहां पर उस कमी को बतला रहा हूं कि जिस कमी के बारे में हमें चाहिये कि हम सरकार को अवगत करायें कि भविष्य में सरकार उस से सतर्क रहे कि ऐसे राष्ट्र के उत्थान के अन्दर इस तरह के डायरेक्टर महोदय अगर न होंगे....

श्री अध्यक्ष—इस तरह के आक्षेप करने की मैं अनुमति न दूंगा क्योंकि ऐसे अफ़सर यहां मौजूद नहीं रहते।

श्री चन्द्रसिंह रावत—मैं उसको वापस लेता हूं और उसको रिपीट नहीं करता लेकिन ऐसे लोगों की स्ट्रिक्ट सुपरवीजन की जरूरत है। यह देखना चाहिये कि रुपया अच्छी तरह से खर्च हो रहा है या नहीं। साथ ही साथ मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि जहां भी विकास योजना चल रही है और जो लोग उनको चला रहे हैं, ऊपर से उनको परिस्थितियों का पूरा-पूरा ज्ञान नहीं है क्योंकि जिन जगहों पर वह योजनायें चालू की जाती वहां की लोकल कन्डीशंस से वह लोग वाकिफ़ नहीं होते हैं। जब कभी भी कहीं कोई

विकास योजना चालू की जाय तो वहां की लोकल कन्डीशंस का निरीक्षण होना बहुत जरूरी है वर्ना जो कुछ भी खर्च किया जाता है वह मीयर वेस्ट आफ मनी, एनर्जी एंड टाइम हो जाता है, और उससे हमारा कोई विशेष लाभ नहीं होता बल्कि हानि ही पहुंचती है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से जो बजट सदन में पेश हुआ है उसका हृदय से स्वागत करता हूं। हमने देखा कि लड़ाई के पहले हमारे देश के गांवों में कभी किसी प्रकार का सीमेंट नहीं मिलता था। बड़े बड़े शहरों में कुछ सीमेंट उस जमाने में मिला करता था। लड़ाई के बाद मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं मैंने देखा, इधर दो चार साल से गांवों में भी किसी प्रकार सीमेंट सरकार के द्वारा मिल रही है जहां कि किसानों के नाबदान तक नहीं बन सकते थे। और मैं तो उस पूर्वी जिलों का रहने वाला हूं, उस जगह का रहने वाला हूं जहां मिर्जापुर से, उत्तरी जितने जिले हैं सब जिलों में पीतल का व्यवसाय, जैसे फैजाबाद, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर तमाम जिलों में जाया करता हूं। यदि मिर्जापुर में सीमेंट अधिक पैदा हो जाय और पूर्वी जिलों में गंगा पार करने के लिये चीलघाट पर यदि पुल निर्माण हो जाय तो दस जिलों की उन्नति उस सीमेंट फैक्ट्री से होगी।

जहां हमारे माननीय सदस्य ने यह कहा कि यदि ऐसी फैक्ट्री लखनऊ में बनायी जाती तो बहुत अच्छा होता।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, वह कहते हैं कि मैंने यह कहा कि अगर लखनऊ में सीमेंट फैक्ट्री बनती तो बहुत अच्छा होता। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—अगर आपने नहीं कहा तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा।

मैं तो सरकार को इसलिये धन्यवाद दे रहा हूं कि मिर्जापुर ऐसे पहाड़ी इलाके में जहां आदमी जाने में परेशान होता था अब उस इलाके में तो रचनात्मक काम शुरू हो गया। एक तरफ आप लड़ रहे हैं कि जमीन का बटवारा हो। रोज प्रचार करते हैं कि जमीन फिर से बांट दी जाय। क्या जमीन का जब बटवारा होगा तो मिर्जापुर के इलाके में क्या आपके गांव के लोग नहीं जायेंगे जहां पर जमीन ज्यादा है आदमी कम हैं? जमीन तो ज्यादा मिर्जापुर जैसे पहाड़ी और जंगली इलाके में ही मिलेगी जहां जमीन अधिक है और आबादी कम है।

माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि मिर्जापुर में सीमेंट फैक्टरी बनाना गलत है मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि इस प्रकार पहाड़ी और जंगली इलाके में उन्होंने इस प्रकार की फैक्टरी खोली जिसके लिये वहां के गरीब मजदूर उनको धन्यवाद दे रहे हैं। इसके लिये मैं भी उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने आज एक रेकार्ड बक कर दिया। माननीय हाफिज जी ने अपने बजट भाषण में तो यह कहा था कि प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंन्ट्स फैक्ट्री में ९ हजार वाटर मीटर्स तैयार करेंगे। उन्होंने अपने भाषण में उसको दस हजार कर दिया। उन्होंने एक हजार वाटर मीटर बढ़ा कर रेकार्ड ब्रेक कर दिया।

इसके बाद जहां तक कैपिटल आउटले का संबंध है सरकार की आदत रही है कि बिना फाइनेंस कमेटी के बताये और आडिटर के बताये वह फांड्स दे दिया करती है। रेअन फैक्टरी के बारे में पांच लाख रुपया बिना फाइनेंस

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कमेटी को बताये और आडिट सैक्शन को वे दिये गये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सुनते हैं कि कुछ रुपया वापस आया है। क्या आया है और उसका क्या कर रहे हैं, इस पर माननीय मंत्री प्रकाश डालेंगे ?

दूसरी बात कैपिटल आउटले के संबंध में यह है कि रामपुर इंडस्ट्रीज में भी सरकार का कुछ रुपया जब से रामपुर का विलीनीकरण हुआ है लगा है। हम रिपोर्ट को देखते हैं तो सारी इंडस्ट्रीज दो को छोड़ कर ठप पड़ी हैं। पिछले साल में कहा गया था कि रामपुर मेज प्राडक्ट्स लिमिटेड और रामपुर डिस्टिलरी ऐंड केमिकल कं० लि० वगैरह अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन इस साल की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों बंद हो गयी हैं। पिछले साल जो कि डेरी फार्म है रामपुर में, वह खुला हुआ था। इस साल वह बन्द हो गया। और इसी प्रकार ग्यारह फ़ैक्टरीज रामपुर, इंजीनियरिंग कं० लि० रामपुर डिस्टिलरी ऐंड केमिकल कं० लि० रामपुर, इंडस्ट्रीज लिमिटेड रामपुर, कामर्शल कारपोरेशन लि० डान मैच कम्पनी लिमिटेड। क्योंकि सरकार के सारे प्रयत्न मैं आपको बतलाऊंगा कि सब बाहर के जितने भी हैं ठप पड़े हुए हैं। मैं आपको बतलाऊं कि बाबिन कम्पनी में सरकार का हिस्सा है। वहां से नफा उठाने के लिये सरकार ने यह किया है कि जहां फी डमी राइफल गंस के लिये टेंडर सवा छः रुपया के पड़े और ५ हजार स्टूडेन्ट्स की ट्रेनिंग के लिये डमी गंस की जरूरत थी तो सरकार ने ११ रु० १२ आना फी बंदूक बनाने के लिये कंट्रेक्ट दिया। कहां सवा छः रुपया और कहां ११ रु० १२ आना और इतना करने पर भी काम नहीं हो पाता और नुक्सान पर नुक्सान होता है।

जहां तक प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी का सवाल है सरकार ने दावा किया कि १ हजार वाटर मीटर बनायेंगे एक साल में, फिर कहा कि ८ सौ मीटर्स बनायेंगे। लेकिन अभी तक कुल दो हजार मीटर बने हैं।

पिछले साल यह दावा किया गया कि रेडियो और थर्मामीटर बनायेंगे, लेकिन इस साल रिपोर्ट में वह सब हवा हो गया। यह बनाना है या नहीं बनाना है सब सरकार ने मान लिया।

जहां तक आमदनी का सवाल है पिछले साल सन् १९५२-५३ में दो लाख आमदनी हो गयी और खर्चा ५,२९ हजार। ऐसे ही गवर्नमेंट वर्कशाप रुड़की है, वहां इस्टेब्लिशमेंट पर पहले खर्चा होता था २,५०० और आमदनी थी १,६१, हजार और अब खर्चा बढ़ा है ५,७०० और आमदनी घटी है जो १,३०, हजार हो गयी है। एक साल के अन्दर आमदनी और खर्च में इतनी कमी और वृद्धि। ठीक यही हाल सीमेंट फैक्टरी का है। सीमेंट फैक्टरी के लिये हम से सालाना अनुदान मांग लिये जाते हैं, खर्चा नहीं होता। सन् १९४९-५० में ७५ लाख की बचत अनुदान के अन्दर हुई, वह खर्चा नहीं कहा जा सकता। सन् १९५१-५२ में ८२ लाख रुपया खर्च नहीं कर पाये और अनुदान मंजूर करा लिया गया। १९५२-५३ में १,२४ लाख रुपया मंजूर करा लिया और ७३ लाख कुल खर्च हुआ। इस साल भी जो १,६० हजार उसके लिये रखा गया है वह भी शायद रखा ही रहेगा।

इसलिये जहां सरकार कैपिटल आउटले के संबंध में डेवलेपमेंट स्कीम बनाती है तो जरा सोच समझ कर बनाना चाहिये।

अब यह जो मुझसे कहा कि हवा की योजना है, तो मैं बतलाऊं कि एक स्कीम क्राफ्ट पेपर फैक्टरी की पूर्वी जिलों के लिये बनाई ५० लाख रुपये की, वह टांय टांय फिस हो गयी। एक स्कीम डान कोल माइन्स की गोंडा जिले के लिये थी वह भी टांय टांय फिस हो गयी। और कहां सन् १९५२ में ही सीमेंट फैक्टरी बनाई जाती थी लेकिन

हमें संदेह है कि वह सन् १९५४ तक भी बन पायेगी। उसको बनाना है तो काम शुरू कर दिया गया या नहीं यह तो माननीय मंत्री जी ही जानें।

इसलिये अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से यह आशा करूंगा कि ये जो ११ इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में रिपोर्ट पेश करें और उनका इन्तजाम ठीक करें।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय, जिस अनुदान को माननीय उपाध्यक्ष जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री हुकुमसिंह—अनुदान तो मैंने पेश किया है।

श्री कमलासिंह—मेरा मतलब कटौती के प्रस्ताव से था।

मैं उस गाजीपुर जिले से आता हूं जहां सन् १९०९ में एक दूसरी ही परिस्थिति थी। मैं उस परिस्थिति को गजेटियर के शब्दों में आपके सामने रखना चाहता हूं। थोड़े से शब्दों में यह बतलाया गया है कि:—

"The exports apart from the opium and grain, are inconsiderable, the most valuable being salt-peter, hides and bones for Calcutta, sugar, perfumes and glass bangles."

गाजीपुर वह जिला है जहां ओपियम और ग्रेन के अलावा शुगर, साल्ट पिटर हाइड्स, परफ्यूम्स और ग्लास बैंगिल्स वगैरः व्यापार के सिलसिले में दूसरी जगह भेजी जाती थीं, और आज वही पूर्वी जिला है कि स्वराज्य आया, हमने उम्मीद की कि हर प्रकार का डेवलपमेंट होगा, भलाई होगी, लेकिन हम यह परिस्थिति देख रहे हैं कि आज अनाज के अभाव के कारण हमें उल्टे दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई और गल्ले की जो योजना थी वह हमने देखा। तीन दिन से सिंचाई और कृषि बजट को देख रहा था सिर्फ एक ही बजट का हिस्सा हम लोगों के भाग्य में था और वह था दुर्भिक्ष, हमें यही मिला है। इस बजट का जब नम्बर आया तो हम लोगों ने देखा कि १० लाख रुपया बेरोजगार वालों को रोजगार देने के लिये रखा गया है। उसमें भी हम लोगों ने देखा कि जो नयी मदें हैं उनमें कहीं भी हमारा भाग नहीं है। अब यह देखता हूं अध्यक्ष महोदय, कि हमारा वह जिला है जहां न नहर है, न ट्यूब वैल्स हैं और न कोई सिंचाई योजना ही है, कुओं को बोरिंग कराने का भी साधन नहीं है। हमारा भाग्य केवल उद्योग धंधों पर ही निर्भर करता है। इसलिये हम इस्तदुआ करेंगे कि इस वक्त इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के बारे में बहुत सी नयी नयी चीजें हो रही हैं लेकिन मैं तो कहता हूं कि एक तरफ आप डेवलपमेंट या विकास की नीति बरत रहे हैं और दूसरी तरफ विध्वंसक नीति बरती जा रही है, वह ठीक नहीं है। और उसके मुताल्लिक मैं साफ कह देना चाहता हूं कि हमारा वह जिला है कि जहां पर साल्ट पीटर फैक्टरी की बहुत सख्त जरूरत है। वह इसलिये कि हमारे यहां की जो अर्थ (जमीन) है वह सैलाइन अर्थ है और शोरा वगैरह वहां बहुत ज्यादा होता है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—प्वाइंट आफ आर्डर है। हमारे मित्र जो भाषण कर रहे हैं उससे और इस अनुदान से कोई संबंध नहीं मालूम होता। इसलिये मेरी आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—वह साल्ट पीटर फैक्टरी का सजेशन दे रहे हैं। वह नया सुझाव दे सकते हैं।

श्री कमलासिंह—साल्ट पीटर के मुताल्लिक जो मैंने कहा अध्यक्ष महोदय हमारे जिले का सैलाइन अर्थ है और उससे करीब २३ सौ मन सज्जी पैदा होती है जिससे कि २२ हजार २ सौ रुपये की आमदनी पहले जमाने में थी। इतना ही नहीं बल्कि लोनिया

[श्री कमला सिंह]

(चौहान) एक कास्ट है हमारे यहां, जिनकी तादाद २९,८४३ है वह लोग इससे फायदे उठाते हैं। बिन्द भी जो थे वह लोग २७,५६८ थे वह भी इससे फायदा उठाते थे। और नतीजा यह होता था कि वह शोरा या सज्जी जब विदेशों में जाती थी तो यह ग्लास बनाने के काम में आती थी। नौसादर या शोरा उससे बनाया जाता है, और कामन साल्ट जिसे खारी नमक के नाम से कहते हैं वह उसके वेस्ट मैटर से निकलता है जो बैल वगैरह को दिया जाता है। लोग कहते थे कि राजपूताने का जो सुपीरियर नमक है उसके मुकाबिले के करीब की यह चीज थी। तो ऐसी हालत है हमारे जिले की कि वह सज्जी इत्यादि का जो व्यापार था हमारा वह बिलकुल बन्द कर दिया गया। अगर हम यह कहें कि गोरे जो सात समुद्र पार के रहने वाले थे वह तो हमें बरबाद करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं यह नहीं समझता कि हमारे देश के रहने वाले हमारे उद्योग मंत्री हैं और उद्योग उपमंत्री जी जो हमारे बिलकुल पड़ोसी हैं, वह हमारे यहां की जो बुरी अवस्था है उससे परिचित हैं। श्रमदान के वक्त वहां पर वह गये भी थे और उन्होंने वहां की हालत देखी है। तो मैं नहीं समझता कि हमारे जिले को यह जो इग्नोर किया जा रहा है यह कहां तक उचित है। मैं तो यह भी बतलाना चाहता हूं कि हैन्डलूम्स वगैरह के लिये जो कि हमारे यहां किसी तरह से मिनिस्टर साहब की मेहरबानी हुई है, उसके मुताल्लिक मैं समझता हूं कि १९० गांवों में, गजेटियर में दिया हुआ है कि दरियां अच्छी से अच्छी बनती थीं जो कि एक रुपये गज बिकती थीं। तो अगर माननीय मंत्री जी इस संबंध में कुछ ध्यान दें तो हमारा स्टेट्स तो मेन्टेन हो ही जाता और हमारे रोजगार का फायदा भी हो जाता। इतना ही नहीं बल्कि हमारे यहां पाटरी का काम भी बहुत होता था अच्छे अच्छे खिलौने बनाये जाते थे, और आज भी बनाये जाते हैं। उसकी तरफ भी अगर कुछ ध्यान दिया जाय तो कुछ न कुछ तो रोजगार उनसे मिल ही जायगा। इतना ही नहीं बल्कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है वहां मोल्डर्स, वेल्डर्स वगैरह के काम जो सिखाये जाते हैं, अगर लोग जो कि इन चीजों को सीखते हैं उनको कार्यरूप में परिणत करने के लिये भी कोई कार्यवाही की जाती तो उन लोगों का बहुत ज्यादा उपकार होता। इन चीजों के बारे में कहते हुये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों की तरफ भी जरा ध्यान दें और हम लोगों की जो गरीबी है उसको दूर करें, क्योंकि हमारे पास कोई और साधन सिंचाई वगैरह का नहीं है। न नहरें हैं, न ट्यूबवेल्स वगैरह हैं। हमारे यहां जो बेरोजगारी हो रही है उसको सिर्फ उद्योग के जरिये ही दूर किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य ने जिले का नाम नहीं लिया।

श्री कमलासिंह—वह गाजीपुर जिला हमारा है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि वह हमारे यहां उद्योग का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें ताकि हम लोग भी जिन्दा रह सकें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, क्षमा कीजियेगा, केवल एक बात कहने के लिये मैंने आप से इजाजत मांगी है। माननीय नारायणदत्त जी को मैं एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में देखता हूं और मुझे बड़ा दुख होता है जब कि वे अपने अध्ययन के सिलसिले में अनायास अपने नेत्र बन्द कर लेते हैं। श्रीमन्, बहुत से कल कारखानों का जिक्र करते हुये उन्होंने यह फरमाया कि कितना-कितना नुक्सान गवर्नमेंट को हो रहा है और उससे उन्होंने यह साबित करने की चेष्टा की कि वास्तव में यह कुप्रबंध का परिणाम है। जरासा विचार करने की बात है कि यह बहुत से कारखाने और उद्योग-धंधे जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने हाथ में लिये थे, वह उस समय लेने का संकल्प किया था जिस समय की चीजों के मिलने में कठिनाई होती थी, स्कैरियसटी कंडीशन्स थे और

इस प्रकार की आशा नहीं की जा सकती थी कि बाजार इतना आसानी से खुल जायगा। और वे चीजें जिनके मिलने में इस प्रदेश में कठिनाई होती थी वे सस्ते दामों पर इतनी आसानी से विदेशी प्रतियोगिता के कारण उपलब्ध हो जायंगी। रामपुर का जो जिक्र किया गया, उसके बारे में थोड़ी मुझे भी जानकारी है। वहां पर महायुद्ध के समय बहुत से कल कारखानों की बाढ़ आ गयी। नवाब रामपुर को शौक था कि बहुत से कल कारखाने खोले जायं और बाहर से उद्योगपति आ करके अपनी पूंजी लगायें। परन्तु उन लोगों ने एसेंशल वार सप्लाइज के कारखाने खोले जिनको इंटरनेशनल कंडीशन की वजह से अधिक दिन चलना कठिन हो गया। प्रीसीशन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री के बारे में यह मान लेना पड़ेगा और आगे चल करके यह स्वीकार करना पड़ेगा कि क्या वाटर मीटर ही हम बनाना चाहते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने ६ हजार कहा, माननीय उद्योग मंत्री जी ने दस हजार कहा। यह छोटी सी बात है। ईश्वर करे कल कारखाने का मामला है, कल ११ हजार वाटर मीटर पैदा हो सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वाटर मीटर हमारे यहां का बनाया हुआ वास्तव में सफल होगा इस प्रकार से कि हम उसको सस्ता खरीद सकेंगे? यह बड़ी भारी समस्या है। इसके साथ हमारे समाजवादी मित्रों को विशेषरूप से ध्यान रखना होगा कि जब वे राष्ट्रीयकरण और उद्योगीकरण की बात करते हैं तो उनके विचार में यह चीज भी आ जानी चाहिये कि जब भी, जहां कहीं जिस किसी सरकार ने उद्योगधंधों में हाथ डालने की कोशिश की है तो वहां का यही अनुभव रहा है कि छोटे छोटे कारोबार निजी उद्योग-धंधों के द्वारा ही सफल हो सकते हैं। इस प्रकार जो छोटे-मोटे कारखाने सरकार को लेने पड़े, संभव है कि आगे चलकर सरकार को फिर उन पर विचार करना पड़े और कुछ परिस्थितियों के कारण उनको छोड़ना पड़े। इसमें अयोग्यता की बात नहीं है, नालायकी की बात नहीं है, बाजार के कंडीशंस की बात है। जो चीजें बाहर से सस्ती बड़े कल-कारखानों की बनी आती हैं, उनके लिये यदि कारखाने न चलाये जायं तो इसमें कुछ अनुचित नहीं होगा। ११ रुपये की जो राइफल पड़ रही है, उसके विषय में एक उसूल हमेशा रहा है कि जहां कहीं भी गवर्नमेंट अपने कारखाने से परचेज करती है तो आप दुनियां का उदाहरण उठा करके देख लें, वह अगर हायर रेट्स पर होता है यह ऊंची दर सरकारी उद्योग या किसी राष्ट्रीय उद्योग को सहायता देने के लिये होता है। यदि गवर्नमेंट ने छः सवा छः के बजाय दस रुपये में माल खरीदा है तो मैं दो मिसालें इसकी दे सकता हूं। लड़ाई के जमाने में अमरीका में जिन कारखानों में गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी, उनको प्रोत्साहन देने के लिये अमेरिका में ट्रूमैन की सरकार ने कहा था कि हम ज्यादा रेट पर सामान खरीदेंगे और उस कारखाने को प्रोत्साहन देंगे। एक और छोटी सी मिसाल है। योशिदा जो जापान के प्रधान मंत्री थे, उन्होंने एक बड़ी सुन्दर बात कही थी, मैंने एक लेबर बुलेटिन में पढ़ा था। उन्होंने अपने कल-कारखानों से कहा था कि मजदूरों को आन्दोलन नहीं करना चाहिये लेकिन कल-कारखानों की सहायता हम करेंगे, उससे कल-कारखाने उन्नति करेंगे, और वह सहायता हम इस प्रकार कर सकते हैं कि जो चीज बाजार में ५ रुपये की है उसको हम ७, ८ रु० में खरीद लेंगे। हमारे माननीय मित्र इस पर विचार करेंगे कि कारखानों की सहायता करने के लिये किस प्रकार अधिक दामों पर कभी-कभी गवर्नमेंट को माल खरीदना पड़ता है। जहां तक फोरटीन प्वाइंट प्रोग्राम का संबंध है उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि हमें कौन-कौन सी इन्डस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण करना होगा? बैंकिंग, इंश्योरेन्स और माईनिंग के अतिरिक्त और कोई इंडस्ट्रीज होगी भी या नहीं, अन्त में मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट किसी कारखाने में सफल न हो तो इसमें न उसकी योग्यता प्रमाणित होती है और न अयोग्यता।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपने मित्रों को कहते हुए जो बातें सुनी हैं, उनके संबंध में संक्षेप में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जहां तक हमारे मित्र उपाध्याय जी का ताल्लुक है, उनकी तकरीर मैंने बड़े गौर से सुनी और समझने की भी

[श्री हुकुमसिंह]

कोशिश की। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे मित्र को वहां की जुग्राफिया से मिर्जापुर में जहां कि सीमेंट फैक्टरी बनती है, कम वाकफियत है यानी कि उन्होंने दीदा वदानिस्ता ग़लतबयानी की है, वह मजबूर थे। एक पहाड़ पर रहने से दूसरे पहाड़ का अन्दाजा नहीं हो सकता। एक इस तरफ और दूसरा उस तरफ, बिला वहां गये हुये, वहां का अन्दाजा कर लेना कुछ ठीक बात मालूम होती नहीं। मिर्जापुर से सीमेंट की फैक्टरी की दूरी ८० मील, यानी तीस मील का फर्क ! खाकसार वहां हो आया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—बहराइच से नजदीक है।

श्री हुकुमसिंह—बहराइच से भी बहुत दूर है। यह भी आप गलत कहते हैं। मैं यह कहता हूं कि ३० मील के फासले में फ्रेट चारजेज कई गुना बढ़ जाते हैं। इतना इजाफा करना, लाइलमी की वजह से ऐसा हुआ है। जहां तक रोडवेज का ताल्लुक है उसमें भी डबुल हो गया है। दो मील का फासला, डबुल करने में दूना खर्चा। मैंने बहुत सी बातें बताई थीं इस फैक्टरी के संबंध में कि काफी तरक्की हो रही है मगर उपाध्याय जी को यकीन नहीं आता। वाकई अंधे को जब ही पतियाता है जब वह आंखें पाता है, जब तक उसकी दृष्टि रेस्टोर न हो जाय तब तक उसको च हे जितने आशीर्वाद दो वह मानेगा नहीं। लेकिन वह भी वक्त आयेगा जबकि उपाध्याय जी मानेंगे।

मैं क्या बताऊं माननीय उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि वहां जो इमारतें बनाई गईं उनमें बड़ी कीमत पड़ गयी। अगर वही इमारतें लखनऊ में बनतीं तो सस्ती बनतीं। ऐसा कोई जुमला उपाध्याय जी ने कहा। जरूर कहा, सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा कि लखनऊ में अगर इमारतें बनतीं तो सस्ती बनतीं। लखनऊ में इमारतें क्यों बनतीं, इमारत बनाई जाय लखनऊ में और फैक्ट्री कायम की जाय वहां कि जहां पर मैटीरियल मौजूद हों! वहां का मैटीरियल बरसों चलेगा, खत्म हो नहीं सकता। जब वहां फैक्ट्री बनेगी तो वहां इमारतों का बनना भी लाजिम है।

एक बात और कही कि पहले फैक्टरी चालू हो जाती फिर इमारत बनती। पहले आबपाशी होती, तब कुंआं खोदा जाता, तब नहर बनाई जाती। उस वक्त हमारे दोस्त यह कहते हैं कि लेबर के लिये कोई इन्तजाम नहीं। वहां मलेरिया चल रहा है। तब यह आरगूमेंट पेश करते हैं कि लेबर का इन्तजाम किया जाय और वहां पर काम करने वालों के रहने का इन्तजाम किया जाय। तो मैं यह अर्ज करता हूं कि जब तक सब सामान मुहइया न हो जाय तब तक कैसे काम हो सकता है और एफीसेन्सी पर असर आयेगा। आप जायेंगे और कहेंगे कि लीजिये कुछ हुआ ही नहीं। इसलिये जब सब इमारतें बनकर तैयार हो जायं, सब लोग मुस्तैदी से काम करें, दिन में और रात में आराम करें क्योंकि वह मुकाम बड़ा दुर्गम है, वह रानीखेत जैसा मुकाम नहीं है और न फैजाबाद जैसा है। बड़ा दुर्गम है, मैं गया हूं। मलेरिया वहां पर भरा पड़ा है और बड़ा अजीब रास्ता है। जो लोग वहां काम कर रहे हैं वे धन्य हैं। उनको काम में जुटा दिया और उनके लिये सुविधायें मुहइय्या न की जावें, यह उचित नहीं है। कहा गया उड़ीसा की फैक्टरी १ या सवा साल या ९ महीने में बनकर तैयार हो गई। उस फैक्टरी का और हमारी का क्या अनुपात है? हम तो कहते हैं कि यह जूता ५ रुपये का और २५ का भी आता है लेकिन क्वालिटी का फर्क है। हमारी फैक्ट्री उड़ीसा की से बहुत बड़ी है। उड़ीसा की फैक्ट्री आपने देखी भी नहीं और ऐसे ही कहीं अखबार में पढ़कर उड़ा दिया कि ९ महीने में बन गई। ९ महीने आपको बहुत याद रहते हैं। हमारी फैक्ट्री में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगा और फिर हमारी दिक्कतें भी देखिये। वहां के जो कन्सल्टिंग इंजीनियर थे उनका देहान्त हो गया। उसके लिये हमको अज सरेनौ इन्तजाम करना पड़ा। दीदो-दानिस्ता कोई देरी नहीं की गई। फरमाया गया कि पहले रेल बन जाती तब सामान जाता। तो सन् ५४ तक रेल पहुंचेगी और ५५ या ५६ तक फैक्ट्री तैयार होगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---महंगा बड़ा होता है।

श्री हुकुमसिंह---जी हां, लेकिन चीज भी तो बहुत अच्छी होती है। दिन पर दिन प्राइसेज बढ़ती जाती हैं। तगय्युर और तबद्दुल मामलात में पैदा होते जाते हैं। वेजेज बढ़ती जाती हैं। कौन रोक सकता है ? अगर मजदूरी कम दें तो भी आप वहां जाकर इस्ट्राइक करा देंगे। आपकी राय यह मालूम होती है कि, आपसे मतलब मेरा है उपाध्यायजी से, राबर्ट्सगंज में यह फैक्ट्री गलत लगाई गई।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---यह नहीं कहा।

श्री हुकुमसिंह---कहा यही था। मैं कहूंगा कि वह वह प्रदेश है जहां की जनता बिल्कुल गरीब है और वह कन्ट्री बिलकुल ओपिन नहीं है। उनकी तरक्की करना बड़ा सवाब का काम है क्योंकि वे लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। वहां इन उद्योगों के होने से वे इन्सान की तरह अपनी जिन्दगी बसर कर सकेंगे। यहां देवरिया और गाजीपुर की दुर्भिक्षता का बयान तो रोज कमलासिंह जी और गेंदासिंह जी करते हैं लेकिन वहां का कोई बयान नहीं करता। आपने उसे देखा नहीं है, चल करके देखिये। हमारा और आपका दिल पसीज जायगा। रिहंड डैम बनने में सिमेंट का ज्यादा खर्चा होगा और उसके लिये इस फैक्ट्री की योजना चलाई गई है। उसके बनवाने से इंटीरियर भी बिलकुल ओपिन हो जायगा। वहां के लोग काफी उन्नति कर सकेंगे। इसलिये हर नुक्तेख्याल से उसका नहीं खोलना मुनासिब था। वहां इतना मैटीरियल है कि वह बरसों चलेगी, अगर लखनऊ में खोलते तो रामैटीरियल क्या रानीखेत से आता ? तब और ज्यादा खर्चा पड़ता इसलिये हर पहलू से देखकर यह किया गया। और जहां तक श्री कमलासिंह की बात का ताल्लुक है वह अगर जनरल डिसकशन के समय कहा होता तो ज्यादा अच्छा होता। जहां तक इस अनुदान का ताल्लुक है और श्री उपाध्याय जी के कटमोशन की ताईद के लिये वह खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी सीमेंट फैक्ट्री या गवर्नमेंट प्रेसेशन फैक्टरी के बारे में नहीं कहा और उन्होंने सज्जी के कारखाने के बारे में ही कहा। वाकई हम उस पर विचार करेंगे और अगर हो सकता होगा तो हम जरूर करेंगे। लेकिन मैं उनका बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने उपाध्याय जी के कटमोशन की ताईद में एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैं आशा करता हूं, हालांकि यह मेरी उम्मीद बिलकुल बेजा है क्योंकि उपाध्याय जी बहुत अड़ियल हैं, और वह भी इसको वापिस नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस ले लें और इस अनुदान को स्वीकार करें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस और दुख है कि माननीय मंत्री जी ने मेरे भाषण को सुनने की कृपा नहीं की नहीं तो वह यह मतलब कभी नहीं लगाते। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मिर्जापुर में कोई सीमेंट फैक्टरी खुलती। मैं माननीय मंत्री जी को इंडस्ट्री की टेक्निक बतला रहा था, इसीलिये मैं कह रहा था कि वह इंडस्ट्रीज मिनिस्टर न होकर अगर एक्साइज में काम करने के लिये मिनिस्टर होते तो ज्यादा अच्छा था।

फैक्ट्री चाहे मिर्जापुर में बनती या लखनऊ में बनती। इसमें तो कोई बात नहीं थी क्योंकि सीमेंट लाने में कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता है लेकिन इस फैक्टरी की बिल्डिंग पहले बननी चाहिये थी। पहले बिल्डिंग बनाकर के फैक्टरी बनाई जाती। केवल गार्डर्स लगाकर के टिन शेड डलवा देना चाहिये था। इस तरह की ३० फैक्टरी हिन्दुस्तान में बन चुकी हैं। ऐसा मेरा मकसद था। यह मेरा मकसद कतई न था कि मिर्जापुर में सीमेंट फैक्टरी न बने। मेरा तो कहना यह है कि आप चाहें तो वहां १० फैक्ट्रीज बनावें क्योंकि वहां पर फ़ाल्स वगैरा बहुत ही अच्छे हैं। माननीय परिपूर्णानन्द जी वर्मा ने जो बात कही वह तो जानता था। श्री परिपूर्णानन्द जी हुकूमत से गलत काम करवाते हैं। जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

में गड़बड़ी होती है और यही लोग यह बात साबित करेंगे कि यू० पी० गवर्नमेंट ने कैसे काम किये। उत्तर प्रदेशीय प्रिशीसन फैक्ट्री अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया जाय तो अच्छा है, ऐसा यह लोग कहेंगे।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता आप "इनसिन्युएशन" न करें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अगर उनको बुरा लगा हो तो मैं वापिस लेने के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—बुरा लगे या न लगे लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा जिससे कोई झगड़ा हो।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अगर वह चाहते हैं कि नेशनेलाइजेशन न हो तो मैं उसके खिलाफ हूं। मैं सारा इतिहास सुनाता लेकिन मुझे समय नहीं मिला। मैं यह भी चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह सबक ले लें कि जब कभी कोई एक्सपर्ट रखें तो उसकी क्वालिफिकेशन्स वगैरा देख लिया करें ताकि जो काम सरकार करे उसमें वह आगे चलकर बदनाम न हो। जो सीमेंट फैक्ट्री दो करोड़ रुपये में बन सकती थी उस पर चार करोड़ रुपया तो खर्च हो चुका है और पता नहीं कितना और खर्चा होगा? वह कहते हैं कि मैंने किसी अखबार में पढ़ा होगा कि इतनी जल्दी सस्ती सीमेंट फैक्टरी बन गई। उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक उड़ीसा सीमेंट फैक्टरी है और उसकी ३१ दिसम्बर तक की बैलेंस शीट है। उसमें लिखा है कि एक करोड़ ३७ लाख रुपये में यह सीमेंट फैक्ट्री बनी और एक लाख ५० हजार टन इसका प्रोडक्शन है। आपको ताज्जुब होगा कि यह फैक्ट्री केवल ९ महीने में बन गई। मेरे कहने का मकसद यह था।

जो बात मैंने आज सदन में कही है, अगर माननीय मंत्री जी कहें कि कितनी गड़बड़ी हुई तो मैं यह कहूंगा कि लाखों रुपया हमारी जनता का बेकार चला गया। गवर्नमेंट आफ इंडिया से हमें मोजेक और ब्रास वगैरा वाटर मीटर्स बनाने के लिये मिला। श्री गुंथर साहब ने वाटर मीटर का ढांचा किसी बिजनेस कन्सर्न से बनवाकर रख दिया। इसी आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को वाटर मीटर दिखाया गया और उस पर नाम भी खुदवाया गया और दो मछली का निशान जो हमारी गवर्नमेंट का निशान है उस पर खुदवाया गया और यह कि यह उत्तर प्रदेशीय प्रेसेशन फैक्ट्री में बनी।

उसका अध्यक्ष महोदय, एक भी हिस्सा यहां नहीं बना, जो जर्मनी की सीमेंटस कम्पनी का था वही यहां ला कर रखा गया और उसे एप्रूव करा लिया गया। सिरिंज को लीजिये। उसका तो एक भी हिस्सा यहां नहीं बना। वाटर मीटर की कम से कम बाडी तो यहां बनी, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने गन मेटिल जो दिया उससे बना, और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने २० परसेंट बिलो बुक वैल्यू पर सामान दिया और कहा कि इसको इतनी बुक वैल्यू से कम नहीं बेच सकते हो। लेकिन उन्हीं गुन्थर साहब ने जिस भाव चाहा उसे बेंचा, १/३ बुक वैल्यू पर तक बेचा। यह तो सारी बंगलिंग है। आज उनके खिलाफ़ मिसएप्रोप्रिएशन के चार्जेज हैं और तमाम इरेंगुलीरटीज के चार्जेज हैं। उनको तो अलग कर दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इससे हमारी बदनामी विदेशों में हो रही है। ये विदेशी एक्सपर्ट्स इस तरह से यहां मारे मारे बाजारों में फिर रहे हैं, किसी से दस रुपये मांग रहे हैं, किसी से बीस रुपये मांग रहे हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि हमारी प्रेस्टिज भी कायम रहे और विदेशों से जो एक्सपर्ट्स बुलाये जायं तो उनकी क्वालिफिकेशन्स देख ली जायं, यह नहीं कि जिसको चाहा उसको बुला लिया। यों तो दो इंडस्ट्रीज क़ायम हुई हैं। अभी आज के ही अखबार में निकला है कि शायद गवर्नमेंट आफ इंडिया इनको ले रही है। तो अगर इसी तरह से होता रहा तो हमारे प्रान्त की बड़ी बदनामी होगी।

इसलिये मैं उनसे कहता हूं कि जो भी कोई इंडस्ट्री हो उसकी जांच करें। मैं तो कहता हूं कि अध्यक्ष महोदय इस सदन की एक कमेटी बना दी जाय जिसके चेयरमैन आप हों तब मैं साबित कर दूं कि इसके अन्दर कितना मिसमैनेजमेंट, कितना फ्राड और मिसएप्रोप्रिएशन आफ एकाउन्ट्स हुआ है। नहीं तो जो कुछ हमारे माननीय मंत्री जी कहेंगे उससे मैं हमेशा हार मानने के लिये तैयार हूं।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्याय जी ने जो चैलेंज दिया है उनकी तो आदत है हमेशा चैलेंज देने की। मैं यह कह सकता हूं कि इस फैक्ट्री में एखराजात जरूर हुए लेकिन यह कहना कि लाखों रुपये गुन्थर ने गबन कर लिये यह सरासर ग़लत है।

एक सदस्य—कमेटी बनाइये।

श्री हुकुमसिंह—कमेटी की कोई जरूरत नहीं है। मैंने खुद देखा है, दरियाफ्त किया है और उसकी तहकीक़ात की है। लिहाजा हर मामले के लिये कमेटी करना कोई आवश्यक बात नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमारे दोस्त ने जो यह फ़रमाया कि बाहर से पार्ट्स मंगा कर यहां असेम्बल कर दिये जायं। मैंने तो दरख्वास्त की, अब भी दरख्वास्त करता हूं कि हमारे माननीय सदस्य चलें और अपनी आंखों से देखें कि आया वहां सब पार्ट्स बनते हैं या नहीं। अगर मैं यह दिखला न सकूं तो मैं मान लूंगा कि उपाध्याय जी ने बात सही कही है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—पहले वाले के लिये कहा था।

श्री हुकुमसिंह—सरसरी तौर से कह देना कोई मुनासिब बात नहीं है। और अगर बाजार में कोई दस रुपये मांगे तो उसकी जिम्मेदारी है। दस रुपये अगर कोई मांगने लगे तो उससे सरकार की कोई बदनामी नहीं होती। यह कह देना कि गुन्थर इस मामले में जरा भी वाकफ़ियत नहीं रखता यह भी सत्य से परे है। उसकी जानकारी थी लेकिन मैं उसके काम से मुतमइयन नहीं हुआ। जितना उन्होंने वादा किया था वह काम करके नहीं दिखलाया इस वजह से मैंने उनको अलग किया। और हमारे उपाध्यायजी ने बताया कि अखबार में उन्होंने आज पढ़ा कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया इसे ले रही ह। अगर कल अखबार में यह निकल जाय कि हमारे उपाध्याय जी का क़द एक बालिश्त का रह गया तब भी आप यकीन कर लेंगे। अगर ऐसा एतक़ाद आपको अखबारों के ऊपर है तो दूसरी बात है। मेरे पास ऐसी कोई इत्तिला नहीं है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया उसको लेने वाली है लेकिन चूंकि अखबार में निकल गया लिहाजा बात पक्की हो गयी! तो मैं इस यक़ीन को क्या करूं, इसकी मेरे पास कोई दवा नहीं है। लिहाजा मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये सब ऐसी वैसी बातें हैं, जहां तक कटौती का ताल्लुक है उसे वापस लीजिये, अनुदान को स्वीकार कीजिये और काम चलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—औद्योगिक विकास–लेखा शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १,१५,१६,५०० रुपये की कमी कर दी जाय।

(श्री मदनमोहन उपाध्याय के हाथ से इशारा करने पर)

श्री उपाध्याय जी क्या आप डिवीज़न चाहते हैं?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जी हां।

श्री अध्यक्ष—आपको यहां के तरीके के अनुसार डिवीजन की मांग करनी चाहिये, इशारे से काम नहीं चलता, जैसा आपने पहिले किया था।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७१

विपक्ष में—१०

उत्तर प्रदेश कृषि-आय कर (संशोधन) विधेयक, १९५३

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५३, पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४९३ पर)

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। मेरे पास सरकार ने यह पत्र भेजा है कि इस विधेयक को वे विचार करने के लिये २५ मार्च को पेश करेंगे और उसी रोज उसे पारित करने के लिये भी प्रश्न पेश करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विधेयक इन्कम टैक्स वगैरह से संबंध रखता है। तो क्या इसके लिये गवर्नर महोदय ने सिफारिश भेजी है?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये महामान्य राज्यपाल ने अपनी सिफारिश मेरे पास भेजी है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, इस समय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि २४ तारीख तक हमलोग इस बजट के अनुदानों के मुताल्लिक विचार करेंगे और फिर २५ तारीख को ही यह विधेयक आयेगा तो फिर हमलोगों को मौका कब मिलेगा विचारविमर्श करने के लिये, और इसको पढ़ने के लिये? कम से कम इसको पढ़ने के लिये तो मौका मिल जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह एक बहुत छोटा सा संशोधन विधेयक है। इसके पढ़ने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। अगर आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। इसलिये मैं तो यही निवेदन करता हूं कि इसको २५ तारीख को ही ले लिया जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—(श्री राज नारायण से) अगर आपको इसके बारे में कोई आक्षेप होगा तो उसी रोज आप निवेदन करेंगे। यह तो एक सूचना थी जो मैंने सदन को दे दी। २४ तारीख को मैं इसके बारे में निर्णय कर दूंगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर मंगलवार, २४ मार्च, १९५३ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२१ मार्च, १९५३ ।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४७२ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३

कुछ प्रयोजनों के निमित्त १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर ऐक्ट में संशोधन करने के लिए

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ ।

विधेयक

यह आवश्यक है कि १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर ऐक्ट में कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधन किये जायं,

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९।

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५३ होगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित हो जायगा।

२—१९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर ऐक्ट (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ की उपधारा (१०) के बाद निम्नलिखित नयी उपधारा (१०-क) के रूप में रख दिया जाय:—

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ की धारा २ में संशोधन।

"(१०- क) 'भूमि व्यवस्था कमिश्नर' (Land Reforms Commissioner) का आशय राज्य सरकार द्वारा उस रूप में नियुक्त किये गये अधिकारी से है।"

३—मूल अधिनियम के अध्याय २ के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति पर कृषि-आय-कर लगाये जाने के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न हुए हैं जो अपने प्रभुत्व या अधिकार में कोई सम्पत्ति पूर्व वर्ष में तो रखता हो किन्तु बाद को वह उसके प्रभुत्व या अधिकार में न रही हो, इसलिए एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि मूल अधिनियम की धारा २ के खंड (११) में प्रयुक्त शब्दों "अपने प्रभुत्व या अधिकार में रखता हो" का यह अर्थ नहीं समझा जायगा कि उस व्यक्ति के संबंध में यह कभी भी आवश्यक था कि उस वर्ष में जिस के लिए कर लिया जाना है, सम्पत्ति उसके प्रभुत्व या अधिकार में बनी रही हो।

४—मूल अधिनियम की धारा ४ के पहले प्रतिबन्ध में शब्द और संख्या "५० एकड़" के स्थान पर शब्द और संख्या "३० एकड़" रख दिये जायं।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ ई० की धारा ४ में संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ४ के बाद निम्नलिखित नयी धारा ४-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ ई० में धारा ४-क का बढ़ाया जाना।

"४-क—कर-निर्धारण के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति विशेष (Individual) की पूर्ण कृषि-आय की गणना करने में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जायगा :—

(क) ऐसे व्यक्ति विशेष (such individual) की पत्नी या उस के वयस्क सन्तान की पूर्ण कृषि-आय का उतना भाग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष (directly or indirectly) रूप से निम्नलिखित से मिलता हो :

(१) ऐसी सम्पत्ति (Assets) जो यथोचित प्रतिफल (adequate consideration) या पृथक निवास के अनुबन्ध (agreement to live a part) के आधार पर हस्तान्तरित न होकर किसी अन्य प्रकार से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, पत्नी को उसके पति द्वारा हस्तान्तरित की गयी हो,

(२) ऐसी सम्पत्ति जो यथोचित प्रतिफल के आधार पर हस्तान्तरित न होकर किसी अन्य प्रकार से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ऐसे व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी अवयस्क सन्तान को, जो विवाहिता पुत्री न हो, हस्तान्तरित की गयी हो,

(ख) किसी व्यक्ति (person) की पूर्ण कृषि आय का उतना भाग जो ऐसे व्यक्ति विशेष (such individual) द्वारा अपनी पत्नी या अवयस्क सन्तान या दोनों के लाभ के लिए यथोचित प्रतिफल के आधार पर हस्तान्तरित न होकर किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित की गयी सम्पत्ति से मिलता हो।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ की धारा ५ में संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा ५ के खंड (क) में शब्द "म्युनिसिपल टैक्स" के स्थान पर शब्द "स्थानीय अधिकारी संस्थाओं (local authorities) के करों" रख दिये जायं।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ की धारा ६ में संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा ६ की—

(१) उपधारा (१) में से—

(क) वर्तमान प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय, और

(ख) निम्नलिखित नये प्रतिबन्ध के रूप में रख दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बाग़ों (groves), फल के बाग़ों (orchards) और चाय के बागों की पूर्वोक्त कृषि-संबंधी आय की गणना उप-धारा (२) के खंड (ख) के अनुसार की जायगी"

(२) उप-धारा (२) की—

(क) खंड (क) में संख्या "७ १/२" के स्थान पर संख्या "१२ १/२" रखी जाय और जहां पर भी शब्द "बोर्ड आफ़ रेवेन्यू" आये हों उनके स्थान पर शब्द "भूमि व्यवस्था कमिश्नर (Land Reforms Commissioner)" रख दिये जायं, और

(ख) खंड (ख) (१) में शब्द "म्युनिसिपैलिटी के करों" के स्थान पर शब्द "स्थानीय संस्थाओं के करों" रख दिये जांय।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ की धारा १५ में संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (३) के बाद निम्नलिखित उप-धारा (३-क) के रूप में रख दिया जाय और निरन्तर इसी प्रकार रखा हुआ समझा जायगा:—

"(३-क) यदि उपधारा (३) के अधीन तामील किया हुआ नोटिस बाद में सदोष पाया जाय और फिर से नोटिस तामील करना आवश्यक हो तो इस बात के होने पर भी कि सम्बद्ध वर्ष समाप्त हो गया है, वह नोटिस फिर भी तामील किया जा सकेगा; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती (former) नोटिस नियत समय में तामील किया गया हो।"

९—मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (१) के आरम्भ में शब्द "यदि" और "किसी" के बीच में शब्द "पुनरीक्षण बोर्ड (Revision Board) कमिश्नर, अतिरिक्त कमिश्नर (Additional Commissioner) या" रख दिये जायं और शब्द "अधीन" और "किसी" के बीच में शब्द "उसके सामने" रख दिये जायं। — संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ की धारा १७ में संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा २१ की उपधारा (१) में शब्द और संख्या "धारा १७" के बाद शब्द और संख्या "या धारा ३७" रख दिये जायं। — संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ की धारा २१ में संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा २३ में शब्द "करदाता" के बाद शब्द "और नियत अधिकारी (prescribed authority)" रख दिये जायं। — संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ की धारा २३ में संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा २५ में शब्द "के अन्त होने के एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "की समाप्ति से दो वर्ष" रख दिये जायं। — संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ की धारा २५ में संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की धारा ३० की— — संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ की धारा ३० में संशोधन।

(१) उपधारा (१) में शब्द "चार" के स्थान पर शब्द "दो" रख दिया जाय।

(२) उपधारा (२) में शब्द "बाद की सब क़िस्तें एक दूसरे से दो मास के भीतर" के स्थान पर शब्द "पहली किस्त के निश्चित दिनांक (due dates) के छः मास के भीतर दूसरी किस्त" रख दिये जायं और अन्तिम शब्द "जायंगी" के स्थान पर "जायगी" रख दिया जाय।

१४—मूल अधिनियम की धारा ३६ के खंड (ङ) के बाद निम्नलिखित नये खंड (च) के रूप में बढ़ा दिया जाय :— — संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ की धारा ३६ में संशोधन।

"(च) केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को ऐसे तथ्यों की सूचना, जो उस सरकार को आयों पर कर लगा सकने या लगाये हुए करों की वसूली कर सकने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।"

१५—मूल अधिनियम की धारा १७ में शब्द "उसको अर्थदंड दिया जा सकेगा जो उस अवधि तक जिसमें वह दे नहीं दिया जाय, प्रति दिन ५ रु० तक हो सकता है" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— — संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ की धारा १७ में संशोधन।

"कर-निर्धारक अधिकारी अपने विवेक से निर्देश कर सकता है कि उक्त ब्योरे दाखिल न करने के प्रत्येक दिन के लिए करदाता से दंड (penalty) के रूप में ऐसी धनराशि वसूल की जायगी जो ५ रु० से अधिक न हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारक अधिकारी उस समय तक ऐसी कोई भी आज्ञा न देगा जब तक कि करदाता की सुनवाई न कर ली गयी हो, या जब तक उसे सुनवाई के लिए यथोचित अवसर न दे दिया जाय।

और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि इस धारा के अधीन करदाता को अर्थ दंड दे दिया गया हो तो ब्योरे दाखिल न करने के संबंध में उस पर कोई अभियोग (prosecution) नहीं चलाया जायगा।"

सामान्य संशोधन

१६—मूल अधिनियम में जहां पर भी शब्द "बोर्ड" प्रयुक्त हुआ हो वहां उसके स्थान पर शब्द "पुनरीक्षण बोर्ड (Revision Board)" रख दिया जाय।

उद्देश्य और कारण

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर ऐक्ट (ऐक्ट सं० ३, १९४९) को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप उसमें कुछ त्रुटियां मालूम हुई हैं और उसके कुछ उपबन्धों की व्याख्या (interpretation) के संबंध में सन्देह भी व्यक्त किये गये हैं। इस विधेयक का उद्देश्य उन दोषों को दूर करना और सन्दिग्ध स्थिति को स्पष्ट करना है।

इस विधेयक की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं :—

(१) अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (२) के खंड (क) के अनुसार व्यक्तिगत काश्त के क्षेत्र का मूल्य मौरूसी दरों के अनुसार लगाये जाने की यवस्था की गयी है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग में मौरूसी दरें मन्दी के दिनों में नियत की गयी थीं और उन से सामान्यतः भूमि के उत्पादन-मूल्य (produce value) का पांचवां भाग ही व्यक्त होता है। इस प्रकार आरम्भ में ७ १/२ का जो गुणा (multiple) निश्चित किया गया था वह बहुत ही कम था। इसलिए यह प्रस्ताव है कि उस गुणा को बढ़ा कर १२ १/२ कर दिया जाय।

(२) धारा ४ में विहित ५० एकड़ की सीमा को घटाकर ३० एकड़ कर देने का भी प्रस्ताव है क्योंकि १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में भविष्य के लिये अनुकूलतम (optimum) खाते के क्षेत्रफल की सीमा ३० एकड़ रखी गयी है।

(३) करदाताओं को धारा ६ के अधीन किसी भी कर-निर्धारण वर्ष में अपना विकल्प (option) बदल देने के लिए अधिकार दिया गया है।

(४) धारा ५ या धारा ६(२) (क) के अधीन बागों (groves) या फल के बागों (orchards) का कर निर्धारण न्याय विरुद्ध सिद्ध हुआ है। इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि बागों, फल के बागों और चाय के बागों की आय की गणना अनिवार्यतः केवल धारा ६(२) (ख) के उपबन्धों के अनुसार की जाय।

(५) करदाता की सहूलियत के लिए और प्रशासकीय सुविधा के विचार से यह व्यवस्था की जा रही है कि कर की वसूली चार किस्तों में करने के बजाय दो छःमाही किस्तों में की जाय।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी १ एल० ए०—१९५०—८५० ।